53

भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान
Rubber Research Institute of India
पुस्तकालय

सं./Acc. No. 243155
दिनांक /Date: 3/5/18
हस्ताक्षर/Initials

रबड बोर्ड का वार्षिक रिपोर्ट

1990-91

रबड बोर्ड

(भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय)

कोट्टयम–१, केरल राज्य

भारतीय ... संस्थान
Public ... of India
क्र. 243155
दिनांक/Date 3/5/14
... /Initials

र ब ड़ बो र्ड

1990-91 साल के लिए रबड़ बोर्ड का वार्षिक रिपोर्ट

भाग 1	प्रस्तावना	1
भाग 2	रचना और कार्य	5
भाग 3	रबड़ उत्पादन	9
	विकास खंड के कार्यकलाप	10
	प्रसार खंड के कार्यकलाप	18
	उत्तर पूर्वी रबड़ विकास योजना	24
भाग 4	रबड़ अनुसंधान	29
	कृषि/मृदा प्रभाग	29
	वनस्पति प्रभाग	30
	बयोटेक्नोलजी प्रभाग	32
	जर्मप्लाज़म प्रभाग	32
	पौधा शरीर विज्ञान एवं सम्प्रयोजन प्रभाग	33
	कवक विज्ञान एवं रोग विज्ञान प्रभाग	33
	रबड़ रसायन, भौतिकी और तकनोलजी प्रभाग	34
		35
	कार्मिक वित्त प्रभाग	36
	केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन	36
	उत्तर पूर्वी अनुसंधान कोंप्लक्स	39
भाग 5	रबड़ प्रसंस्करण एवं उत्पाद विकास	39
	इंजिनीयरिंग प्रभाग	42
	तकनीकी परामर्शदाता सेवा	43
	विपणन प्रभाग	44
	आर्थिक एवं वित्त विभाग	
		45
भाग 6	प्रशासन	46
	उत्पादन शुल्क रबड़ पर उपकर	49
	रबड़ व्यापारी अनुज्ञापत्र	53
	विपणन आसूचना	54
	सांख्यकी एवं योजना	56
	प्रचार एवं रबड़ संवर्धन	57
	श्रमिक कल्याण	58
		59
	सतर्कता	60
	कानूनी कार्य	60
	आंतरिक लेखा परीक्षा	60
	हिन्दी कार्य	61
	उप/संपर्क कार्यालय	64
		64
भाग 7	वित्त एवं लेखे	
		67
भाग 8	प्रशिक्षण	
		70
भाग 9	सांख्यकी सारणी	
	रबड़ बोर्ड की सदस्यों की सूची (परिशिष्ट 1)	73
	प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची (परिशिष्ट 2)	

1990-91 केलिए
रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों का वार्षिक रिपोर्ट
भाग - 1 प्रस्तावना

यह 1990-91 साल के लिए रबड़ बोर्ड के कार्य कलापों की वार्षिक रिपोर्ट है। 1990 एप्रिल 1 से 1991 मार्च 31 तक के कार्यों का संग्रह इसमें मिलता है।

देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में रबड़ का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सदी के प्रथम दशाब्द में ही रबड़ की पौधाई इस देश में शुरू हुई थी। इस दिशा में बड़े उत्पादक मार्ग दर्शक रहे थे। बाद में ही छोटे उत्पादक इस क्षेत्र में आए। रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन रबड़ उत्पादन के कार्यों के लिए भारत सरकार ने रबड़ बोर्ड की स्थापना की थी। वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान के लिए 1955 में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्था की स्थापना की। उस समय देश में रबड़ का उत्पादन एवं वितरण बोर्ड का प्रमुख कार्य रहा था।

रबड़ बागनों के विकास केलिए भारत का उचित प्रणालियों का विकास कराना था। सलाहकारी एवं प्रसार सेवाओं से युक्त विकास एवं अनुसंधान कार्यों द्वारा परंपरागत प्रणालियों से नवीन पौधाई तरीकों की ओर तीव्र परिवर्तन लाया गया। ऐसे तकनीकों को कृषकों के क्षेत्र में स्थानांतरित किया था। मलेष्या, इन्डोनेष्या और तायलैंड के बाद दुनिया में चौथा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक का स्थान भारत को मिल गया।

रबड़ बागन उद्योग के लिए अनुसंधान प्रयत्नों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उच्च उपजित क्लोण आर आर ऐ ऐ 105 को भारत ने बनाया था जिसकी उपज क्षमता प्रति हेक्टर केलिए करीब 2500 कि.ग्रा. होती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय रबड़ का उत्पादन 15,000 टण था तो बडिंग, पक्व एवं अपक्व रबड़ के लिए उचित खाद प्रयोग, कीड़ एवं रोग प्रबंधन, सुधारित फसल प्रसंस्करण तकनीकी आदि द्वारा यह 1990-91 में 329,600 टण बन गया था। प्रति हें. का उत्पादन 300 कि.ग्राम से 1000 कि.ग्राम होकर बढ़ गया। "लगुमिनस" भूसंरक्षी के साथ फसल की वृद्धि, मृदा एवं पत्र विश्लेषण के बाद खाद का प्रयोग, उपज उद्दीपन के साथ फसल समुपयोजन, प्रसंस्करित तकनीकि विनिर्दिष्ट रबड़, टिष्यु संवर्धन आदि अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में प्रमुख थे।

1990-91 में रबड़ बागन उद्योग की उन्नती संतोषजनक थी। इस साल प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 3,29,600 टण था जो 1989-90 में 297,300 टण

था, वृद्धि 11% । प्रति हेक्टर का उपज गत साल के 1029 कि.ग्रा से 1075 कि.ग्रा होकर बढ़ गया । रबड़ का उपयोग 6.5% याने 364,300 टण होकर बढ़ गया । उत्पादन एवं उपभोग के अंतराल मिटाने केलिए राज्य व्यापार निगम द्वारा 31,699 टण रबड़ का आयात किया । इसके अतिरिक्त विनिर्माताओं द्वारा अतिरिक्त अनुज्ञापत्र/आर इ पी द्वारा 20,243 टण का आयात किया था ।

प्राकृतिक रबड़ उद्योग के विकास के लिए निम्न लिखित कार्यों की योजनाओं का कार्यान्वयन किया था ।

(क) रबड का नवरोपण एवं पुनरोपण का विकास

(ख) उच्च उपजित पौधाई मालों का उत्पादन एवं वितरण

(ग) प्रचार सेवा, प्रशिक्षण, प्रदर्शन उपकरणों की पूर्ती आदि द्वारा उत्पादन एवं फसल प्रसंस्करण की वृद्धि ।

रबड़ बागन विकास योजना नामक सम्पूर्ण पद्धति के कार्यान्वयन द्वारा पुनरोपण एवं नवरोपण का संवर्धन चलाया गया । इसके द्वारा आर्थिक सहायता एवं मुफ्त में तकनीकी सलाह दी जाती है । परम्परागत क्षेत्रों में पाँच हेक्टर तक स्वायत्त रबड़ के उत्पादकों को नवरोपण एवं पुनरोपण केलिए नबार्ड के कृषि वित्तीय योजना के अधीन प्रति हेक्टर के लिए 5000 रुपए की सहायधन और खर्च पर 3% सूद अनुदान दिया जाता है । परम्परागत हीन क्षेत्रों के सारे वर्गों के कृषकों को ये सहायतायें मिल जाती है । उच्च उपजित पौधाई मालों के प्रति पौधे को छः रुपए के दर पर मूल्य का प्रतिदान भी दिया जाता है ।

परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ पौधाई के विकास केलिए सीमित सम्भावना को ध्यान में रखकर उत्तर पूर्वी राज्य, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, गोवा, महाराष्ट्रा, आंडमान -निकोबार द्वीप आदि चुने हुए अपरम्परागत क्षेत्रों में रबड के विकास का कार्य ले लिया । इन स्थानों में रबड के सफलतापूर्वक पौधाई के लिए विशेष ध्यान दिया गया है । आवश्यक पौधाई मालों के लिए नर्सरियों का भी संचालन किया ।

2. <u>रबड़ मूल्य</u>

भारत सरकार ने 1991 जनवरी 15 से प्राकृतिक रबड़ के न्यायिक मूल्य का संशोधन किया था । आर एस ए 4 का प्रति क्विन्टल केलिए संशोधित मूल्य 2145 रू. होता है । बफर स्टोक योजना के शर्तों के अधीन उस न्यायिक मूल्य की जो "बंच मार्क" मूल्य के नाम पर जाना जाता है घोषणा हुई थी । संशोधन के

पहले मूल्य 1780/- रू. था जो 1988 सितंबर में लागू में आया था । इस साथ निम्न और उच्च सीलिंग मूल्य में प्रति क्विन्टल केलिए 50/- रू. के उतार चढाव पर नियत किया था ।

संशोधित मूल्य के निर्णय के बाद आर एस ए 4 ग्रेड रबड का विपणन मूल्य निम्न स्तर पर स्थिर हो गया । आर एस ए 5 का मूल्य निम्न स्तर पर ही जारी रखा । अतः राज्य व्यापार निगम 1991 फरवरी 8 को विपणी में आये और आर एस ए 5 का निम्न सीलिंग मूल्य 2045/- रू. के दर पर रबड खरीदना शुरू किया । यह कार्य 1991 एप्रिल 29 तक जारी रखा । जिसके फलस्वरूप आर एस ए 5 के 7700 टण प्राप्त कर सके ।

इस साल रबड का विपणन मूल्य जून मध्य तक ऊँचे स्तर पर था । उसके बाद सबसे अधिक उत्पादन के महीने होने के कारण नीचे की ओर आया । 1990-91 में आर एस ए 4 ग्रेड के लिए प्रति क्विन्टल का औसत मूल्य 2129/- रू. था ।

अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें

1990 में प्राकृतिक रबड का विश्व उत्पादन 4.95 करोड टण होकर गिर गया जो 1989 में 5.11 करोड टण था । अन्तर्राष्ट्रीय विपणी में मूल्य की चढाव होने के नाते उत्पादन में भी कमी हुई । कुलालंपूर विपणी में 1990 में आर एस एस 3 (भारत में आर एस ए 4 का समकक्ष) औसत मूल्य 220.40 म डोलर था । जो 1989 में 247.70 और 1988 में 301.20 था । वास्तव में मलेश्या में जो संसार का सबसे बडा उत्पादक है 1988 के उत्पादन 1.66 करोड टण से 1989 में 1.42 हो गया और 1990 में यह 1.29 करोड टण हो गया । 1990 में रबड का विश्व उत्पादन 5.16 करोड टण होकर कम हो गया जो 1989 में 5.21 टण था ।

अन्तराष्ट्रीय स्टडी ग्रूप का 32 वीं सम्मेलन 1990 सितंबर में ओटावा (कानडा) में हुआ था । 1991 के उत्पादन 5.42 करोड टण और उपभोग 5.51 करोड टण होकर अनुमानित किया । अन्तर्राष्ट्रीय रबड फोर्म की बैठक हुई अधिकांश विद्वानों के अनुसार अरब राष्ट्रों की समस्यायें एवं उसके फलस्वरूप तेल के वर्धित मूल्य के कारण रबड के उपभोग में विरूद्ध प्रभाव पड जाएगा । टयार के रेडियलैसेशन के फलस्वरूप प्राकृतिक रबड का उपयोग बढ जाएगा, पर टयार का लंबे काल केलिए टिकाउ उलटा फल निकालेगा ।

......4/-

ए एन आर पी सी की समिति की बैठक 1990 आगस्त में हुई थी । अगला सम्मेलन 1991 पहले चलाने का निर्णय किया । प्राकृतिक रबड के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं उपभोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो प्राकृतिक रबड विपणी एवं इसके मूल्य घटकों पर प्रभाव डाला । इन समस्याओं के आधार पर कार्यकारिणी समिति को महसूस हुई कि ए एन आर पी सी के रोल का पुनरीक्षण ज़रूरी है । इस साल प्रसंस्करण, गुण एवं विपणन पर जो बैठक हुई थी । प्रसंस्कृत रबड के गुण बढाने में रबड उत्पादित राष्ट्र अधिक प्रधानता देने लगे । लैबीरिया और एंवरी कोस्ट अपने उपज के 100% ब्लोक रबड [तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड] प्रसंस्कृत करता है । इनडोनेशया 86% ब्लोक रबड बनाता तो मलेशया 70% । ताइलैंड और श्रीलंका में ब्लोक रबड निर्माण कम है जो 13% और 16% है । भारत में तो सिर्फ 6% । प्रमुख रबड उत्पादित राष्ट्र अपने निम्न ग्रेड शीट जैसे आर एस ए - 4 और 5 को गुण सुधार करने में अधिक ध्यान देने लगे हैं ।

---------0---------

एम. एस. के/12. 8. 91

भाग - दो

रचना और कार्य

1. प्रस्तावना

भारत में रबड़ उद्योग के विकास के उपयुक्त कार्यों के संवर्धन के लिए रबड़ अधिनियम के (संवर्धन एवं विपणन) अधीन 1947 एप्रिल 19 तारीख पर भारतीय रबड़ बोर्ड की स्थापना हुई। रबड़ उत्पादन एवं विपणन (संशोधन) अधिनियम 1954 द्वारा बोर्ड के संविधान में कुछ भेद आये और इसका नाम रबड़ बोर्ड पड़ा। 1955 आगस्ट में यह अधिनियम लागू में आया। रबड़ अधिनियम (संशोधन) 1960 और रबड़ (संशोधन) अधिनियम 1982 द्वारा रबड़ अधिनियम का और भी संशोधन किया। यह अंतिम संशोधन द्वारा केन्द्रीय सरकार बोर्ड के लिए एक अंशकालिक अध्यक्ष/पूर्णकालिक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक अधिशासी निदेशक की नियुक्ति कर सकते (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य लगने पर) ।

2. संघटन

रबड़ बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। बोर्ड में अब तक पूर्ण कालिक अध्यक्ष होता है जो बोर्ड के कार्यपालक अधिकारी होते हैं। बोर्ड के सम्मेलनों के निर्णयों का कार्यान्वयन और रबड़ अधिनियम के अधीन सेवापालन केलिए वे उत्तरदायी होते हैं। बोर्ड में अन्य सदस्यों की संख्या पच्चीस होती हैं। जिसमें:-

1) तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए दो सदस्य होंगे, जिनमें एक रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा।

2) केरल का प्रतिनिधित्व करते हुए आठ सदस्य होंगे। जिनमें छः रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनमें तीन छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

3) केन्द्रीय सरकार द्वारा दस सदस्यों को मनोनित करेंगे जिनमें से दो विनिर्माताओं एवं चार श्रमहितों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

4) संसद के तीन सदस्य होंगे जिसमें लोक सभा द्वारा दो सदस्यों को और राज्य सभा द्वारा एक सदस्य को चुन लेंगे।

5) कार्यपालक निदेशक (पदेन) और

6) रबड़ उत्पादन आयुक्त (पदेन)

........6/-

कार्यपालक निदेशक का पद अभी तक नहीं कार्यान्वित किया है। 31-3--1991 तक के सदस्यों की सूची रिपोर्ट के अंत में दिया है।

सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के तौर पर चुना जाता है। इसकी उपसमितियाँ होती है जो विविध कार्यों की और रबड़ उद्योग के प्रगति एवं बोर्ड की सिफारिशें दी जाती है। सात उपसमितियाँ हैं :- कार्य कारिणी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, पौधाई समिति, सांख्यकि एवं आयात निर्यात समिति, विपणन विकास समिति, श्रमिक हित समिति और कर्मचारी संबंधित समिति आदि है।

श्री पी सी सिरियक. आइ ए एस 1990 जून 30 तक अध्यक्ष रहे। श्री सी. टी. सुकुमारन आर ए एस ने उनसे कार्यग्रहण किया जो समुद्री उपज निर्यात विकास प्राधिकारी के अध्यक्ष भी थे। श्रीमति के. ललितांबिका, आइ ए एस को भारत सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष पर नियुक्त किया। उन्होंने 1990 जुलाई 19 को कार्यभार ग्रहण किया और इस रिपोर्ट साल में अध्यक्ष के पद पर जारी रही।

1990 आगस्त तक श्री. ए. कुंजीरान जो बागन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य था, उपाध्यक्ष रहे थे। बोर्ड के पुनसंगाठन के बाद 1990 नवंबर 27 से श्री. के. जोसफ मोनिप्पल्ली अध्यक्ष रहे।

3. कार्य

रबड़ अधिनियम/आठ की धारा के अनुसार बोर्ड के कार्य ये होते हैं:-

§1§ रबड़ उद्योग के विकास केलिये कार्यों का वर्धन करना। निम्न लिखित कार्यों का प्रबंध करना :-

§क§ वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक शोध का संचालन, सहायता या प्रोत्साहन।

§ख§ बागन, कृषि, खाद एवं छिड़काव की प्रगतिशील रीतियों पर छात्रों को प्रशिक्षण देना।

§ग§ रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह देना।

§घ§ रबड़ विपणन की प्रगति करना।

§ङ. §एस्टेट मालिकों, व्यापारियों, एवं विनिर्माताओं से सांख्यकी को इकट्ठा करना।

§च§ कर्मचारी सुख सुविधा और प्रोत्साहन केलिए उत्तम श्रम व्यवस्थाओं को प्रदान करना।

§छ§ बोर्ड को सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहण।

(2) बोर्ड का कार्य यह भी होगा :-

(क) रबड के आयात निर्यात को मिलाकर रबड उद्योग के विकास से संबंधित सारे कार्यों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ।

ख) रबड से संबंधित किसी अंतराष्ट्रीय सम्मेलन या योजना में भाग लेने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ।

ग) इस अधिनियम के कार्यों एवं बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में केन्द्रीय सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को अर्धवार्षिक एवं वार्षिक रिपोर्ट पेश करना ।

घ) समय समय पर केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार रबड उद्योग से संबंधित रिपोर्ट की तैयारी करना और पेश करना ।

4. बोर्ड के सम्मेलन और उसकी समितियाँ

इस रिपोर्ट साल में बोर्ड के निम्नलिखित सम्मेलन और समितियाँ हुई ।

क) बोर्ड सम्मेलन 27.6.90 में 115 वीं सम्मेलन और 27.11.90 में 116वीं सम्मेलन ।

ख) समितियाँ - कार्यकारिणी समिति, सांख्यकी एवं आयात निर्यात समिति, कर्मचारी संबंधित समिति, विपणन विकास समिति और अनुसंधान विकास समिति, श्रमिक कल्याण समिति और पौधाई समिति की बैठक हुई और योजनाओं का पुनरीक्षण नये प्रस्तावों की जांच और बोर्ड को सिफारिश दी ।

5. संगठनात्मक रचना

बोर्ड के कार्यकलापों को छः विभागों में वर्गीकृत किया है । प्रशासन रबड उत्पादन, रबड अनुसंधान, रबड प्रसंस्करण, वित्त एवं लेखा और प्रशिक्षण विभाग । सचिव, रबड उत्पादन आयुक्त, अनुसंधान निदेशक, योजना अधिकारी, वित्त सलाहकार और संयुक्त निदेशक(परीक्षा) इन विभागों के मुख्य होते हैं ।

बोर्ड के प्रशासन, रबड उत्पादन विभाग और वित्त एवं लेखे विभाग का मुख्य कार्यालय कोट्टयम पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग, शास्त्री रोड, कोट्टयम-1, में स्थित हैं । प्रशासन विभाग के अधीन आठ उप/संपर्क कार्यालय होते हैं जो देश के मुख्य रबड उपभोग केन्द्रों में स्थित ह । देश के विभिन्न रबड उत्पादित खंडों

........8/-

में रबड़ उत्पादन विभाग के अधीन 33 प्रादेशिक कार्यालय, 160 क्षेत्रीय कार्यालय, 20 प्रादेशिक नर्सरियाँ और और 35 टापेर्स प्रशिक्षण विद्यालय होते हैं । रबड़ उत्पादन विभाग के अधीन दक्षिण आंडमान के रबड़ अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, गोहटी और भुवनेश्वर के मंडल कार्यालय, अगरतला के न्यूक्लियस एस्टेट व प्रशिक्षण केन्द्र भी होते हैं ।

अनुसंधान विभाग, रबड़ प्रसंस्करण विभाग और प्रशिक्षण विभाग कोट्टयम-9 में बोर्ड के अपने मकान में कार्य करते हैं । केरल में अनुसंधान विभाग के दो प्रादेशिक परीक्षण केन्द्र और तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, महाराष्ट्रा (दापचेरी) आसाम, पश्चिम बंगाल मेघालया, मिसोराम एवं उडीसा में एक एक प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र होते हैं । रबड़ प्रसंस्करण विभाग द्वारा कोट्टयम में पयलट क्रंब रबड़ फाक्टरी संचालित किया जाता है । चेत्तक्कल में प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण रेडियेशन केलिए एक पयलट प्लांट की स्थापना की है ।

बोर्ड के सारे विभागों एवं कार्यालयों पर अध्यक्ष का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । 31-3--1991 में बोर्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या 1916 होती है "क" वर्ग में 170 "ख" वर्ग में 499 "ग" वर्ग में 1106 और "घ" वर्ग में 128 और समेकित वेतन के अधीन 13 । प्रबंधक एवं कर्मचारियों के बीच अच्छा संबंध रहा था । इसके फलस्वरूप साल में प्रगति का रिकार्ड पा सका है ।

अगले पृष्ठों में विविध विभागों के कार्यकलापों का संग्रह किया है ।

xxxxxxxxxxxx

एम. एस/-

भाग 3

रबड़ उत्पादन

कार्य

इस रिपोर्ट साल में रबड़ उत्पादन कार्य द्वारा निम्न लिखित कार्य किये गये:-

1. रबड़ बागनों का पंजीकरण
2. रबड़ बागनों के प्रसार, विकास एवं नवीकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन तथा प्लानिंग
3. सलाहकारी एवं प्रसार सेवा
4. उच्च उपजित पौधाई मालों का उत्पादन एवं प्राप्ति एवं वितरण।
5. अन्य कार्षिक चीज़ों का वितरण
6. टापेर्स का प्रशिक्षण
7. अपरम्परागत रबड़ उत्पादन क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन एवं वैज्ञानिक पौधाई में प्रशिक्षण और प्रदर्शन
8. रबड़ बागनों का बीमा

संगठनात्मक रचना

रबड़ उत्पादन आयुक्त द्वारा इस विभाग का पूरा नियंत्रण एवं निरीक्षण किया जाता है। चार संयुक्त रबड़ उत्पादन आयुक्त, दस उप रबड़ उत्पादन आयुक्त एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उनके अधीन काम करते हैं।

33 प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा इस विभाग के क्षेत्रीय कार्यों का प्रबंधन किया जाता है। ये उत्तर मण्डल, दक्षिण मण्डल, पूर्व मण्डल और उत्तरपूर्व मण्डल द्वारा विभाजित किया गया है। उप रबड़ उत्पादन आयुक्तों द्वारा मण्डल स्तर के कार्यों का कार्यान्वयन एवं निरीक्षण किया जाता है। इनमें दो उप रबड़ उत्पादन आयुक्तों का कार्यालय पृथक रूप से गोहटी और भुवनेश्वर में हैं, अन्य दोनों का मुख्य कार्यालय बोर्ड के मुख्य कार्यालय में है। उत्तर पूर्वी मण्डल के कार्यों की प्रधानता मानते हुए गोहटी में एक संयुक्त रबड़ उत्पादन आयुक्त होते हैं। एक उप रबड़ उत्पादन आयुक्त द्वारा उनकी सहायता की जाती है। प्रादेशिक कार्यालयों के अधीन 160 क्षेत्रीय कार्यालय 20 प्रादेशिक नर्सरियाँ और 35 रबड़ टापेर्स प्रशिक्षण केन्द्र होते हैं। प्रादेशिक कार्यालय, उनकी सेवा का क्षेत्र एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की सूचि परिशिष्ट दो में दी है।

त्रिपुरा और आन्डमान में एक एक न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट और प्रशिक्षण केन्द्र होते हैं। इन में पहला एक संयुक्त रबड़ उत्पादन आयुक्त के अधीन है। एक उप रबड़ उत्पादन आयुक्त उनकी सहायता करते हैं दूसरा केन्द्र एक उप रबड़ उत्पादन आयुक्त के अधीन है।

इस विभाग के केन्द्रीय कार्यालय के सीधे नियंत्रण में एक केन्द्रीय नर्सरी होता है।

केन्द्रीय कार्यालय में दो खण्ड के अधीन विकास खंड और प्रचार एवं पूर्ती खण्ड कार्य चलता है । हर एक खण्ड एक संयुक्त रबड़ उत्पादन आयुक्त के अधीन होता है ।

रबड़ संवर्धन एवं प्रचार प्रभाग तथा सांख्यकी एवं योजना प्रभाग के सहयोग से इस विभाग का कार्य चलता था । रबड़ अनुसंधान विभाग से टेक्नोलजी का स्थानांतरण रबड़ उत्पादकों के यहाँ रबड़ उत्पादन विभाग द्वारा किया जाता था ।

कार्यकलापों का पुनरीक्षण

1. रबड़ एस्टेटों का पंजीकरण

रबड़ अधिनियम 1947 के द्वारा यह बोर्ड का एक सांविधिक कार्य है ।

1990-91 में कुल 10,283 बागन यूनिटों का नया पंजीकरण किया था । वर्तमान यूनिटों के साथ अतिरिक्त क्षेत्रों का कुल विस्तार 6,778.68हे. होता है । 1,007.73हे. रिकार्डस से रद्द किया गया है । 31.3.1991 में कुल पंजीकृत विस्तार 308,474.95 हे. और कुल पंजीकृत यूनिटों की संख्या 252,764 है । बड़ी संख्या में यूनिट एवं विस्तार बिना पंजीकृत होते हैं ।

बोर्ड ने पहले सरकार सेसिफारिश करने का निर्णय किया था कि पंजीकरण का कार्य बड़े एस्टेटों के सम्बन्ध अपवाद लेकर छोड़ा जाय । कृषि, विस्तार एवं उत्पादन की सांख्यकी सामयिक सेनसेस द्वारा लिया जाय । यूनिटों की संख्या की गणना में पंजीकरण का कार्य आसान नहीं । सरकार के अनुकूल निर्णय के लिए यह कार्य रखा गया है ।

2. पुनरोपण सहायधन योजना

1957 में ये योजना शुरू हुई । लेकिन 1980 में रबड़ बागन विकास योजना के शुरू होने के बाद उसे रद्द किया ।

34,822 वैयक्तिक परमिटों के अधीन कुल 53,605 हेक्टर का पुनरोपण इस योजना के अधीन किया गया । नकद सहायधन के तौर पर 19.35 करोड रूपए और उत्पादकों के दुर्बल विभागों में अतिरिक्त सहायधन के तौर पर 2.38 करोड रूपए का वितरण किया था ।

3. कर्ज योजनायें

अपक्व क्षेत्रों के वैज्ञानिक संरक्षण एवं बागनों के विकास केलिये छोटे

उत्पादकों के लिये 1962-63, 1963-64 और 1966-67 सालों से बोर्ड द्वारा तीन कर्ज योजनाओं का कार्यान्वयन किया था । ये नवरोपण कर्ज योजना, संरक्षण कर्ज योजना, एवं संशोधित इन्टग्रेटड कर्ज योजना होते हैं । इन में पहले दो सूद रहित होते हैं । तीसरे केलिए सिर्फ पाँच प्रतिशत । 1979-80 में रबड़ नवरोपण सहायधन योजना के शुरू होने के बाद उक्त योजनायें रद्द की गयी ।

उक्त योजनाओं के परिणामों का संग्रह ऐसा है ।

योजना का नाम	विस्तार नवरोपित/संरक्षित हेक्टर	कर्ज एवं अन्य सहायता के तौर पर वितरण किया रकम। (रू. लाखों में)	वापसी रकम/ पीनल सूद के साथ वसूलित (रू. लाखों में)
नवरोपण कर्ज योजना	439.01	7.34	7.93
संरक्षण कर्ज योजना	304.73	2.63	2.68
संशोधित इन्टिग्रेटड कर्ज योजना	3113.38	80.36	90.04
कुल	3857.12	90.33	100.65

इस रिपोर्ट साल में संशोधित इन्टग्रेटड कर्ज योजना के अधीन 102,428.80 रू. वापस मिले /वसूल किये । अब संरक्षित कर्ज योजना के अधीन और संशोधित योजना के अधीन 43 मामले पूरी लौट अदायगी के लिए होती है । इनकी वसूली के लिये कानूनी कार्य लिये गये हैं ।

4. रबड़ नवरोपण सहायधन योजना 1979

1979 में एक वर्षीय पयलट योजना के तौर पर इसे शुरू किया । छोटे रबड़ बागनों में पुन पौधाई की वृद्धि इसका लक्ष्य था । टार्जेट 4000 हेक्टर था । दो हेक्टर तक के उत्पादकों को प्रति हेक्टर के लिये 7500/-रू. और दो हेक्टर से 20.23 हेक्टर तक के उत्पादकों को 5000/- रु का सहायधन दिया । 6 हेक्टर तक के उत्पादकों के लिये अतिरिक्त सहायधन भी है । पौधाई उद्देश्यों के लिये बैंक से कर्ज लेने वालों को 3% सूद सहायधन भी है । तकनीकी सहायता मुफ्त में दी जाती थी ।

इस योजना के अधीन 10,984 परमिट वालों द्वारा वास्तव में 6,532 हे. में पौधाई चलायी थी । कुल सहायधन 462.30 लाख रू. । सारी अदायगियाँ 1989-90 द्वारा पूरी की गयी ।

5. रबड़ बागन विकास योजना - चरण ।

प्राकृतिक रबड़ में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नवरोपण और पुनरोपण के तीव्रगति में विकास ही लक्ष्य है । इसके पहले के सारे अनुदान योजनाओं को स्थगित कर दिया । 1980-81 से 1984-85 तक के पाँच सालों में प्रति साल 12,000 हे. इलाका टार्गेट था । नवरोपण और पुनरोपण केलिए निम्न प्रकार का प्रोत्साहन दिया करता था ।

§1§ 20 हे. तक के उत्पादकों को प्रति हे. केलिए 5000/-रू. का पूँजी सहायधन 20 हे. से अधिक के उत्पादकों को प्रति हे. केलिए 3000/-रू ।

§2§ अनुमोदित पौधाई मालों एवं खादों के इस्तेमाल करने केलिए 6हे. तक के उत्पादकों को निवेश सहायतायें और मृदा संरक्षण कार्य केलिए प्रति हे. को 150/-रू. का अनुदान ।

§3§ इन सहायताओं के अनुपूरक के तौर पर "नबार्ड" के दीर्घकालीन कृषि कर्ज । प्रति हे. केलिए 15020/- रू. का अधिकतम कर्ज दिया जाता है । 6 हे. तक के कृषकों को 17000/-रू. और 6 से 20 हे. तक के कृषकों को 17000/- तथा 20 हे. से अधिकवालों को 18700/- रू. । सात वार्षिक बारियों में यह कर्ज दिया जाता है । पौधाई के 10 से 14 तक के पाँच बारियों में लौट देना है । सात वर्ष तक का सूद आठवीं और नौवीं साल में देय है ।

§4§ सूद का दर 12.50% है । सारे प्रकार के कृषकों को बोर्ड से 3% सूद अनुदान देता है ।

§5§ पौधाई और संरक्षण केलिए मुफ्त में सलाहकारी एवं प्रचार सेवा

31.3.1990 तक की प्रगति का संग्रह ऐसा है

	साल जिसे आवेदनों का संबंध है ।					योग
	1980	1981	1982	1983	1984	
जारी किये अनुदान पेरमिटों की संख्या	17544	19152	18937	21432	25262	102627
विस्तार - पेरमिट द्वारा	12098	13586	13869	15522	17482	72557
अंतिम कार्रवाई केलिए बकाये मामलों की संख्या	नहीं	12	14	41	233	300

इस साल 234.17 लाख रू. अनुदान के तौर पर वितरण किया था । इस योजना के शुरू होने के बाद 31.3.1991 तक कुल 3996.18 लाख रू. का सहायधन वितरण किया था ।

6. रबड बागन विकास योजना चरण - 2

1985 से इसका कार्यान्वयन हो रहा है । चरण 1 योजना में नवरोपण और पुनरोपण टार्जेट 60,000हे. था तो चरण -2 में सिर्फ 40,000 हे. थे ।

चरण-2 योजना में निम्न लिखित सहायतायें दी जाती है ।

(1) परम्परागत क्षेत्रों में पाँच हे. तक के कृषकों को और अपरंपरागत क्षेत्रों में सारे वर्गों के कृषकों की प्रति हे. केलिए 5000/- रू. के दर पर पूँजी सहायधन ।

(2) प्रति हे. में अधिकतम 450 पौधों केलिए, प्रति पौधे को 6/- रू. के दर पर, उच्च उपजित पौधाई मालों के (पोलीबाग पौधे) उपयोग के लिए निवेश अनुदान, परंपरागत क्षेत्र के 5 हे. से अधिक और इस योजना के अधीन पौधाई करनेवाले उत्पादक इस सहायता केलिए योग्य है ।

(3) "नबारड" के कृषि पुर्नवित्तीय योजना के अधीन बैंकों के कर्ज केलिए ये योग्य है । सात वार्षिक बारियों में कर्ज दी जाती है । पौधाई के दसवीं सालों से पाँच वार्षिक बारियों में लौट अदायगी । सातवीं वर्ष के अन्त तक का सूद आठवीं और नौवीं वर्ष में देय है ।

(4) सूद का साधारण दर प्रति साल केलिए 12.50% है । पूँजी अनुदान केलिए योग्य कृषकों को बोर्ड द्वारा प्रथम नौ वर्ष के सूद का तीन प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

(5) पौधाई, संरक्षण, टापिंग और प्रसंस्करण की अवस्थाओं में मुफ्त में सलाहकारी और प्रसारण सेवा ।

इस योजना की प्रगति का संग्रह दिया जाता है ।

	साल जिससे आवेदन का संबंध है					योग
	1985	1986	1987	1988	1989	
प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या	32298	29336	29205	30661	28895	150395
पौधाई चलाए मामलों की संख्या	32265	29200	29124	30493	28653	149735

निरीक्षण किए मामलों की संख्या	31,895	28797	28632	30233	26953	146510
निरीक्षण केलिए बकाये मामले	370	403	492	260	1700	3225
जारी किए पेरमिट	22924	20602	20913	21516	18309	104264
इनकार किए मामलों की संख्या	8356	6870	6521	6307	4334	32388
पेरमिट का क्षेत्र	15062	13935	14658	14994	13209	71858
निपटान केलिए बकाये मामलों की संख्या	615	1325	1198	2410	4310	9858

इस रिपोर्ट साल में सहायधन के तौर पर 71,198,117.00/- रु. अनुमोदन किया था । कुल 3,387.80 लाख रु. होता है ।

7. रबड़ बागन विकास योजना - चरन - 3

बोर्ड द्वारा इस योजना का फारमुलेशन नहीं हो सका है । आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में अनुमोदन की प्रतीक्षा की जाती है । जो भी हो वार्षिक योजना एवं बजट प्रोविशन अनुमोदन किया था अतः चरण दो के आधार पर चरन तीन का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

इस योजना के कार्यान्वयन का परिणाम ऐसा है:-

	1990 पौधाई
प्राप्त आवेदनों की संख्या	25952 नं.
पौधाई चलाये मामलों की संख्या	24231 नं
निरीक्षित मामलों की संख्या	17454 "
निरीक्षण केलिए बकाये बचत	6777 "
जारी किये पेरमिट	8536 "
इनकार किये मामले	1020 "
पेरमिट का क्षेत्र	6440 "
निपटान केलिए बकाये आवेदन	7898 "

8. रबड़ बागनों केलिए बीमा

1988-89 में नाशनल इन्श्युरनस बीमा कंपनी के सहयोग से इस योजना का कार्यान्वयन किया था । रिपोर्ट साल में भी इसका कार्यान्वयन जारी रखा । बीमा कंपनी के साथ के करार के अनुसार बोर्ड पहले ही एक मास्टर पोलिसी लेता है और वैयक्तिक रबड़ उत्पादक को पोलिसी प्रमाणपत्र देता है ।

उसे अपने प्रीमियम का देय रकम बोर्ड पर जमा करना है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उनके दावे का निरीक्षण किया जाता है। बोर्ड द्वारा उसके दावे का कार्य पूरा करता है। अतः वास्तव में बीमा का पूरा प्रशासनिक कार्य बोर्ड द्वारा किया जाता है।

आग, विस्फोट, बिजली, दावाग्नी, हवा, आँधी, आदि का नाश इस बीमा के अंदर आते हैं। रबड़ बागन विकास योजना के अधीन के सारे अपक्व एवं 22 साल तक के सारे पक्व बागनों केलिए बीमा का लाभ मिलता है।

1 से 8 तक के सालों के बागनों केलिए अधिकतम देयता प्रति हेक्टर केलिए 45,000 रु. होते हैं, प्रति पेड केलिए 41 रु. से 166 रु. तक। पक्व पेड़ों केलिए 60,000 रु. याने प्रति पेड़ केलिए 200 रु. से 250/- रु. तक। बीमा किये उत्पादक को अपक्व रबड के संबंध में 10% हानी भोगना पड़ता है और पक्व रबड केलिए 10% या 1000/- रु.

प्रीमियम का दर ऐसा है:-

अपक्व रबड़		रु./हे.
एक साल से कम	- आठ सालों केलिए	500
1 से 2 साल तक	,,	440
2 से 3 ,,	,,	380
स से 4 ,,	,,	330
4 से 5 ,,	,,	270
5 से 6 ,,	,,	200
6 से 7 ,,	,,	150
7 से 8 ,,	,,	90

पक्व रबड

8 से 22 सालों के बीच तीन सालों केलिए	473

31.3.1993 बोर्ड ने 4900 हे. अपक्व क्षेत्र एवं 1050 हेक्टर पक्व क्षेत्र के दो मास्टर पोलिसियों को स्वीकार किया। अपक्व क्षेत्र केलिए 4820.98 हेक्टर के लिये 5000 वैयक्तिक पोलिसी प्रमाणपत्र दिये थे। मास्टर पोलिसी के लिये 29.46 लाख रु. का प्रिमियम रकम दिये थे। वैयक्तिक उत्पादकों से पोलिसि प्रमाण पत्र की जारी के तौर पर 22.39 लाख रु. वसूल किये थे।

इस साल के अंत तक 92 प्रमाण पत्र धारियों को क्षतिपूर्ती के तौर पर 446,817.30 रु. दिये थे।

9. पौधाई मालों का उत्पादन, प्राप्ति एवं वितरण

बागनों की उत्पादिता बढ़ाने में उच्च उपजित पौधाई मालों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है । हर साल के उपयोग के लिए अनुमोदित उच्च उपजित पौधाई मालों की सूचि बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है । और हर एक के गुण दोष पर टिप्पणियों के साथ इसकी सूचि प्रकाशित की जाती है । ऐसे पौधाई मालों की लभ्यता एक न्यायिक मूल्य पर होने को लक्ष्य कर के प्रमुख रबड़ उत्पादित केन्द्रों में विभागीय रबड नर्सरियों को रखे हैं । कुल वार्षिक आवश्यकता के सिर्फ यह 15% ही होता है । लेकिन गुण एवं मूल्य के नियंत्रण में यह सहायक है । इस साल बोर्ड द्वारा संरक्षित नर्सरियों का विवरण ऐसा है:-

क्रम. सं.	नर्सरी का नाम	कुल विस्तार हे.	प्रदेश	नियंत्रण कार्यालय
परंपरागत क्षेत्र				
1.	केन्द्रीय नर्सरी, करिकाट्टूर	20.23	कोट्टयम जिला, केरल	केन्द्रीय कार्यालय
2.	प्रादेशिक नर्सरी, कडकामण	4.04	कोल्लम जिला केरल ।	प्रादेशिक कार्यालय, पुनलूर
3.	,, , पेरुमपुलिक्कल	4.00	पत्तनंतिट्टा जिला केरल ।	प्रादेशिक कार्यालय, अडूर
4.	,, , कंजिकुलम	4.88	पालघाड जिला, केरल ।	प्रादेशिक कार्यालय, पालघाड ।
5.	,, , मंजेरी	2.00	मलप्पुरम जिला, केरल ।	प्रादेशिक कार्यालय निलंबुर ।
6.	,, , पेरुवण्णामूषी	3.60	कोषिकोड जिला, केरल ।	प्रादेशिक कार्यालय कोषिकोड ।
7.	,, , उलिक्कल	5.20	कण्णूर जिला, केरल ।	प्रादेशिक कार्यालय तलश्शेरी
8.	,, , आलकोड	3.41	,,	प्रादेशिक कार्यालय तलिपरंपा ।
	योग :	47.36		
अपरंपरागत क्षेत्र				
1.	प्रादेशिक नर्सरी, देवरप्पल्ली	2.00	पूरब गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश	प्रादेशिक कार्यालय बरहामपुर
2.	प्रादेशिक नर्सरी, रानी वारो	8.00	गांजम जिला, ओरीसा	,,
3.	न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र, आंडमान	1.85	दक्षिण आंडमान, आं एंव नि दीपसमूह	एन आर इ टी सी आंडमान ।

4. प्रादेशिक नर्सरी, धोलबे	2.29	द. आंडमान, आ. नि. द्वीपसमूह	प्रादेशिक कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर
5. न्यूक्लियस रबड एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र नर्सरी, त्रिपुरा	7.00	पश्चिम त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा	एन आर इ टी सी, त्रिपुरा
6. प्रादेशिक नर्सरी, रंगुटिया	5.27	त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिला ।	प्रादेशिक कार्यालय, अगरतला ।
7. प्रादेशिक नर्सरी, दरांगिरी	10.62	गोलपारा जिला आसाम	प्रादेशिक कार्यालय गोहाटी ।
8. प्रादेशिक नर्सरी, देलो अजुर	5.00	कारबी आंगलोंग जिला, आसाम	प्रादेशिक कार्यालय, दिपु ।
9. प्रादेशिक नर्सरी, मिजुंदिशा	14.00	,,	,,
10. प्रादेशिक नर्सरी, बालचिरा	13.30	काचार जिला, आसाम ।	प्रादेशिक कार्यालय सिलचार ।
11. प्रादेशिक नर्सरी, हिलेरिया	14.32	,,	,,
12. जिला विकास केन्द्र नर्सरी, जेंजी रुकागी	3.60	वेस्ट गारो हिल्स जिला, मेघाल्या	सोणल ओफीस, गोहाटी ।
योग :	87.25		
कुल योग :	134.61		

यद्यपि अपरम्परागत क्षेत्र में नर्सरियों के लिए अर्जित कुल भूमि का विस्तार उपर्युक्त है तो भी वे विकास के अधीन है । वास्तव में 1990-91 में प्रभावी विकसित क्षेत्र का विस्तार सिर्फ 50% ही होता है ।

बोर्ड के नर्सरियों में तैयार किये पौधाई माल "न लाभ न हानी" के आधार पर उत्पादकों को दिया जाता है । वार्षिक लागत खर्च दिया जाता है ।

बोर्ड द्वारा कार्यान्वित एक पृथक योजना के अधीन पौधाई माल छोटे उत्पादकों को रियायति मूल्य पर दिया जाता है । अनुसंधान, प्रदर्शन, आदि के पौधाई केलिये कुछ संस्थाओं को भी मुफ्त में दिया जाता है ।

1990-91 में विभिन्न पौधाई मालों के लिए निर्धारित मूल्य ऐसा है:-

पौधाई माल एवं यूनिट	लागत मूल्य रू.	छोटे उत्पादकों को रियायती मूल्य
ग्रीन बड्ड स्टम्पस (प्रति स्टाम्प केलिए)	2.50	2.50
ब्रौण बड्ड स्टम्पस (प्रति स्टाम्प केलिए)		
क) 31.8.90 तक की पूर्ती	3.00	2.75
ख) 31.8.90 के बाद	3.50	3.25
पोली बाग पौधे(प्रति पौधे को)	8.00	8.00
बडवुड (प्रति मीटर केलिये)	6.00	4.00

नर्सरियों से कुल वितरित पौधाई मालों का परिणाम ऐसा है ।

ग्रीन बड्ड स्टम्पस	- 107,764 नं
ब्रौण बड्ड स्टम्पस	-1517,359 नं
पोली बाग पौधे	- 2,362 नं
बडवुड	- 26,506 मीटेर्स ।

1990-91 में रियायती मूल्य या मुफ्त में वितरण के लिये कुल सहायतित रकम 187,973.50 रुपए था ।

पहले सालों में परम्परागत क्षेत्रों के प्राइवट नर्सरियों से बड्ड स्टम्पस एवं बडवुड को इकट्ठा करता था । अपरम्परागत क्षेत्रों की कमी को निभाने के लिये उन्हें वितरण किया जाता था । लेकिन 1990-91 में गोवा और महाराष्ट्रा को छोड़कर अपरम्परागत क्षेत्रों में ऐसी पूर्ती नहीं हुई । प्रादेशिक नर्सरियों ~~बोर्ड~~ एवं प्राइवेट उद्यम कर्ताओं द्वारा ~~प्रादेशिक नर्सरियों~~ पूरी मात्रा दे सके । गोवा और महाराष्ट्रा में गोवा के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा पूर्ती कर सके । ये 103,427 बड्ड स्टम्पस होते हैं ।

तमिलनाड के कन्याकुमारी जिला से क्लोणल रबड बीजों को प्राप्त करके बडिंग के स्टोक बीजांकुरों केलिये अपरम्परागत क्षेत्रों में प्राइवट नर्सरियों एवं बोर्ड द्वारा स्वागत नर्सरियों को पूर्ती करते थे । इस साल ऐसे कुल 140.10 लाख बीजांकुरों को पाये और पूर्ती किये । इसके अतिरिक्त त्रिपुरा से 8.60 लाख बीजों को पाया और उत्तरपूर्वी राज्यों में वितरण किया ।

10. सलाहकारी एवं प्रसार सेवा

रबड पौधाई उत्पादन एवं प्रसंस्करण के वैज्ञानिक प्रणालियों पर सलाह देने

एवं विविध विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये इस विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा एस्टेटों एवं बागनों का संदर्शन किया करता था । उनमें सलाहकारी एवं प्रचार कारी कार्यों के कार्यान्वयन के लिये संदर्शनों की संख्या 165,660 होती है । इसके अतिरिक्त इस साल 4,199 संदर्शन भी किये थे । एस्टेटों के संदर्शन के अतिरिक्त उत्पादकों का सम्मेलन बुलाकर सेमिनार समूह चर्चा आदि भी चलाते थे । इस साल इस प्रकार के 1605 सम्मेलन चलाये थे । जिसमें 43,422 उत्पादकोंने भाग लिया था । इस विभाग के अधिकारियों द्वारा 29 आकाशवाणी भाषण/चर्चा में भाग लिये गये ।

11. टापिंग/क्रोप प्रसंस्करण और टापिंग पानल रोगों के उपजाऊ पर प्रदर्शन

प्रादेशि कार्यालयों से संबद्ध रबड़ टापिंग प्रदर्शकों द्वारा रबड़ बागनों का संदर्षन किया करते थे । एवं फसल समुपयोजन, फसल प्रसंस्करण और टापिंग पानल रोगों के नियंत्रण के वैज्ञानिक प्रणालियों पर प्रदर्शन एवं सलाह दिया करते थे । इस साल ऐसे संदर्शनों की कुल संख्या 8,546 थी ।

12. रबड़ टापेर्स एवं उत्पादकों केलिए प्रशिक्षण

बोर्ड द्वारा टापेर्स/उत्पादकों को टापिंग एवं सम्बन्धित कार्यों पर नियमित प्रशिक्षण टापेर्स प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दिया करता था । इस साल के अन्त में परंपरागत क्षेत्र में 27 केन्द्र एवं अपरंपरागत क्षेत्र में 8 केन्द्र कार्य करते थे । उनकी संख्या ऐसी है ।

प्रादेशिक कार्यालय जिसके अधीन स्कूल चलाया जाता है ।	विद्यालय का स्थान
1. नागरकोयिल	पाडप्पच्चा
2. तिरूवनंतपुरम	करिपुर
3. अडूर	कलंजूर
4. पुनलूर	वेट्टीक्कवला
5. ,,	पट्टाऴी
6. पत्तनंतिट्टा	मंदिरम
7. चंगनाश्शेरी	ताऴत्तुवडकरा
8. कोट्टयम	मडत्तिपरंप
9. कांजिरप्पल्ली	वंचिमला
10. पाला	पिऴक
11. तोडुपुऴा	वेंगलूर
12. कोतमंगलम	पानमकुऴी

13.	एरणाकुलम	पेलिनाड
14.	,,	वडपुकोड
15.	,,	कूरक्काड (करुकुलम)
16.	त्रिशूर	पुतियानम
17.	पालक्काड	पेलिक्काड
18.	कोषिक्कोड	मुकम
19.	निलंबुर	पुतियोड
20.	तलश्शेरी	मानंतवाडी
21.	,,	भालूर
22.	,,	चातिरूरमला
23.	तलिप्परंपा	मंगारा
24.	,,	पयूर
25.	,,	पुलिगोम
26.	कांञगाड	वेल्लरिकुंड
27.	,,	चुल्लीकरा
28.	मांगलूर	गांधीबागिलु
29.	,,	उदेन
30.	अगरतला	पाटीचेरी
31.	अगरतला	पत्तालिया
32.	,,	पुरी
33.	उदयपुर	साचिराम्पंरी
34.	गोहटी	औगुरी
35.	तिलु	धिलाई

आठ सप्ताहों के काल के लिए (अपरंपरागत केन्द्र और क्षेत्रों में 60 दिन) प्रशिक्षण दिया जाता था । छात्रों को डोरमिटरी सुविधाऐं और शिक्षावृत्ति देते थे । इसके लिए आवश्यक रबड़ पेड़ों को और मकानों को किराये पर लेते थे । प्रशिक्षण की माँग के आधार पर केन्द्रों को परिवर्तित करते थे । हर केन्द्र में इस साल पाँच सत्र चलाये थे । हर सत्र में 20 प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ाते थे । इस प्रकार साल में कुल 150 सत्रों में 2,807 उत्पादकों/कामगारों को प्रशिक्षण दिया था ।

कर्मचारियों के वेतन के अतिरिक्त कुल खर्च 1990-91 में 772,693 रूपए था ।

नियमित प्रशिक्षण के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा टापेर्स के लिये अल्प कालीन नवीनतम प्रशिक्षण भी चलाया करता था । हर प्रादेशिक कार्यालय के अधीन चुने हुए छोटे बागानों में ये सत्र चलाये थे । प्रतिदिन तीन घंटों के तौर पर छः दिनों के लिए प्रशिक्षण दिया था । इस साल इस प्रकार के 1983 नवीनतम प्रशिक्षण चलाये थे । इसमें 46,493 टापेर्स ने भाग लिया था । इसके लिए बोर्ड द्वारा कोई खर्च नहीं

करना पड़ा था ।

13. लेगुमिनस कवर क्रोप बीजों की प्राप्ति एवं वितरण

रबड़ के छोटे बागनों में एक लेगुमिनस भूसंरक्षी के तौर पर प्यूरेरिया के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य से इन बीजों की प्राप्ति और प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा परंपरागत एवं अपरंपरागत क्षेत्रों के छोटे उत्पादकों के 25% सहायधन के साथ प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा पोलीथीन पैकटों की वितरण करने की योजना जारी रखा । इस साल बोर्ड द्वारा वितरण के लिये 13,109 कि.ग्रा. कवरक्रोप बीजों की प्राप्ति की थी । इनमें 8,421 कि.ग्रा. छोटे उत्पादकों को वितरण किया ।

इस रिपोर्ट साल में बोर्ड ने त्रिपुरा से 6.700 कि.ग्राम मकूना को प्राप्त किया । और बोर्ड के विविध प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा दस ग्राम के पैकट पर प्रति पाकेट के लिए 25 पैसे के दर पर वितरण किया था ।

14. लघु वोलियम शक्ति संचालित/डस्टेर्स के वितरण की योजना

पत्र रोगों के नियंत्रण के लिये छोटे उत्पादकों के बीच लघु वोलियम शक्ति संचालित छिड़काव /धूलित्रों के उपयोग का प्रचार ही इसका लक्ष्य था । इस साल रबड़ उत्पादक संघों, सहकारिता संघों एवं व्यक्तियों को 105 लघु ओलियम छिड़कावों का वितरण किया था । मशीनों के लागत के सहायधन केलिए 719.750/- रु. खर्च किये । संस्थाओं को 50% से कम सहायधन और व्यक्तियों को 25% से कम सहायधन देता था ।

15. रबड़ शीटिंग रोलेर्स के पर्चेस के लिये छोटे उत्पादकों को सहायधन योजना

छोटे बागनों में उपजों के गुण को बढाने के लक्ष्य से बोर्ड ने इस योजना का कार्यान्वयन किया था । निधियों के अभाव के कारण पूरे आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो सकी । इस साल 952 रोलेर्स के पर्चेस के लिये सहायधन के तौर पर 999,500/-रु. का वितरण किया था । प्रति रोलर का मूल्य 8000/-रु. है । पहले के 95 रोलेर्स के लिए 1500/-रु. के तौर पर और बाकी 857 को 1000/-रु. के तौर पर सहायधन दिया ।

16. मधुमक्खी पालन के लिए संवर्धन

वर्षा के बाद पत्रधारिता के काल में शहद के लिए रबड़ बागान एक अच्छा स्रोत है। उत्पादित शहद से छोटे उत्पादकों को यह एक अतिरिक्त आय होता है। अतः इस योजना के कार्यान्वयन द्वारा कुल खर्च के 70% और 90% तक सहायधन देते हैं। साधरण यूनिट में चार छत्ते होते हैं। कुल खर्च 1750/- रु. होता है। इस साल 869 उत्पादकों ने 988,988.90/-रु. का लाभ उठाया था।

17. छोटे धूमघरों के निर्माण के लिये वैयक्तिक रबड़ उत्पादकों को आर्थिक सहायधन

सुधारित प्रसंस्करण एवं क्यूरिंग तकनीकों को स्वीकार करने में छोटे रबड़ उत्पादकों की सहायता करने के लिये 85 कि.ग्राम क्षमता के धूमघरों के निर्माण के लिये सहायधन देने की योजना एवं तकनीकी निदर्शन देने की योजना कार्यान्वयन किया। इस साल 284 धूमघरों का निर्माण किया इसके लिये 851,000/- रु. खर्च किये। सहायधन खर्च का 25% होता है।

18. रबड़ बागनों में सिंचाई के लिये आर्थिक सहायता

पौधों की वृद्धि अपक्व काल की कमी उपज में वृद्धि आदि के लिये सींचाई लाभकारी है। उत्पादकों की सहायता करने एवं रबड़ बागनों में सींचाई की वृद्धि के लिये बोर्ड ने आर्थिक सहायता देने की योजना का कार्यान्वयन किया।

इस योजना का अच्छा प्रभाव था इसलिये सारे आवेदनों का निटान न हो सका परम्परागत क्षेत्रों में 272 रबड़ उत्पादकों को 590,300/- रु. का वितरण किया। अपरम्परागत क्षेत्रों में 63 उत्पादकों को 4.73 लाख/- रु. दिये थे। आर्थिक सहायता के दर का विवरण ऐसा है :-

परम्परागत क्षेत्र	- छोटे उत्पादकों को प्रति हेक्टर के लिये 2,500/-रु. और बड़े उत्पादकों को 1,000/-रु। दोनों ने 5000/-रु. पर सीमित किया है।
अपरम्परागत क्षेत्र	- सारे वर्गों के उत्पादकों को प्रति हेक्टर के लिये 2500/-रु. प्रति उत्पादक को 5000/-रु सीमित किया है।

19. अपरम्परागत क्षेत्र में भाड़े के लिए सहायता

अपरम्परागत क्षेत्रों में रबड़ पौधाई के विकास में एक प्रमुख बाधा छोटे रबड़

पौधों में पशुओं का उपद्रव और यात्रियों का शल्य था । बागन सीमा का संरक्षण ही इसका परिहार है । लेकिन भारी खर्च के कारण असमर्थ ही रहे । अत: उनकी आर्थिक सहायता करने केलिये दो योजनाओं का कार्यान्वयन किया । पहला अनुसूचित जाति/वर्ग के उत्पादकों और दूसरा साधरण वर्ग के उत्पादकों के लिए इस साल 2,699,520/-रु. मूल्यवान 165 मे. टण बारबड वयर की पूर्ति के लिये आर्डर किया था । 783.187/-रु. मूल्यवान 50.12 मे. टण ही पूर्ती कर सके । अनुसूचित वर्ग एवं जाती के उत्पादकों केलिए 210 हेक्टर भाडे के लिए वितरण किया । सामान्य वर्ग के 119 कृषकों को 422.988/- रु. का वितरण किया जो 493 हेक्टर में भाडे केलिये था । सहायधन का दर ऐसा है:-

बागन का वर्ग	सहायधन अनुसूचित जाति/वर्ग प्रति हे. केलिये	सहायधन सामान्य वर्ग प्रति हे. केलिए
1 हेक्टर तक	4,000 रु.	1,500 रु
1 हेक्टर से 2 हे. तक	3,000 रु.	1200 रु.
2 हेक्टर से 5 हे. तक	2,000 रु.	1000 रु.

20. <u>अपरम्परागत क्षेत्रों में छोटे उत्पादकों को बागन मालों की पूर्ति की योजना</u>

अपरम्परागत क्षेत्रों में अधिकांश रबड उत्पादक छोटे एवं गरीब है । जो रबड बोर्ड की सहायता से ही रबड की पौधाई चलाते है । बड़ी संख्या के बागन उपजित अवस्था पर पहुँचे हैं । इन स्थानों में टापिंग चाकू, लाटक्स संग्रहित कप, कागुलेटिंग पान रबड शीटिंग रोलर आदि लभ्य नहीं । इन्हें पाने में उत्पादकों को कठिनाई आती है । इस परिस्थिति में इन मालों की प्राप्ति के लिये योजना बनायी है । बोर्ड के खाते पर परिवहन वितरण आदि की खर्च होती है । 1990-91 में अपरम्परागत क्षेत्र के योग्य उत्पादकों को वितरण केलिये निम्न लिखित मालों की पूर्ति की थी ।

क्रम. सं	मद	परिमाण
1.	रबड शीट रोलर	47 नं.
2.	टापिंग नैफ	185 नं.
3.	प्लास्टिक कप	3000 नं
4.	अलुमिनियम सीव	60 नं
5.	अलुमिनियम डिष	1200 नं.
6.	रबड कोट	900 कि. ग्रा.

7.	एमिसान	30 कि. ग्रा.
8.	कप हांगर	22000 नं.
9.	स्पौट	22000 नं.

इन सामानों की मूल्य पर 463,386.65/- रु खर्च किये । सहायधन 187,419.50/- रु. होता है ।

21. <u>उत्तर पूर्वी रबड़ विकास योजना</u>

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ बागन के तीव्र विकास के लिये बोर्ड द्वारा यह योजना 1982 आगस्ट में सरकार को प्रस्तुत किया गया । इसके अधीन तीन घटकों के कार्यान्वयन द्वारा रबड़ बागनों के कार्यान्वयन द्वारा रबड़ बागनों के प्रसार एवं विकास के तीव्र करना इसका लक्ष्य था । वे हैं:-

1) अगरतला एवं गोहटी के वर्तमान प्रादेशिक कार्यालयों के विकास द्वारा बोर्ड के संगठनात्मक मशीनरी का विकास । सिलचार में एक प्रादेशिक कार्यालय और गोहटी में एक नया मण्डल कार्यालय खोलना ।

2) गोहटी में मुख्य कार्यालय के साथ एक अनुसंधान कोम्प्लक्स और त्रिपुरा, आसाम, मेघालया और मिसोराम में एक एक प्रादेशिक कार्यालय खोलना ।

3) त्रिपुरा में 1000 हेक्टर न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ।

छःसाल के हाल में 24,000 हे. में रबड़ पौधाई का विस्तार लक्ष्य बनाया । याने पहले तीन सालों में प्रति साल 3000 और अगले तीन सालों में प्रति साल 5000 हेक्टर । रबड़ उत्पादन विभाग द्वारा पहले और तीसरे के कार्यान्वयन और रबड़ अनुसंधान विभाग द्वारा दूसरे का कार्यान्वयन किया ।

छः साल के लिये कुल आर्थिक खर्च 618 लाख रु. हैं । 1984-85 के मध्य में सरकार द्वारा इस योजना का अनुमोदन मिला ।

साल		पौधाई के लिये टार्जेट हे.	वास्तव में पौधाई का विस्तार (हे.)
1984-85		3,000	1,150
1985-86		3,000	1,800
1986-87		3,000	3,000
	योग	9,000	5,950
1987-88		5,000	4,560
1988-89		5,000	5,645
1989-90		5,000	7,000
	योग	15,000	17,205
	कुल योग	24,000	23,155

इस योजना के कार्यान्वयन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था ।

1) योजना कार्यान्वयन का अनुमोदन 1984-85 साल में देर से ही मिला ।

2) सामाजिक राजनैतिक उपद्रव और सारे प्रान्तों में प्राकृतिक कलाप।

3) प्रांत के अन्तर पर्याप्त पौधाई मालों की अलभ्यता । उत्तर पूर्वी परिषद की आर्थिक सहायता और नर्सरियों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा करना था । और पौधाई मालों की लभ्यता करना था । लेकिन यह तो एक छोटे हद तक ही सफल हुआ ।

4) भूअर्जन में देरी - जिसके फलस्वरूप कार्यालय एवं निवास स्थानों के मकान के निर्माण में प्रतिबंध ।

5) वनपरिरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वनभूमि की अलभ्यता ।

6) पशुओं द्वारा बागनों का नाश ।

बोर्ड को कई कठिनाइयों द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन करना पड़ा । पौधाई मालों के सम्बन्ध में सारे लभ्य परम्परागत केन्द्रों से प्राप्त करेके यहाँ कृषकों को दिया । प्राइवट सेक्टर में वाणिज्यक नर्सरियाँ तथा विभागीय नर्सरियाँ शुरू किये । वन संरक्षण अधिनियम के फलस्वरूप एक गहन बागन योजना को रूप न दे सका । छोटे उद्यम कर्ता आर्थिक रूप से नीचे थे । पौधाई मालों की प्राप्ति एवं पूर्ति उनके द्वारा नहीं चलाये गये । उन्हें मुफ्त में माल देने पड़ा । पशुओं के शरीर से बचाने केलिये सीमा संरक्षण के लिये एक विशेष योजना का कार्यान्वयन किया । त्रिपुरा में एन आर इ टी सी के लिये भूअर्जन में कई कठिनाई हुई । राज्य सरकार से समझौता करके 15 हे. भूमि और 400 हे. भूमि पहले 1986-87 और 87-88 में बोर्ड को मिला । लेकिन इनमें 100 हे. सरकार द्वारा वापस लिया गया और 90-91 में इससे बहुत दूर पर 100 हेक्टर भूमि दिये । इस योजना काल में पहले के 115 हे. का विकास किया । 400 हे. में 1990-91 में भी विकास कार्य शुरू किये ।

उत्तर पूर्व में आठ प्रादेशिक नर्सरियों की स्थापना शुरू किये । 1990-91 के साथ-साथ इन नर्सरियों और वैयक्तिक क्षेत्र की नर्सरियों द्वारा पौधाई मालों की आवश्यकता निभा सके । अनुमोदित योजना के प्रादेशिक कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त उदयपुर, तुरा, दिपु, और जोरहट में अतिरिक्त प्रादेशिक कार्यालय खोलना पड़ा था । अगरतला और तुरा में प्रादेशिक कार्यालयों एवं निवास स्थानों के मकानों का निर्माण शुरू किये ।

1990-91 में इसके कार्यान्वयन के सिल सिले में योजना जारी रखी थी । इसका अनुमोदन भी मिल गया । 3000 हेक्टर में पौधाई करने का अनुमान किया है । एन आर इ टी सी द्वारा बड़ी संख्या में कर्षकों को प्रशिक्षण योजना चलायी गयी त्रिपुरा के पानिसेरी में एक टापेर्स फसल प्रसंस्करण

और टापिंग पानल रोगों के नियंत्रण में 148 कामगारों को प्रशिक्षण दिया । 400 हेक्टर के 23 हेक्टर क्षेत्र में भी बागन का विस्तार किया ।

हज़ारों की संख्या में छोटे भूस्वामी . रबड़ पौधाई के लिये अब आगे आ रहे हैं । भविष्य विकास केलिए यह अच्छा कदम है । अतः आठवीं योजना में यह प्रस्तावित किया गया है कि उत्तर पूर्वी प्रांतों में 5000 हेक्टर में पौधाई कर सके ।

22. पूर्वभारत रबड़ विकास योजना

उडीसा, आन्ध्र प्रदेश का तीर, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बस्तार जिला जैसे अपरम्परागत क्षेत्रों में रबड़ बागन विकास की बढ़ी हुई संभावना को ध्यान में रखकर 1987 में बोर्ड ने एक प्रस्ताव को रखा था । 1988 में सरकार ने निम्न प्रकार से इस योजना के लिये अनुमोदन दिया ।

1) उडीसा में 200 हेक्टर अनुसंधान फार्म की स्थापना

2) 200 हें. न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट और प्रशिक्षण केन्द्र की योजना

3) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस प्रदेश में 1000 हें. रबड़ बागनों की विकास की सहायता ।

इन में दूसरा और तीसरा रबड़ उत्पादन विभाग द्वारा कार्यान्वित करना था ।

यहाँ बोर्ड की कोई स्थापना अब नहीं थी । 1988 में ही भुवनेश्वर में एक मण्डल कार्यालय को खोला । बारीपांडा, भुवनेश्वर और बरहामपुर में भी प्रादेशिक कार्य शुरू किये । पूर्व गोदावरी जिले के मरेडुमिल्ली में एक सहायक विकास अधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय भी खुला । गंजाम जिले के राणीबारो और आन्ध्र प्रदेश के मरेड मिल्ली में एक एक प्रादेशिक नर्सरी खोले ।

1989-90 तक के अंत तक इस प्रदेश में बोर्ड द्वारा किये प्रचार एवं विकास कार्यों के फलस्वरूप निम्न प्रकार से रबड़ बागन की स्थापना कर सके ।

उडीसा		-- 200 हे.
आन्ध्र प्रदेश		-- 160 "
मध्य प्रदेश		-- 2 हे.
	योग	362 हें.

उडीसा राज्य सरकार ने वन एवं बागान विकास कार्य में लगे हुए अपने तीन निगमों से 1000 हें में रबड़ बागान विकास के कार्य करने को आदेश दिया है । दो निगमों ने योजना शुरू की।लेकिन वन परिरक्षण अधिनियम के अधीन वन भूमियों में रबड़ पौधाई के निरोध के कारण यह कार्य बंद कराना पड़ा । आन्ध्र प्रदेश में सम्बन्धित सरकारी अभिकर्ताओं द्वारा आदिवासी विकास योजना के अधीन रबड़ पौधाई चलायी जाती है । उडीसा में वैयक्तिक भूस्वामी रबड़ पौधाई के लिये आगे आये हैं ।

1990-91 साल में रबड़ पौधाई का विकास कार्य ऐसा था ।

उडीसा	-- 56हे.
आंध्रप्रदेश	-- 43 हे.
कुल	99 हे.

यह प्रतीक्षा की जाती है कि आगामी सालों में प्रभावी फल निकलेगा ।

23. आन्डमानस में न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट और प्रशिक्षण केन्द्र

आन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के द. आंडमान में रबड़ बोर्ड ने 1965-74 तक के सालों में 202.55 हेक्टर में रबड़ पौधाई की थी और रबड़ अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की स्थापना की थी । द्वीपों में रबड़ बागनों के विकास के लिए मूल रूप से यह पयलट प्रोजक्ट था । बर्मा से भारतीय पुनरधिवासियों के लिये यह लाभकारी हो गया । बागन की स्थापना के लिये पूरा खर्च भारत सरकार के पुनरधिवास मंत्रालय द्वारा किया जाता है । 1975 में इस केन्द्र को बोर्ड के पूरे नियंत्रण में हस्तातरित किया । 1985 में एक न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट और प्रशिक्षण केन्द्र के तौर पर इस के विकास के लिये प्रस्ताव रखा । जिससे पूरे द्वीपों के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्य निभा सके । 1986 में भारत सरकार ने इस योजना का अनुमोदन दिया इस योजना के लिये कुल अनुमानित खर्च 114 लाख रूपए था । 1989-90 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह कार्य पूरा करना था ।

इस योजना के कार्यान्वयन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । आन्डमान लोक निर्माण विभाग को मिलाकर स्थानीय अभिकर्ताओं ने सिविल निर्माण कार्य लेने में इनकार किये । बागन श्रमिकों के साथ उद्योग तर्क ही

कारण था । अब यह अनुमानित किया जाता है कि 1991 - 93 के प्रारंभ में यहाँ विकास कार्य पूरा किया जायगा ।

1990 - 91 में राष्ट्रीय मकान निर्माण निगम ने सिविल निर्माण एवं अन्य कार्यों का उत्तरदायित्व ले लिया । कार्य की प्रगति हुई । बागन श्रमिकों के साथ का औद्योगिक तर्क कलकत्ता उच्च न्यायालय में बकाये निपटान में हैं । का गारों ने "गो - स्लो" प्रणाली को स्वीकार किया । जिसके फलस्वरूप उ उत्पादित एवं उत्पादन में बाधा पड़ गयी , तर्कों को निपटाने के लिये श्रम हो रहा है ।

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

एम. एस. के/8. 8. 91

भाग - 4 रबड़ अनुसंधान

अनुसंधान विकास

परम्परागत एवं अपरम्परागत क्षेत्र के लिए आवश्याधिष्ठित अनुसंधान कार्यों पर भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्था लगे रहे थे। उत्पादित वृद्धि, कृषि प्रबंधन कार्य और पौधाई के बाद के तकनोलजी आदि से संबंधित विविध पहलुओं पर निरीक्षण करते रहे। सही सलाहकारी सहायता और समस्याओं के क्षेत्रीय अध्ययन पर प्रधानता दी थी।

कृषि/मृदा प्रभाग

विविध कार्षिक क्षेत्रों में पक्व एवं अपक्व अवस्था पर विभिन्न क्लोण के पौष्टिक आवश्यकताओं पर कृषि एवं मृदा प्रभाग द्वारा निरीक्षण जारी रखे। सींचाई और अंटर फसल, खाद प्रयोग की प्रणाली, रबड़ के लिए जल आवश्यकता समझाने के लिसी मीटर अध्ययन आदि पर भी निरीक्षण करते रहे।

पौष्टिक अध्ययन पर परीक्षणों में उपचार मृदा एवं पत्र नमूनों के संग्रह और निरीक्षणों का अभिलेखन तथा उनका विश्लेषण भी किया था। आर आर ऐ ऐ 105 और पी बी 35 क्लोण के अध्ययनों में स्थापित किया कि 30कि.ग्रा. एन एच ए 1, 30 कि.ग्राम फोसफरस पी 2 ओ 5 और 20 कि.ग्रा. पोटासियम के2ओ ने परिधि के सम्बन्ध में सबसे ऊँची वृद्धि दिखाई। अधिक मात्राओं का प्रयोग लाभकारी नहीं था। खादों के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता के तुलनात्मक परीक्षणों के प्राथमिक परिणाम ने सिद्ध किया कि खाद मिश्र और कोम्प्लक्स खाद पक्व रबड़ के लिए उचित पोषक था।

पौधाई की सांद्रता पर क्षेत्रीय परीक्षणों में प्रति हेक्टर में 445 से 598 पौधों ने प्राथमिक अवस्था पर कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं दिखाया था। खादों के विविध मात्राओं ने भी कुछ भेद नहीं दिखाये। सींचाई एवं आर्द्रता प्रबंधन पर परीक्षणों में उपचार एवं विविध निरीक्षणों का अभिलेखन चलाया था। अपक्व रबड़ों के सम्बन्ध में ग्रीष्म महीनों में दैनिक ड्रिप+ सींचाई (मिक्रो सींचाई) वृद्धि बढ़ाते हुए दिखाई पड़ा। टापिंग चलानेवाले रबड़ों के सम्बन्ध में ग्रीष्म में ड्रिप/सिंचाई द्वारा उपजों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं दिखाई पड़ी। लिसी मीटर अध्ययन में दिखाया कि दो वर्षीय रबड़ पौधों के लिए ग्रीष्म महीनों में दैनिक जल आवश्यकता 4.92 मि.मीटर थी। मृदा एवं जल परीक्षण अध्ययनों पर यह दिखाई पड़ा कि मृदा परीक्षण प्रणाली जैसे कोंटूर टर्स, कोंटूर ट्रचस, कवर क्रोप्स, मृदा क्षरोसिन को कम करने में प्रभावी था।

अपक्व रबड़ में बीच के फसल पर निरीक्षणात्मक प्रयोग में रबड़ की वृद्धि अच्छी थी। कोफी एवं कोको अन्दर फसलों के सम्बन्ध में रबड़ की वृद्धि में एक सीमा तक बाध्यतित किया था।

पौधाई छायेदार पेड़ों के बिना कालीमिर्च को अन्दर फसल के रूप में था

तो विरुद्ध प्रभाव कम था । सींचाई रहित अवस्था में कोको की वृद्धि हुई थी । पक्व रबड़ के अध्ययन में जहाँ दो तरह के कोफी रोबस्टा और कावेरी पौधाई किये तो रबड़ की वृद्धि में बाध्यतित दिखाई नहीं पड़ा । जो भी हो चार सालों के वृद्धि के साथ भी खूब उपचार किये जाने पर भी कोफी फल देने नहीं लगे हैं ।

विविध देशी रोक फोसफेटों के विघटन स्थिति पर अध्ययन चल रहा था । यह दिखाई पड़ा कि प्राथमिक सालों में वृद्धि बढ़ाने के लिए वाटर सोलुबिल फास उचित था । विविध नैट्रजनस खादों की तुलना करने के लिए क्षेत्रीय परीक्षणों में कांच पर अध्ययन के परिणामों ने दिखाया कि अनकोटड से भी कोटड प्रकार महत्वपूर्ण था । अमोणियम सलफेट और यूरियाकी तुलना पर नर्सरी परीक्षण में अमोणियम सलफेट ने ऊँचे मृदा सलफर और वृद्धि दिखाये थे । डी आर ऐ एम की उपयोगिता के लिए छः क्लोणों से संग्रहित उपज डाटा का सारणीकरण किया था । 800 नमूनों के एन पी के सी ए और मागनीष्यम केलिए फोलियो विश्लेषणात्मक मूल्यों का सारणीकरण किया था और प्रमुख अनुपात समझ लिये । मोबइल प्रयोग शालाओं में रिफैन टिश्यू विश्लेषण के निरीक्षण करते रहे । रबड़ पतों पर के कालसियम और मागनीष्यम के अनुमान के लिए नयी प्रणाली खोज निकाली । 30 नमूनों पर यह परीक्षण किया । डाटा विश्लेषणाधीन है ।

11,611 मृदा एवं 16000 पते नमूनों के विश्लेषण के आधार पर खादिक सिफारिश किये थे । परीक्षणात्मक उद्देश्यों के लिए 1333 पत्र नमूने और 1605 मृदा नमूनों का विश्लेषण किया । इस साल में चार वैज्ञानिक प्रबंधों का प्रकाशन किया था ।

वनस्पति प्रभाग

प्रजनन एवं वोकर चुनावों द्वारा पेड़ों की वृद्धि का अध्ययन इस प्रभाव का मुख्य कार्य था । संचरण शरीर विज्ञान एवं कोशिकानुवंशिकी पर निरीक्षण करते रहे ।

1. प्रजनन एवं चुनाव

1986 संग्रहण योजना से हम ने 148 क्लोणों को चुन लिया और 1990 में केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन चेत्तक्कल में आठ लघु पैमाने के परीक्षण में उनकी स्थापना की । 1982 एच पी क्लोण के 5.50 साल वृद्धि के अपक्व उपजों पर 15 क्लोण ने 20% उपज वृद्धि दिखायी। इसके अतिरिक्त आर आर ऐ ऐ 105, आर आर ऐ एम 600 और जी टी । को मिलाकर 1990 संग्रहण योजना के 262 चुने हुए बीजांकुरों को चुन लिए और नर्सरी में स्थापना की ।

वोर्टड चुनाव कार्य जारी करते रहे । चेरुवल्ली एस्टेट के 61 ओरटट चुनावों के लघुस्तरीय परीक्षणों में 20 क्लोण ने वृद्धि मापन में आर आर ऐ एम 600, 105 और जी टी । की तुलना में अधिक ओज दिखायी पड़े । कोनिया एस्टेट से 50 क्लोण चुन लिये, गुणीकरण किये और बुश नर्सरी में स्थापित किया ।

1991 पौधाई मौसम परीक्षण चलाने के लिए उनका और भी गुणीकरण किया । उपज एवं अन्य गौण स्वभावों के आधार पर कोडुमण एस्टेट से 50 मातृ पेड़ों को चुन लिया । छोटे एस्टेटों से लघु स्तरीय परीक्षण के लिए 10 ओर्टेट चुनावों का गुणीकरण किया ।

सारे क्षेत्रीय परीक्षणों में मासिक उपज अंकन वार्षिक परिधि अभिलेखन और गौण स्वभावों का अभिलेखन किया था । 1973 क्लोण परीक्षणों में आर आर ऐ ऐ 208 और आर आर ऐ ऐ 203 ने सब से अधिक उपजित सिद्ध हुए । प्रति टापिंग में प्रति पेड़ से 57.12 और55.14 ग्राम उपज मिले । 1978 के क्लोण परीक्षण में 11 क्लोणों में 2 क्लोण (एच पी 427 और एच पी 115) अधिक उपजित सिद्ध हुए । 1977 क्लोण परीक्षण में आर आर ऐ ऐ 176 और आर आर ऐ ऐ 178 ने अधिक उपजित सिद्ध किये । हेविया ब्रीडिंग उपकेन्द्र, नेट्टाना में 12 क्लोणों के कुल पोलीनेटड संततियों और उनके पेरेंट्स पर अध्ययन चलाया था ।

2. संचरण और पौधाई प्रणालियाँ

त्रिपुरा में बड्डिंग के लिए अनुकूल मौसम का पता लगाने के लिये बड्डिंग परीक्षण चलाये थे । पौधाई के गहराई पर अध्ययन चल रहा था । विभिन्न प्रकार के पोलीबागों को नर्सरी में रखे थे । पौधाई बाग पौधों के प्रभाव पर अध्ययन करने के लिये मृदा में बड यूनियन के साथ एक परीक्षण चलाया था ।

1984 के 14 विभिन्न स्टोक मिश्रणों के साथ परीक्षण क्षेत्रों में वार्षिक परिधि मापन और गौण स्वभावों को अभिलेखित किया था । विभिन्न स्टोक कोम्बिनेन्टों में आर आर ऐ ऐ 203 में अधिक वृद्धि दिखाई थी ।

3. शरीर विज्ञान

पौधाई के चौथे साल में 11 क्लोण के छाल का अध्ययन किया और प्रारंभिक प्रीडिक्शन और अन्य गौण स्वभावों के लिये डाटा का संग्रह किया । अनाटमिकल पारामीटर पर विस्तृत विश्लेषण से लाटक्स वेसल सिराओं की संख्या में अधिक हेरिटबिलिटी सिद्ध हुआ । लाटक्स वेसल सिराओं की कुल संख्या और कुल छाल मोटाई ने रसीडुल छाल में लाटक्स वेसल सिराओं के साथ सह संबंध सिद्ध किया। अधिक उपज केलिये नवीकृत छाल में डीपर टापिंग का प्रस्ताव रखा है । जुवानइल अवस्था में शुष्क क्षमता के स्टमाटल स्वभाव पर डाटा का संग्रह किया था । एवं शरीर विज्ञान स्वभावों के इन्टर क्लोणल विविधताओं पर अध्ययन जारी रखा है । उद्दीपित रबड़ काट केकाट योग्यता पर अध्ययन चल रहा था । क्लोण पी बी 86 के काट का पोरोसिटी अध्ययन हो रहा था ।

4. कोशिकानुवंशिकी

किरणित एवं पोली क्लोइड मांलों के साथ परीक्षणों में उपज अंकन एवं

वार्षिक परिधि मापन चलाया था । उपज एवं गौण स्वभावों के आधार पर 1977 क्लोण परीक्षण से (किरणित) दस क्लोणों को चुन लिए गुणीकरण किये और पोली बाग में बड्ग्राफ्टड पौधों को तैयार किये । पुरूष, स्टेरैल क्लोण के संततियों से चुने हुए क्लोणों का गुणीकरण किया और मूल्यांकन केलिए पोलीबाग में रखे । सिंथैसिड ट्रिप्लोइड पर तुलनात्मक साइटोमोरफोलोजिकल अध्ययन किया और जननिक अनुसंधान एवं शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रबंध प्रस्तुत किया ।

आर आर ऐऐ105 के पोलीबाग बड्ड पौधों का वृद्धि स्वभाव का अध्ययन किया । क्षेत्र में क्लोणों का विकास करने के लक्ष्य से 4000 हस्त परागण चलाये थे ।

इस रिपोर्ट साल में इस प्रभाग द्वारा 15 वैज्ञानिक प्रबंधों का प्रकाशन किये गये ।

बयोटक्नोलजी प्रभाग

रबड के विविध क्लोणों के लिए कई टिष्यु कल्चर संचरण प्रणालियों का विकास किये । 1990 जून में अधिक परीक्षण के लिए 90 पौधों की पौधाई की । नये स्वभाव मिश्रणों के साथ पौधों की स्थापना के लिए आन्ध्रा कल्चर अध्ययन शुरू किया था । जो परम्परागत पौधे प्रजनन के परे थे । ऐसे कुछ पौधों का रिजनरेट किया और क्षेत्र में पौधाई की ।

1990 के अन्त में प्रोटो प्लास्ट कल्चर योजना शुरू किये । जिस के द्वारा वैज्ञानिक गुणों का पूरा उपयोग कर सके ।

जर्मप्लासम प्रभाग

हीविया जर्मप्लाज़्म की स्थापना संग्रह परिरक्षण और मूल्यांकन पर यह प्रभाग लगे रहे । प्रयोग शाला एवं अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए कार्रवाई हो रही है ।

रबड अनुसंधान संस्थान मलेश्या से इस साल ब्रसीलियन जर्मप्लाज़्म के 275 वैल्ड जनोटाइप्स को तैयार किये । इन मलों का गुणीकरण किया और केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन के बुश नर्सरी में गुणीकरण किया अब कुल 4702 ब्रसीलियन जर्मप्लासम को रखा है । वे स्वभावों के विभिन्न अवस्थाओं एवं मूल्यांकन पर है ।

पुराने क्लोण एवं प्रचलित क्लोण को मिलाकर तीन परिरक्षण उद्यानों को रखा है । डाटा का नियमित संग्रह किया था और फसल सुधार योजना के लिए उपयोग किया । एक उच्च उत्पादित एक्सोटिक क्लोण के भाग के तौर पर एक बिलाटरल क्लोण एक्सचेंच प्रोग्राम के लिए आर आर ऐ ऐ, ऐ आर सी ए, ऐवरी कोस्ट के बीच करार किया ।

पौधा शरीर विज्ञान एवं समुपयोजन प्रभाग

समुपयोजन (टापिंग), परिस्थितिक पौधा शरीर विज्ञान, जीवरसायन, और औषधि पौधों के क्षेत्र में इस प्रभाग द्वारा परीक्षण चलाये गये । समुपयोजन के क्षेत्र में पुराने परीक्षण जारी रखे और नियंत्रित टापिंग पर एक नया परीक्षण शुरू किया था ।

तीसरे दैनिक टापिंग किये पेड़ों में ब्रौण बास्ट कम एक नये "गौण" चाकू का फाब्रिकेशन किया । और नियंत्रित टापिंग के लिए योग्य सिद्ध हुआ ।

औषधि पौधा स्ट्रोबुलानथस ने 2. 50 साल की वृद्धि के बाद पक्व बागन में प्रति हेक्टर के लिए 5. 3 टण उपजित किये । अडा तोडा और प्लम बागो से उपज क्रमशः 4. 2 और 4. 10 टण था । रबड़ पेड़ों के उपजों पर औषधि पौधों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक नया परीक्षण शुरू किया था ।

डापचेरी में (महाराष्ट्रा) आर आर ऐ एम 600 आर आर ऐ ऐ 612 तजीर । और पी आर 107 ने अधिक वृद्धि दिखाई । इन क्लोणों में इस स्टेशन में सबसे पहले टापिंग शुरू किया था । मुङ्गिगम में क्लोण आर आर ऐ एम 703, आर आर ऐ एम 612, आर आर ऐ एम 600 ने अधिक वृद्धि दिखाई । वयनाड में क्लोण आर आर ऐ 118 आर आर ऐ 203 आर आर ऐ एम 612 और आर आर ऐ एम 600 अधिक वृद्धि वाले दिखाई पड़े ।

मलबार क्षेत्रों में कम उपज़ित दिखाई पड़े डापचेरी में सींचाई परीक्षणों ने उच्च मात्रा में जल आवश्यकता सिद्ध किया । हैविया में गर्मी के समय फोटो सिन्तसिस का निरोध किया । ग्रीष्म एवं वर्षा मौसम पर फोटोसिन्तसिस ने यूनिट लीफ एरिया में क्लोणल परिवर्तन साबित नहीं हुआ।

डापचेरी में जब विकसित पौधों का क्षेत्रीय परीक्षण किया तो ग्रीष्म महीनों पर शेंडिंग ज़रूरी नहीं था जो भी हो शेडिंग ने वृद्धि में महत्वपूर्ण विकास सिद्ध किया । परम्परागत शेडिंग से कोन्टाक्ट शेडिंग सस्ता है । इस रिपोर्ट साल में इस प्रभाग पाँच अनुसंधान प्रबंधों का प्रकाशन किया था ।

कवक विज्ञान एवं लोक विज्ञान प्रभाग

रबड़ छिड़काव के लिए कोपर कवकनाशी की मात्रा पर क्लोण पर प्रादेशिकवार सिफारिशों के मूल्यांकन केलिए असामान्य पत्रपतन रोग के नियंत्रण पर एक नया परीक्षण शुरू किया था । आर आर ऐ ऐ 105 के दो स्थानों पर यह परीक्षण में सुधारित 10 सी छिड़काव स्प्रे तेल लम्बे काल केलिए प्रभावी नहीं सिद्ध हुआ । उच्च वोलियम छिड़काव परीक्षण में प्रति हेक्टर के लिए 3000 लिटर बोर्डियाक्स मिश्रण द्वारा पालियप्पल्ली प्रदेश में आर आर ऐ ऐ 105 केलिए 75% पत्रधारिता दिखाई पड़ी । ऐ पवर स्प्रेयर का परीक्षण किया और रबड़ छिड़काव

केलिए सफल सिद्ध हुआ । केन्द्रीय परीक्षण केन्द्र चेत्तकल में अपसामान्य पत्र पतन रोग के कारण उपज नाश के अध्ययन में आर आर ऐ एम 600 पर पत्र पतन दिखाई पड़े । आर आर ऐ ऐ 105, आर ऐ ऐ 118, और जी टी 1 में पत्र पतन नहीं था । छिड़काये स्थानों में पत्रधारिता 69.96 थी तो बिना छिड़काये क्षेत्रों में 36.8 थी । पी बी 31 की शाखाओं में क्रौण वृद्ध परिधि में कमी दिखाई पड़ी ।

पिंक रोग के नियंत्रण के लिये प्रोफिलारिक छिड़काव पर एक परीक्षण शुरू किया था लेकिन कोई लाभ सिद्ध नहीं हुआ । आवर्तित क्षेत्रीय परीक्षण में पत्र स्तम्भ रोग के नियंत्रण केलिए हैथेन एम 45 अधिक प्रभावी एवं आर्थिक कवकनाशी सिद्ध हुआ । रैसोक्टियम के दो पृथक्करणों के प्रभाव का प्रदर्शन करने केलिए 14 एस्टेटों में क्षेत्रीय परीक्षण चल रहे थे ।

रूट ग्रब्स के नियंत्रण केलिए जीव रसायनिक नियंत्रण अभिकर्ता बीवेरिया और बासीलस अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ आठ निरीक्षण केन्द्रों में मीटरलोजिकल मीटरों का नियमित किया था ।

रबड़ रसायन/भौतिकी और तकनोलजी प्रभाग

प्राकृतिक रबड़ प्रसंस्करण की प्रगति, रासायनिक संशोधन एवं रबड़ तकनोलजी पर यह प्रभाग कार्य करते रहे ।

प्रारंभिक प्रसंस्करण

प्राकृतिक रबड लाटक्स केलिए एक कागुलन्ट के तौर पर सलफ्यूरिक आसिड के उपयोग पर अध्ययन ने दिखाया कि षीट रबड विनिर्माण उत्पादन केलिए इस का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है । सलफ्यूरिक आसिड का उपभोग करते हुए कागुलेशन की लागत फोरमिक आसिड की अपेक्षा 1/10 होती है ।

षीट रबड़ की ड्रैइंग की क्षमता बढ़ाने केलिए सोलार ड्रयर का 800 कि.ग्राम क्षमता का संशोधन किया जा रहा है । ए एन ई आर टी की सहयोग से एक लघु सोलार एवं फयर वुड ड्रयर (200 कि.ग्राम की क्षमता) का संस्थापन हो रहा है ।

प्राकृतिक रबड़ का रासायनिक संशोधन

इ एन आर के उत्पादन के लिये एक पयलट प्लान्ट का डिसैइन पूरा किया है ।

रबड़ तकनीकी

परम्परागत रबड़ बागन मिश्रण से फिल्म की अपेक्षा ट्रानसेपेरेंट रबड़

बान्ड मिश्रण के लाटक्स फिल्म अधिक शक्तिशाली थे । प्राकृतिक रबड़ के बोनड शक्ति पर विभिन्न आन्टी ओक्सिडेंस, प्लास्टीसिसेर्स और सोलवेंस के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है । पेरोपसाइड क्यूर प्रणाली के साथ प्राकृतिक रबड़ वलकनैसेड का कम्प्रशन सेट परंपरागत पद्धति से भी ऊँचा था ।

प्राकृतिक रबड़ और ई वी ए के ब्लडिंग अध्ययन ने दिखाया कि ई वी ए द्वारा प्राकृतिक रबड़ के अब्राशन प्रतिरोधिता और टीयर शक्ति बढ़ गयी है । प्राकृतिक रबड़ के उच्च मात्राओं के ब्लंड केलिए एक मिलिलित क्यूर प्रणाली द्वारा ऊँची वस्तुऐं मिलती है । आसोण आक्रमण के विरुद्ध ई वी ए के 40% या अधिक मिले हुए ब्लेंड केलिए पूरा संरक्षण पाया है ।

प्राकृतिक रबड़ मिश्रणों के वलकनैसेशन क्यूरिन समय और भौतिकी वस्तुओं पर तीन रीहार्डस के प्रभाव पर मूल्यांकन किया था । प्रीक्यूरड ट्यर रीट्रडिंग पर यूनिडो योजना यू के से प्राप्त 76 प्रीक्यूरेड रीट्रडिंग क्रोस ट्यरों के प्रवृत्तियों का मूल्यांकन पूरा किया है । परीक्षणों ने सिद्ध किया कि सारे परीक्षणात्मक मिश्रण समान थे ।

वी एस एस सी केलिए फ्लक्स सील वितरण

जी एस एल में उपयोग के लिए एक फ्लक्स सील के निर्माण में 20 मिश्रणों का स्क्रीन किया और चुने हुए मिश्रण को मूल्यांकन के लिये वी एस एस सी तिरुवनंतपुरम को भेजा ।

रबड़ उपजों का विकास

ओटोमोबाइल ज़मीन आदि की सफाई केलिए लायक एक रबड़ ब्रश जो तैयार किया । और हेविया और लाइनिंग प्राइवेट इ ने तकनीकी स्थानांतरण लिये । इलक्ट्रोलैट्रिक कपासिटोर्स केलिए रबड़ सीलनट्स के निर्माण करने में नमूनों को मूल्यांकन केलिये केलट्रोन को भेजा ।

वार्षिक वित्त प्रभाग

वाणिज्यक पौधाई में पौधाई मालों के मूल्यांकन का अध्ययन चल रहा था । प्रमुख क्लोणों का उपज मूल्यांकन जारी रखा । इस अध्ययन की तीसरी रिपोर्ट प्रकाशनाधीन है । डागन खण्डों पर पौधाई मालों के उपयोग पर एक सर्वेक्षण चलाया गया और 40,000 हेक्टर के 95 बड़े एस्टेटों से डाटा का संग्रह किया केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश के 20 प्रमुख रबड़ काट उपभोग केन्द्र से रबड़ काट के उपयोग पर अनुमान लगाने के लिए

डाटा का संग्रह किया । रबड़ बीज तेल और रबड़ शहद के उत्पादन पर भी अध्ययन किया था ।

रीक्लेमड उद्योग के अध्ययन केलिए केरल, तमिलनाड, कर्नाटका और आन्ध्रप्रदेश के 12 फाक्टरियों से विवरणों का संग्रह किया । रबड़ लघु बागनों के प्रबंधन पर भी अध्ययन जारी रखा और रिपोर्ट का प्रारूप दिया । पुलियन्नूर ग्राम के बिना पंजीकृत बागनों का सेनसस लिया और यह स्पष्ट हुआ कि उस ग्राम के रबड़ के कुल क्षेत्र के 34.5% बिना पंजीकृत है । आर आर ऐ 105 में ब्रौण बास्ट की संभाव्यता पर सर्वेक्षण शुरू किया । छोटे रबड़ उत्पादकों द्वारा सुधारित पौधाई एवं प्रसंस्करण प्रणालियों के कार्यान्वयन पर एक सर्वेक्षण चलाया ।

इनपुट सहायधनों के उपयोग और कार्षिक अभ्यासों के परिवर्तन पर अध्ययन पूरा किया और प्रारूप रिपोर्ट तैयार किया । सड़क/रेल/जहाज़ द्वारा केरल से और एस्टेटों/व्यापारियों/प्रसंस्कृत कर्ताओं विनिर्माताओं से रबड़ के परिवहन पर अध्ययन किया । इस प्रभाग द्वारा इस साल पाँच अनुसंधान प्रबंधों को प्रकाशन किया था ।

केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन, चेत्तक्कल

1990 एप्रिल से 91 मार्च तक इस केन्द्र में 3132.7 मि.मीटर वर्षापतन हुआ था । फसल उत्पादन इस साल 209.048 कि.ग्राम था । 12 हेक्टर की पौधाई की थी । जनोटाइप्स के मूल्यांकन केलिये ब्रसीलियन जर्म प्लाज़म के अधीन विभिन्न परीक्षणात्मक उद्देश्यों के लिए 1.5 हेक्टर रखा था ।

स्थायी कामगारों एवं आकस्मिक कामगारों की संख्या क्रमशः 220-205 थी । 1990-91 में कुल मनुष्य दिनों की संख्या 67,409 थी । इस रिपोर्ट साल में केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन एवं केन्द्रीय नर्सरी करिक्काट्टूर से 11722 रोगियों ने औषधालय की सेवाओं का लाभ उठाया था ।

1991 जनवरी में एक एक दिवसीय चिकित्सा क्याम्प चलाया था । कोट्टयम मेडिकल कालेज के विदग्धों ने इसमें भाग लिया । 179 रोगियों ने इससे लाभ उठाया ।

उत्तरपूर्वी अनुसंधान कोम्प्लक्स और प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र

उत्तरपूर्वी प्रदेश के अनुसंधान कोम्प्लक्स का मुख्यालय गोहटी है । आसाम, त्रिपुरा, मेघालया, मिसोराम और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र इसके अधीन हैं ।

गौहटी के प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र मुख्य रूप से क्लोण का मूल्यांकन, पक्व

एवं अपक्व अवस्था में रबड़ का पौष्टिक आवश्य, रोग एवं कीटों का सर्वेक्षण और उनका नियंत्रण आदि कार्यों पर लगे रहता है । परंपरागत एवं अपरंपरागत प्रजनन तकनीकों को चालू किया । कालस टिश्यू से कवर क्रोपस के पौधा रीजनरेशन केलिए तकनीकों का मानक केलिए कार्य किया । रबड़ में वृद्धि एवं उपज के साथ पारिस्थितिक पारामीटर्स के संबंध का निर्णय करने केलिए अग्रोमीटरोलजिकल अध्ययन किया था । मलेश्यन जर्मप्लाज़्म केन्द्र में बनाये 1100 वैल्ड क्लोटाइपल को इस केन्द्र में संरक्षण करते हैं । आसाम, मेघालया और मिसोराम के 65 रबड़ उत्पादित केन्द्रों में कीटों एवं रोगों का सर्वेक्षण किया था ।

त्रिपुरा के रबड़ अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान कार्य जारी रखे । नर्सरियों एवं परीक्षण केन्द्रों का खूब संरक्षण किया था । टापिंग एवं उपज प्रवृत्तियाँ केलिए तीन क्षेत्रीय परीक्षण (क्लोण मूल्यांकन, पोषक अध्ययन एवं पौधाई तकनीकी) शुरू किये थे । हेयिल स्टोम द्वारा बाधित पेड़ों ने कम उपज दिये थे ।

वनस्पतिक, कार्षिक एवं शरीर वैज्ञानिक स्वभावों पर के परीक्षण और मशरूम कल्चर मेघालया के रबड़ अनुसंधान केन्द्र में चलाये । 1985 और 1986 परीक्षणों में वृद्धि में क्लोण परिवर्तन दिखाई पड़े । रबड़ पौधों में कम तापमान के प्रभाव पर अध्ययन करने केलिए "पोलीहौस" में एक परीक्षण चलाया था । पोलीहौस के अंदर बड्ड स्टम्प्स तैयार किये तो आर आर ऐ एम 600 में बडस्प्रोट की वृद्धि दिखाई पड़ी ।

रबड़ अनुसंधान केन्द्र, मिसोराम में वीड नियंत्रण केलिए रासायनिकों के उपयोग का प्रभाव प्राथमिक परीक्षणों में ताप्तजनक था । प्रति हेक्टर में 5 से 7-5 लिटर के अनुपात में ग्लैहोरेट के साथ समस्यात्मक लालांग घास की जांच की जा सकती है । इस केन्द्र में नर्सरी संरक्षण क्लोण की प्रवृत्तियाँ, फिसियोग्राफी, उत्तम पौधाई मालों का इन्टर क्रोपिंग आदि का अध्ययन किया ।

रबड़ अनुसंधान केन्द्र, पश्चिम बंगाल में पोषक अध्ययन शुरू किया था । बड स्प्रौट पर ठंड, बड्ड स्टम्प्स की स्थिति, क्लोण की प्रवृत्तियाँ, जनटिक भिन्नता की लभ्यता आदि का भी कार्य इस केन्द्र में किया था ।

रबड़ अनुसंधान केन्द्र, महाराष्ट्र में (डापचेरी) अनुसंधान योजनाओं जारी रखी थी । उत्तर कोकण के परली में आर आर ऐ एम 600 और जी. टी. । में उपज एवं शरीरवैज्ञानिक स्वभावों के परिवर्तन पर अध्ययन किये । इस अपरंपरागत क्षेत्र में गर्मी में फसल केलिए कठिन शुष्कता सहनी पड़ती है ।

रबड़ अनुसंधान केन्द्र ओड़ीसा में बीजांकुर नर्सरी, परीक्षणात्मक क्लोणों का

बडवुड नर्सरी और एक पोली बाग नर्सरी का संरक्षण किया था । नियमित कृषि परिचार का संचालन किया था । 1990 जूलाई - आगस्ट में तीन नये क्षेत्रीय परीक्षण चलाये थे ।

हेविया ब्रीडिंग उप केन्द्र, कर्नाटका में वृद्धि उपज एवं समुपयोजन प्रणालियाँ ﴾1987 और 1988 पौधार्द﴿ चुने हुए ओरटेट पौधे ﴾1988﴿ और आधुनिक क्लोण ﴾1989﴿ पर परीक्षण में जारी रखे । जनतिक पारामीटर के अनुमान केलिए एक क्लोण परीक्षण एवं क्षेत्रीय परीक्षण चलाये थे । पोलीक्लोणल बीजांकुरों का परीक्षणात्मक टापिंग शुरू किया था । 7 क्लोणों के साथ परीक्षण चलाया जा रहा है । हेविया ब्रीडिंग उप केन्द्र, तमिलनाड में ब्रीडिंग ओरचाड्स का खूब संरक्षण किया था । इस रिपोर्ट साल में स्टेबिलिटी विश्लेषण पर एक उच्च स्तरीय परीक्षण चलाया था ।

-----------0-----------

एस. एस. के/5. 8. 91

भाग 5 - रबड़ प्रसंस्करण एवं उपज विकास

1977 में स्थापित रबड़ प्रसंस्करण विभाग द्वारा केरल कृषि विकास योजना के अधीन स्थापित क्रंब रबड़ फाक्टरियों को इंजीनियरिंग एवं गुण नियंत्रण सेवा प्रदान की जाती है। रबड माल विनिर्माण उद्योग के लिये फाक्टरी प्रबंधन तकनीकी सलाहकारी सेवा कच्चे रबड़ मूल्य मोनिटरिंग और रबड़ एवं रबड़ उपजों का विपणन आदि कार्य भी इस विभाग के क्षेत्र में करते हैं। इस विभाग का नाम प्रसंस्करण एवं उपज विकास नाम पर पुर्ननामकरण किया है। इस विभाग के विविध कार्य छः प्रभागों द्वारा किये जाते है। वे हैं इंजीनियरिंग गुण नियंत्रण, तकनीकी सलाहकारी फाक्टरी प्रबंधन अर्थ एवं वित्त विपणन तथा प्रशासन।

1991 मार्च 31 को समाप्त साल के प्रमुख कार्य ये होते हैं।

1. इंजीनियरिंग प्रभाग के कार्य

एन आर टी सी, द. आंडमान, एन. आर. टी. सी, सुरेन्द्र कुमार, त्रिपुरा, कोलासिब मिसोराम में प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, अगरतला में कार्यालय एवं प्रयोगशाला आसाम के दर्निहाट में और मेघालय के तुरा तथा पश्चिम बंगाल के नागरकटा में अनुसंधान एवं विकास यूनिट, आर आर आइ आइ, कोट्टयम, केन्द्रीय परीक्षण केन्द्र चेत्तकल, तुरा में रिसर्च कोम्प्लक्स, डापूचेरी में प्रसंस्करण फाक्टरी, कर्नाटका के नेटाना में प्रयोगशाला एवं अन्य मकान -- आदि का निर्माण एवं निरीक्षण कार्य इस प्रभाग द्वारा चलाये गये। के ए डी पी के अधीन स्थापित छः क्रंब रबड़ फाक्टरियों को इंजिनीयरिंग एवं तकनीकी सेवा प्रदान करते रहे। इस साल विभिन्न फाक्टरियों द्वारा विनिर्मित रबड़ का परिमाण नीचे दिया जाता है।

1990-91 में के ए डी पी फाक्टरियों का उत्पादन (मे. टण में)

1. मलबार क्रंब रबड़ फाक्टरी, कोषिक्कोड	- 845.25
2. जिला सहकारिता विपणन संघ, पालघाट	-1010.63
3. एम आर एम क्रंब रबड़ फाक्टरी, मूवाट्टुपुषा	-1666.78
4. सह-रबड क्रंब रबड़ फाक्टरी, तोडुपुषा	-1346.98
5. के एस सी आर एम एफ चेनपल्ली फाक्टरी	-1649.45
6. भारतीय क्रंब रबड़ फाक्टरी, पाला	- 698.23

रबड़ प्रसंस्करण की स्थापना के लिये निम्न लिखित प्राइवट लिमिटड कंपनियों को सहायता देते रहे।

1) पश्शी रबड

इस के सारे सिविल कार्य पूरे हुए फाक्टरी में उत्पादन के लिये सारे मिशनरियों का कमीशन किया । विजलीकरण हो गया । 1991 मार्च में उत्पादन शुरू हुआ ।

2) पम्पा रबड

फाक्टरी से संबंधित सिविल कार्य चल रहे हैं । मिशनरियों के लिये आदेश दे दिया । यंत्रों के कुछ अंश मिल गये । विजलीकरण के लिये टेंडर बुलायी है ।

3) मैको फाक्टरी

सिविल कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार किये । यंत्रों एवं विजलीकरण कार्य में सहायता प्रधान किये ।

4) चिटारिकल लाटेक्स सेन्ट्रफ्यूज फाक्टरी

सिविल कार्य चल रहे हैं । विजलीकरण कार्य के लिये टेंडर डोक्युमेंट तैयार करने में सहायता करनी है ।

5) वायपुर सेन्ट्रीफ्यूजड एवं क्रीप मिल

फाक्टरी मकान के निर्माण के लिये सहायता दी । स्वीकृत टेंडर संविदाओं का मूल्यांकन किया और कार्य के लिये सिफारिश की ।

6) पेरियार लाटक्स लिमिटड

1990 एप्रिल में सिविल कार्य शुरू किये । फाक्टरी मकान से संबंधित विविध प्लानों की जाँच की । और सुझाव रखी । विजलीकरण कार्य के लिये कार्रवाई की ।

7) श्रीकण्डपुरम लाटक्स

निष्पादन के लिये सिविल कार्यों का अवार्ड दिये । यंत्रों के कुछ अंश मिल दिये ।

8) टी एफ डी पी सी लाटेक्स सेन्ट्रीफ्यूजिंग लाटक्स और क्रीप मिल

त्रिपुरा वन विभाग/बागान सहकारिता केलिये फाक्टरी एवं क्रीप मिल की स्थापना करने को फाक्टरी के लिये आवश्यक उपकरणों को भेज दिया ।

प्रसंस्करण फाक्टरियों के सिविल निर्माण कार्य के नियंत्रण निरीक्षण में सहायता की ।

9. <u>पुनरधिवास बागन योजना</u>

पुनरधिवास पुनलूर के अधीन क्रंब रबड़ के उत्पादन के लिये स्थापित इस फाक्टरी में उत्पादन अभी शुरू हुआ है । क्रंब रबड के उत्पादन के लिये रबड़ उत्पादक संघों द्वारा इस फाक्टरी की स्थापना हो रही है भूमि का सर्वेक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दे दिये ।

10. <u>पोनमुडी रबेर्स</u>

रबड़ उत्पादक संघों द्वारा क्रंब रबड़ के उत्पादन केलिये इस फाक्टरी की स्थापना हो रही है । भूमि को अर्जित किया और सर्वेक्षण किया । फाक्टरी मकान की स्थापना के लिये निर्देश दिया ।

11. <u>कवनार लाटेक्स लिमिटड</u>

फाक्टरी के लिये योजना रिपोर्ट तैयार किये । भूमि का सर्वेक्षण भी हो चुका ।

<u>अन्य प्रमुख कार्य</u>

बहिस्त्राव उपचार पद्धति के बिजली करण के लिये मीनच्चिल रबड प्रसंस्करण फाक्टरी को परामर्शता प्रदान किये ।

केरल राज्य सहकारिता रबड विपणन संघ द्वारा स्थापित इन्टर मिक्स प्लान्ट के लिये स्पेसिफिकेशन तैयार किये । रबड बोर्ड द्वारा स्थापित प्राकृतिक रबड़ के रेडियेशन, वलकैनैसेशन को इंजीनियरिंग सेवायें दे दी ।

मलंकरा रबेर्स को अपने क्रंब रबड़ के विकास एवं सेन्ट्रीफ्यूजिंग फाक्टरी की सेवा के लिये परामर्श सेवा प्रदान की ।

<u>गुण नियंत्रण प्रभाग</u>

क्रंब रबड़ फाक्टरियों और सांद्रीकृत लाटेक्स उत्पादकों को अपने उपजों के गुण नियंत्रण एवं मानकीकरण के लिये केन्द्रीय प्रयोग शाला द्वारा विश्लेषणात्मक सेवायें देते रहे । 32,759 पारामीटेर्स के लिये रबड एवं लाटेक्स नमूनों का विश्लेषण

किया था । ऐ एस ए योजना के अधीन 484 निरीक्षण किये । और 4870 पारामीटेर्स के लिये लाटेक्स रबड़ नमूनों का विश्लेषण किया था ।

इसके अतिरिक्त क्रंब रबड़ पर अन्तराष्ट्रीय राउन्ड रोबिन क्रोस चेक योजना में भाग लिया । क्रंब रबड़ एवं सांद्रीकृत लाटक्स पर इन्टर लाबरटरी राउन्ट रोबिन टेस्टिंग चलाये गये ।

18 विश्लेषणात्मक प्रशिक्षार्थियों को छः महीनों का प्रशिक्षण दिया था ।

फाक्टरी प्रबंधन प्रभाग

आर आर आई आई के पायलट क्रंब रबड़ फाक्टरी और चेत्तक्कल के पायलट लाटक्स प्रसंस्करण केन्द्र पूरे उत्पादन क्षमता के योग्य हो गये । क्रंब रबड़ फाक्टरी ने 290 टण रबड़ का उत्पादन किया । और पी एल पी सी ने 214 टण की ।

तकनीकी परामर्शता प्रभाग

रबड़ उत्पादक, रबड़ प्रसंस्करण कर्ता और रबड़ माल विनिर्माताओं को तकनीकी सहायतायें एवं परामर्श सेवायें प्रदान की थी । प्राकृतिक रबड़ को क्रंब रबड़ में प्रसंस्करण सेन्ट्री फ्यूजड लाटक्स और क्रीमड लाटक्स से सम्बन्धित 24 योजना रिपोर्ट और विविध रबड़ उपजों के विनिर्माण पर 6 योजना रिपोर्ट पूरा किया । लाटक्स बैकड वूलन कारपेट, इलास्टिक थ्रेड सरजिकल ग्लाउस, फ़ोम फाम, आदि उपजों के विनिर्माण पर सलाह दिये ।

17 विभिन्न मदों के उत्पादन केलिये जानकारी पायी और उद्यमकर्ताओं को इस टक्नोलजी का स्थानांतरण किया ।

भारतीय मानक ब्यूरो को स्पेसिफिकेशन के अनुसार रबड़ उपजों के विपणन रबड़ माल विनिर्माणों को गुण नियंत्रण सहायता प्रधान की । विभिन्न केन्द्रों से स्वीकृत रबड़ मालों का परीक्षण किया और ब्यूरो को इसका परिणाम भेज दिया ।

रेडियेटर हौस, प्रिंटिंग रोलर, सर्जिकल ग्लौस, फोम उपज, लाटक्स उपकरण, हवाई चप्पल आदि छः उपजों पर तकनीकल बुल्लटिन तैयार किये ।

कोच्चिन रिफाइनरीस केलिये सोलवेंन्ट नाफ्था जैसे उपज के लिये विपणन सर्वेक्षण विश्लेषण किया ।

तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ के उपयोग के प्रचार के लिये विभिन्न रबड़ उत्पादित केन्द्रों में सेमिनार चलाये ।

विपणन प्रभाग

1) प्रैस सपोर्ट ओपरेशन

आर एस ए 5 ग्रेड शीट रबड़ केलिए रबड़ उत्पादकों को न्यायिक मूल्य सुदृढ़ करने के लक्ष्य से राज्य व्यापार निगम के प्रैस सपोर्ट ओपरेशन से संबंधित कार्यों का समन्वयन किया । आर एस ए 5 ग्रेड शीट रबड का मूल्य ट्रिगर स्तर से नीचे आया और भारत सरकार ने राज्य व्यापार निगम से प्रैस सपोर्ट ओपरेशन शुरू करने माँगा । विविध वेयार हौसों द्वारा राज्य व्यापार निगम ने आर एस ए 5 - ग्रेड शीट रबड को खरीदा ।

2) मूल्य संग्रह एवं मोनिटरिंग

कोट्टयम और कोचिन विपणी से आर एस ए 4 और अवर्गीकृत शीट रबड का दैनिक मूल्य का संग्रह किया । स्क्राप रबड़ का मूल्य हफ्ते में दो बार ले लिये । आर एस ए 1 से 5 तक साप्ताहिक औसत मूल्य और सेन्ट्रीफ्यूजड लाटक्स के साप्ताहिक एवं मासिक मूल्य का भी संग्रह किया । विभिन्न प्रकार के रबड शीटों पर संग्रहित मूल्य भारत सरकार को भेजा और दैनिकी में प्रकाशन केलिये प्रेस को रिलीस किया ।

3) प्राकृतिक रबड अनुदान एवं निर्यात सहायता

प्राकृतिक रबड़ के आंतरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय विपणी में मूल्य भेद पर भारत सरकार से अनुदान पाने के लिये रबड़ उपज निर्यातक योग्य होते हैं । इस प्रभाग ने मासिक तौर पर इस मूल्य भेद का संकलन किया और भारत सरकार और आयात - निर्यात के नियंत्रकों के विविध कार्यालय भेज दिया ।

4) विपणन आधारित क्रियायें

रबड उत्पादन संघों द्वारा स्थापित विविध व्यापार कम्पनियों एवं प्रसंस्करण कम्पनियों को विपणन आधारित क्रियायें करते रहे । आर एस ए 5 के मूल्य को स्थिर रखने के लिये राज्य व्यापार निगम से कार्यान्वित मूल्य आधारित कार्यों को सारे प्रसंस्करण कंपनियों एवं व्यापार कंपनियों ने सहयोग

दिया । रबड़ लाटक्स में शुष्क रबड़ वस्तु के निर्णय में 103 रबड़ उत्पादक संघों को सहायता दी ।

अर्थ एवं वित्त प्रभाग
---

49 रबड़ उत्पादक संघों को लाटेक्स संग्रह केन्द्रों की स्थापना के लिये 376, 320/- रू. का आर्थिक सहायता दी ﴾प्लाटफाम बालन्स, केमिकल बालन्स और स्प्रयर ओवन के क्रय के लिये﴿ 27 संघों को शीट/क्राप संग्रह केन्द्रों की स्थापना केलिये 93, 069/-रू की सहायता दी । 1990-91 में धूमघर के निर्माण की योजना स्थगित कर दी । लेकिन 6 संघों को इस सहायता के बकाये बारी के तौर पर 205, 432/- रू. दिये । उनीर विपणन संघ को शेयर पूँजी अंशदान के तौर पर विपणन के लिये 50, 000/- रू दिये । केरल राज्य सहकारिता रबड़ विपणन संघ को इन्टरलिंक्स यूनिट की स्थापना के लिये शेयर पूँजी अंशदान के तौर पर दस लाख रू. दिये । पोत्तानिक्काड संघ को ग्रामीण स्तर उद्योग यूनिटों की स्थापना के शेयर पूँजी अंशदान के तौर पर 15, 800/- रू. दिये । इस साल विविध योजनाओं के अधीन लौट अदायगी के तौर पर बोर्ड ने निम्न लिखित रकम स्वीकार किये ।

		रू.
1﴿ कार्यकारी पूँजी कर्ज	--	241, 508. 00
2﴿ टेस्टिंग लाब्रेरी केलिये कर्ज	--	50, 000. 00
3﴿ मधुमक्खी संरक्षण केलिये कर्ज	--	559, 600. 00
4﴿ शेयर पूँजी अंशदान	--	19, 010. 00
5﴿ कर्ज पर सूद	--	74, 364. 00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

एम. एस/9. 8. 91

भाग - 6 प्रशासन

बोर्ड और इसकी समितियों का जो अधिनियम में बताये लक्ष्यों को पाने में विविध नीतियों का निदेश देते हैं, संगठन एवं पुन संगठन, बोर्ड की स्थापनाओं की रख रखाव, उपकर का संग्रह, लैसेनसिंग एवं विपणन आसूचना कार्य, सांख्यिकियों का संग्रह, बोर्ड की योजनाओं एवं कार्यकलापों का प्रचार, श्रमिक कल्याण हितों का निर्वहण, कानूनी एवं सतर्कता कार्य, कर्मचारियों का प्रशिक्षण आदि प्रशासन विभाग के प्रमुख कार्य होते हैं ।

निम्न लिखित अनुभागों/प्रभागों/कार्यालयों द्वारा उक्त कार्यों का संचालन किया जाता है ।

1. स्थापना (सामान्य एवं बोर्ड सचिवालय, कार्मिक प्रशासन और
2. उत्पादन शुल्क
3. विपणन आसूचना
4. अनुज्ञापत्र
5. सांख्यकी एवं योजना
6. प्रचार
7. आंतरिक लेखा परीक्षा
8. कानूनी
9. सतर्कता
10. राजभाषा कार्यान्वयन
11. रबड़ संवर्धन प्रभाग और
12. उप/संपर्क कार्यालय

13. सांख्यकी एवं योजना प्रभाग, प्रचार एवं रबड़ संवर्धन प्रभाग और सतर्कता अनुभाग अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में काम करते हैं । अन्य अनुभाग और मद्रास, बंबई कलकत्ता, नई दिल्ली, बॉंगलूर, जलंदर, अहम्मदाबाद और कानपुर के उपकार्यालय सचिव द्वारा नियंत्रित किया जाता है ।

1.1 सामान्य प्रशासन/कर्मचारी कल्याण/श्रमिक कल्याण

बोर्ड के 1989-90 के कार्यकलाप वार्षिक रिपोर्ट द्वारा **अभिलेखित** किया जो **रबड़ अधिनियम के 8(3)** सी के अनुसार सरकार को प्रस्तुत किया था ।

श्रमिक कल्याण के तौर पर 19,25,985/-रु की शैक्षणिक वृत्तिका रबड़ बागन कामगारों के बच्चों को मंजूर की थी । इसके अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा, वैयक्तिक दुर्घटना एवं जमा और भवन निर्माण अनुदान के लिए श्रमिक कल्याण हितों के तौर पर 2,85,484/- रु. दिये थे । अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के बच्चों के अध्ययन शुल्क की प्रतिपूर्ति/शैक्षणिक भत्ता का मंजूर किया था ।

सरकार द्वारा अनुमानित योजना के अनुसार निवास घरों के निर्माण के लिए इस साल 32 कर्मचारियों को 20,39,860/-रु. की पेशगी और 64 कर्मचारियों को 4,66,560/-रु. की वाहन पेशगी दी थी । मुख्य कार्यालय और स्टाफ

क्वार्टर्स में जलपूर्ति/विद्युत सुविधायें कर दी । बोर्ड के 80 गाड़ियों की सुव्यवस्थित ढंग पर मरम्मत की । डाक, तार, टेलिफोन और टेलक्स और कम्प्यूटर की सेवाओं द्वारा बोर्ड एवं इसकी पार्टियों के बीच अच्छा संपर्क बना रहा है ।

1.2 कार्मिक प्रशासन

बोर्ड के सुगम प्रवर्तन केलिए अनुमोदित भर्ती नियमों एवं अनुसूचित जाति/वर्ग से संबंधित सांविधिक नियमों का पालन करते हुए योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की थी । योग्यताओं का मूल्यांकन करने केलिए चुनाव समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया था और रिक्तियों की भर्ती की थी । नियुक्त कर्मचारियों का विवरणीं सरकार एवं रोज़गार कार्यालय को भेजी गयी थीं । सेवा पुस्तिका, छुट्टी खाते एवं वैयक्तिक फ़ाइल रखे गये । 1990-91 में सेवा निवृत्त सारे कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धि लाभ समय पर ही दिये ।

31.3.1991 में बोर्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या 1916 थी । उनका विवरण ऐसा है:

विभाग का नाम	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	समेकित वेतन	कुल
प्रशासन विभाग	26	63	174	18	नहीं	281
रबड़ उत्पादन विभाग	70	297	678	74	2	1121
अनुसंधान विभाग	54	107	187	30	11	389
रबड़ प्रसंस्करण विभाग	15	24	45	5	नहीं	89
वित्त एवं लेखे विभाग	4	5	19	1	नहीं	29
प्रशिक्षण विभाग	1	3	3	नहीं	नहीं	7
कुल योग	170	499	1106	128	13	1916

2. रबड़ पर उत्पादन शुल्क (उपकर)

1947 की रबड़ अधिनियम की धारा 12 (1) के अधीन प्रति कि.ग्राम को 50 पैसे के दर पर भारत में उत्पादित रबड़ पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है । सोल क्रीप रबड़ को छोड़कर विनिर्माताओं द्वारा प्राप्त रबड़ के परिमाण पर यह कर संग्रहित किया जाता है । हर विनिर्माता को रबड़ की प्राप्ति केलिए बोर्ड से एक अनुज्ञापत्र को पाना है । उन्हें प्राप्त एवं विनियोगित रबड़ का परिमाण का विवरण देते हुए मासिक अर्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरणी बोर्ड को प्रस्तुत करना है । विवरण में दिये गये क्रय के आधार पर उपकर का निर्धारण किया जाता है ।

क. अनुज्ञापत्र देना

विनिर्माण यूनिटों को अनुज्ञापत्र दिया जाता है जो आगामी सालों में इनका नवीकरण कर देता है । कुछ व्यापारी अनुज्ञापत्रित रबड़ के परिमाण को

पूरा कर के अतिरिक्त परिमान को अनुज्ञापत्र केलिए आवेदन करते हैं, उन्हें अनुपूरक अनुज्ञापत्र दिया जाता है ।

1990-91 रिपोर्ट साल में दिये गये अनुज्ञापत्रों का विवरण ऐसा है ।

§क§ नये अनुज्ञापत्र	--	558
§ख§ नवीकृत अनुज्ञापत्र	--	1107
§ग§ अनुपूरक	--	46
कुल		1711

पिछले साल केलिए 3364 विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्र नवीकृत किये थे । इसके साथ 1990-91 केलिए दिये कुल अनुज्ञापत्रों की संख्या 5075§3364+1711§ होती है ।

इस साल में भारी अनियमिताओं के कारण 6 विनिर्माताओं का अनुज्ञापत्र निलंबन किया था । एक यूनिट उनकी माँग के आधार पर रद्द किये गये । इस प्रकार 31.3.1991 में कुल विनिर्माताओं की संख्या 5028 थी । उनका राज्यवार विवरण ऐसा है:-

क्रम. सं	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	यूनिटों की संख्या
1.	केरल	816
2.	महाराष्ट्रा	569
3.	पंजाब	538
4.	उत्तर प्रदेश	504
5.	वेस्ट बंगाल	494
6.	तमिलनाडु	377
7.	दिल्ली	304
8.	गुजरात	252
9.	हरियाना	[illegible]
10.	कर्नाटका	[illegible]
11.	आंध्र प्रदेश	158
12.	मध्यप्रदेश	85
13.	राजस्थान	66
14.	बीहार	47
15.	चंडीगड	24
16.	गोआ दामन दियू	24
17.	ओरीसा	19
18.	पोंडीचेरी	16
19.	हिमाचल प्रदेश	12
20.	जम्मु एवं काश्मीर	4
21.	आसाम	3
22.	त्रिपुरा	3
23.	सिक्किम	1
	योग:	5028

अनुज्ञापत्रित रबड विनिर्माताओं की सूचि तैयार कर के रबड व्यापारियों और अन्य लोगों को समय समय पर वितरण किया । 3922 अनुज्ञापत्र (20 अनुज्ञापत्र नये विनिर्माताओं को और 3902 को नवीकृत किये) 1991-1992 केलिए वितरण किये ।

2. <u>विनिर्माताओं केलिए व्यापारियों द्वारा रबड के क्रय केलिए प्राधिकार पत्र का पंजीकरण</u>

रबड का क्रय और भेजने के लिए व्यापारियों के नाम पर विविध विनिर्माताओं द्वारा दिये 1989 प्राधिकार पत्रों का पंजीकरण किया ।

3. शाखाओं/क्रय केन्द्रों का पंजीकरण:

विनिर्माताओं से प्राप्त आवेदन के आधार पर इस साल छः नयी शाखाओं/क्रय केन्द्रों का पंजीकरण किया था ।

4. रबड के क्रय के लिए प्राधिकार पत्र

नियमित अनुज्ञापत्र के अतिरिक्त संस्थाओं को परीक्षणार्थ रबड के क्रय के लिए पाँच विशेष प्राधिकार पत्र दिये थे ।

ख. <u>रबड उत्पादन शुल्क का निर्धारण</u>

1990-91 में विविध रबड विनिर्माताओं एवं सोलक्रीप उत्पादकों से 9710 अर्धवार्षिक विवरणी मिले थे । विविध संपर्क अधिकारियों से और अन्य निरीक्षकों से विनिर्माता खाते के निरीक्षण पर 1368 व्यक्तिगत रिपोर्ट भी मिले थे । ये निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर और विपणन आसूचना विभाग के रिपोर्ट के विनिर्माताओं के विवरणियों और मासिक विवरणियों द्वारा प्रति जाँच की थी । 1,541,312 कि.ग्रा. रबड पर 180 मामलों में और रु. 7,70,656/- रु. का अतिरिक्त निर्धारण किया । इस साल निर्धारित उपकर का कुल रकम 14.37 करोड रूपए थे ।

ग. <u>रबड उत्पादन शुल्क का संग्रह</u>

1990-91 साल में संग्राहित उपकर संग्रह टार्जेट 15 करोड रूपए थे । लेकिन उपकर का वास्तविक संग्रह 14.735 लाख रु. होते हैं । यह टार्जेट का 98.2% है । राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित रबड का वर्धित वितरण और निर्यात सहायता योजना के अधीन विनिर्माताओं द्वारा सीधा आयात टार्जेट के 1.8% कमी का कारण था ।

भारत के समेकित निधि में क्रेडिट करने के लिये यह रकम बैंक में जमा किया है ।

ड. अदालत मुकदमे

रूबी रबड वर्कस/मद्रास लिमिटड से रबड उपकर देयता 188,709/-रु. के दावा के लिए मद्रास के उच्च न्यायालय में एक दावा पेटीशन फयल किया था । इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा 8625/-रु. की राजस्व वसूली को निलंबन करते हुए कर्नाटका उच्च न्यायालय से बंगलूर के एक विनिर्माता ने आर्डर पाया था । इसके विरुद्ध एक काउन्टर अफिडविट फयल किया ।

3. रबड व्यापारियों का अनुज्ञापत्र

रबड अधिनियम 14 एवं रबड नियमावली 1955 के नियम के अधीन रबड व्यापारियों एवं प्रसंस्कृत कर्ताओं को अनुज्ञापत्र दिया जाता है ।

इस साल के आरंभ में रबड व्यापारियों की संख्या 6886 थी, साल के अन्त में 7280 प्रसंस्कृत कताटों की संख्या 113 से 127 होकर बढ गयी ।

क. व्यापारी अनुज्ञापत्र

इस साल 1956 के नये लैसेनस को मिलाकर 1433 व्यापारी अनुज्ञापत्र दिये थे । लैसेनस संबंधी आवश्यकताओं को न प्रस्तुत करने के कारण 108 आवेदन का इनकार किया ।

1433 अनुज्ञापत्रों में 1273 सिर्फ 1990-91 के एक वर्ष के लिये (1048 नये और 225 नवीकरण), 34 अनुज्ञापत्र 1990-92 के दो साल के लिए (। नया और 33 नवीकृत) और 126 अनुज्ञापत्र 1990-93 के तीन साल की मूल्यता के लिए (5 नये और 121 नवीकृत) थे। 26 अल्पकालीन अनुज्ञापत्र भी दिये थे ।

इसके अतिरिक्त 1.4.91 से 2097 अनुज्ञापत्र भी दिये थे । इनमें 1263 अनुज्ञापत्र 1991-92 के लिये, 190 अनुज्ञापत्र 1991-93 केलिए और 644 अनुज्ञापत्र 1990-94 के लिये थे ।

ख. व्यापारीय अनुज्ञापत्रों का निलंबन/रद्द

व्यापार में अनियमिताओं के कारण 18 अनुज्ञापत्रों का निलंबन किया था । इन में एक व्यापारी से संतोषजनक विवरणी पाने के बाद निलंबन आदेश का रद्द

किया । लैसेनसियों की मृत्यू के कारण 42 अनुज्ञापत्र भी रद्द किये ।

निलंबन, रद्द आदि के बाद पूरे भारत में 7280 अनुज्ञापत्रित व्यापारी थे । 31.3.91 में व्यापारियों के राज्यवार एवं जिलावार ‌{केरल} सूचि ऐसी है ।

केरल राज्य

क्रम. सं.	जिला का नाम	व्यापारियों की सं.
1.	कोट्टयम	2033
2.	एरणाकुलम	1005
3.	पत्तनंतिट्टा	857
4.	कोल्लम	771
5.	तिरूवनंतपुरम	477
6.	इडुकी	324
7.	कन्नूर	262
8.	मलपुरम	226
9.	कोषिकोड	164
10.	पालघाड	113
11.	त्रिश्शूर	84
12.	काज़रगोड	51
13.	आलपुषा	37
14.	वयनाड	35
	योग	6439

केरल के बाहर

क्रम. सं.	राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	व्यापारियों की संख्या
1.	तमिलनाड	192
2.	दिल्ली	161
3.	पंजाब	119
4.	वेस्ट बंगाल	91
5.	महाराष्ट्रा	77
6.	उत्तरप्रदेश	59
7.	कर्नाटका	51
8.	हरियाना	34
9.	गुजरात	21
10.	त्रिपुरा	12
11.	द. आंडमान	5
12.	चंडीगढ	4
13.	बीहार	3
14.	आसाम	3

15.	मध्यप्रदेश	3
16.	राजस्थान	2
17.	मेघालया	2
18.	ओरीसा	1
19.	जम्मु एवं काश्मीर	1
	योग	841
	कुल योग: (6439+841)	7280

ग. प्रसंस्कृतकर्ता अनुज्ञापत्र

15 नयें और 21 नवीकृत अनुज्ञापत्र को मिलाकर 36 प्रसंस्कृतकर्ता अनुज्ञापत्रों को दिया । इसके अतिरिक्त 1.4.1991 से 16 अनुज्ञापत्र को भी दिया था । इनमें 1991-92 के लिये छ:, 1991-94 के लिए एक, 1991-95 के लिये 3 और 1991-96 के लिये छ: थे ।

31.3.1991 में पूरे भारत में 127 अनुज्ञापत्रित रबड प्रसंस्कृत कर्ता थे । उनकी राज्यवार/जिलावार सूचि ऐसी है ।

केरल राज्य

क्र. सं.	जिला	यूनिटों की संख्या
1.	कोट्टयम	45
2.	एरणाकुलम	12
3.	मलपुरम	10
4.	त्रिशूर	8
5.	पत्तनंतिटा	6
6.	कण्णूर	5
7.	पालघाड	4
8.	तिरूवनंतपुरम	3
9.	काज़रगोड	3
10.	कोझिकोड	3
11.	कोल्लम	3
12.	इडुकी	3
13.	आलप्पुषा	1
	योग	106

केरल के बाहर

क्रम. सं.	राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	यूनिटों की संख्या
1.	तमिलनाड	14
2.	कर्नाटका	7
	योग :	21
	कुल योग: (106 + 21)	127

घ. शाखाओं का पंजीकरण

इस साल व्यापारियों एवं प्रसंस्कृतकर्ताओं के 375 शाखाओं का पंजीकरण किया । 31. 3. 1991 में 978 पंजीकृत शाखायें थी ।

ड. अभिकर्ताओं का पंजीकरण

व्यापारियों से प्राप्त प्राधिकार पत्र के आधार पर कमीशन में रबड का क्रय करने के लिये 442 अभिकर्ताओं का पंजीकरण किया था ।

च. व्यापारियों से उपकर का संग्रह

रबड उपकर के तौर पर व्यापारियों से 57,975/-रू. का संग्रह किया । और अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन के लिये एक लाख रू. मूल्यवान बैंक गारन्टी को फोरफिट किया ।

छ. अनुज्ञापत्रित रबड व्यापारियों एवं विनिर्माताओं की सूचि की पूर्ति

1989-90 के अनुज्ञापत्रित व्यापारियों की सूचि के प्रथम बैच के 13 पुस्तक और दूसरे बाच के 15 बुक की पूर्ति की थी । इस के अतिरिक्त अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की सूचि के प्रथम वेच के 46 बुक, दूसरे वेच के 38 बुक और तीसरे बाच के 34 बुक की पूर्ती की थी। सूचियों की बिक्री के तौर पर 2375/- रू. का संग्रह किया था ।

ज. रबड के अन्तराज्यीय परिवहन के संबंध में एन फाम की पूर्ती

विविध एस्टेट, व्यापारियों प्रसंस्कृतकर्ताओं और विनिर्माताओं को रबड के अन्तर्राज्यीक परिवहन के संबंध में एन प्रपत्रों की पूर्ती की थी । उनका विवरण ऐसा है ।

घोषणापत्र का प्रार	इकाइयों की संख्या	पुस्तकों की संख्या
एन 1	154	602
एन 2	2163	1447.2
एन 3	17	9.4
एन 4	2146	2473.4
	योग:	4532.0

4. विपणन आसूचना

झूटे/अनुज्ञापत्र हीन रबड़ व्यापार का पता लगाना, रबड़ व्यापारियों के केन्द्र में उनकी वही खातों के सत्यांकन के लिये आकस्मिक जाँच, व्यापारियों/विनिर्माताओं/प्रसंस्कृत कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों की शुद्धता पर प्रतिसत्यापन आदि इसके प्रमुख कार्य थे। रबड़ के व्यापार केलिए अनुज्ञापत्र देना, व्यापारियों की शाखाओं का पंजीकरण करना एवं नये/अतिरिक्त केन्द्रों का अनुमोदन करना आदि केलिए निरीक्षण भी चलाये थे।

अनियमित व्यापारों का पता लगाना

झूठे व्यापारियों के पता लगाने एवं जाली कारोबार को काट करने के लक्ष्य से एन प्रपत्रों एवं संबंधित विवरणियों की जाँच की थी। इसके फलस्वरूप कुछ व्यापारियों के झूठे व्यापारों का पता लगाया और जाँच तथा रिपोर्ट केलिए संपर्क कार्यालय को सूचना दी। ऐसे 15 व्यापारियों एवं 4 विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्र का निलंबन किया था।

रबड़ के अनुज्ञापत्र हीन व्यापार/रबड़ के नियम विरुद्ध परिवहन का पता लगाना

आकस्मिक जाँच के फलस्वरूप 45 अनुज्ञापत्र हीन व्यापारियों एवं 4 नियम-विरुद्ध परिवहन का पता लगाया। लेकिन अनुज्ञापत्र हीन व्यापार का परिमाण बहुत कम होने के नाते उनके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन कार्रवाई नहीं ली गयी। उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने ऐसा व्यापार बंद किया और लैसेंस पाये।

बोर्ड के तीन चेक पोस्टों में झूठे प्रलेखों के साथ 20 रबड़ के बीस परेषण आये थे। लेकिन उनमें दो मामले देय उपकर के वसूल के बाद रिलीस कर दिया था।

रबड़ अधिनियम 47 के अधीन प्रोसिक्यूशन/अदालत मुकदमे

पुलीस उप निरीक्षक शोल्लिया पुलीस स्टेशन द्वारा प्रस्तुत किया रिपोर्ट के

आधार पर चार लोगों के प्रोसिक्यूशन केलिये कार्रवाई की । नियम विरुद्ध रबड़ के परिवहन के लिये अन्य सात लोगों के नाम पर कार्रवाई की थी । मुख्य नायिक मजिस्ट्रेट कलपटा के आदेश के विरुद्ध केरल के उच्च न्यायालय में रिविशन पेटीशन फ़ाइल किया था । वालयार चेकपोस्ट द्वारा नियम विरुद्ध परिवहन किये 600 कि.ग्राम रबड़ पालघाट प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट के निदेशानुसार 12,000/- रु. के लिए बेचा और अदालत में जमा किया है ।

विवरणियों/एन प्रपत्रों का क्रोस चेकिंग

102 व्यापारियों और 40 विनिर्माताओं एक प्रसंस्कृतकर्ता और छः एस्टेटों के मासिक विवरणियाँ, उनके पूर्तिकारों/खरीददारों की विवरणियों के साथ क्रोस चेकिंग किया था । इसके फलस्वरूप बिना खाते के व्यापार का पता लगाया और उनसे 8,53,642/- रु. का वसूल किया । चार व्यापारियों के बैंक गारन्टी का 75000/-रु. रबड़ व्यापारों में उनके दुराचार के नाते फोरफिट किया ।

विविध एस्टेटों §1480§/प्रसंस्कृतकर्ताओं §840§/व्यापारियों §3845§/विनिर्माताओं §5704§ को कुल 11878 एन प्रपत्र दिये थे । एन प्रपत्रों के 51179 प्रतिलियों की जाँच की । अनियमिताओं को देखने पर संबंधित पार्टियों से स्पष्टीकरण माँगा था । वालयार कावलकनार और मंजेश्वरम चेक पोस्ट से प्राप्त दैनिक विवरणियों के अनुसार उन चेकपोस्टों द्वारा रबड़ के 30114 कनसेनमेन्ट पास किये थे । कुछ मामलों में उनकी विवरणियों के साथ कनसेनमेन्ट का क्रोस सत्यांकन किया था ।

5. सांख्यकी एवं योजना

सामान्य सांख्यकी

रबड़ उत्पादकों व्यापारियों प्रसंस्कृत कर्ताओं और विनिर्माताओं से संग्रहित सांख्यकी मासिकी विवरणियों का संकलन और विश्लेषण किया । उत्पादन, स्टोक आदि में मासिक उतार-चढ़ाव पर पढ़ने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों की सहायता से क्षेत्रीय संदर्शन करके छोटे बागनों में नमूने का अध्ययन किया । संग्रहित डाटा का कम्प्यूटरीकरण किया और मासिक वार पर उत्पादन उपयोग, आयात और स्टोक का हिसाब लिया । इस रिपोर्ट के नौवीं भाग में संलग्न सूची में इन विवरणों को दिखाया है ।

प्राकृतिक रबड़ की पूर्ती, माँग एवं मूल्य को समय समय पर निर्धारण किया और सरकार के साथ आवश्यक सिफारिशायें रखी । सांख्यकी डाटा पर आधारित रबड़ की माँग एवं पूर्ती पर सांख्यकी एवं आयात निर्यात समिति और रबड़ बोर्ड

की बैठक ने दो बार पुनरीक्षण किया और देश में रबड़ की स्थिति पर सरकार को सलाह दिया । रबड़ उद्योग से संबंधित संस्थानों को आवश्यक सूचनायें प्रदान करते रहे ।

भारतीय रबड़ सांख्यिकी वोल्यिम 19 में आज तक की विवरणियाँ सारणियाँ दी और प्रिन्टिंग केलिये तैयार हो गया ।

1988 मार्च में शुरू किये रबड़ क्षेत्रों का सेंनसस कार्य जारी रखा 1,23,478 छोटे बागनों से संबंधित डाटा का संकलन किया ।

योजना

1991-92 केलिये वार्षिक योजना को तैयार किया । आठवी 15 वर्षीय योजना और आदिवासी उपयोजना और विशेष कम्पोनन्ट योजना के संबंध में 1991-92 की वार्षिक योजना तैयार कर के मंत्रालय को प्रस्तुत किया । मंत्रालय/ योजना आयोग से प्राप्त सुझाव के आधार पर रबड के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना का पुनर्संशोधन किया था ।

विश्व संस्थाओं को योजनाओं की पूर्ती

अन्तराष्ट्रीय रबड अध्ययन ग्रुप, लण्डन और ए एन आर पी सी कुलालंपूर जैसे विश्व संस्थओं को सूचनाओं की पूर्ती जारी रखी । आई आर एस जी का 32वीं सम्मेलन "ओटावा" [कानडा] में 1990 सितंबर 10 से 14 तक हुआ था । 23 सदस्य राष्ट्रों ने और 8 राष्ट्रों तथा 11 अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं से प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमति जे. ललिताम्बिका, अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड ने भाग लिया ।

ए एन आर पी सी के कार्यकारिणी समिति का विशेष सम्मेलन और विदग्ध समिति का 13वीं सम्मेलन 1990 जूलाई 1 से आगस्ट तीन तक कुलालंपुर में चलाया था । इन सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री पी मुकुन्दन मेनोन रबड उत्पादन आयुक्त और श्री सी. ए. भास्करन्, अवर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ने भाग लिया था । प्राकृतिक रबड उद्योग के वर्तमान समस्यायें एवं विकासों को ध्यान में रखकर अगला सम्मेलन 1991 के पहली तिमाही में मिनिस्टीरियल लवल पर चलाने का निश्चय किया । प्रसंस्करण गुण एवं विपणन पर समिति का प्रथम सम्मेलन और ए एन आर पी सी सदस्य राष्ट्रों के वरीय अधिकारियों का प्रारंभिक सम्मेलन 1990- अक्टूबर 30 से ताइलन्ट में हुआ । श्रीमति जे ललितांबिका, अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड ने भाग लिया । इस समिति का दूसरा सम्मेलन 1991 मार्च 4 से 8 तक कुलालुपुर में हुआ । श्री. ए. कृष्णस्वामी, दूसरा सचिव, भारतीय उच्च आयुक्त कुलालंपुर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया ।

6. प्रचार एवं रबड़ संवर्धन

पत्रिका एवं प्रकाशन

मलयालम मासिका रबड़ के महीने में 10,315 प्रतिलिपियों होती है। आजीवन ग्राहकों को भर्ती करने की योजना जारी रखी। कुल 68 आजीवन ग्राहक सदस्य हो गये और उनकी संख्या 3975 होती है। रबड़ बोर्ड बुलटिन के चार इश्युओं को निकाला था जिसके 1100 प्रतिलिपियाँ होती है। "वित्तु गुतल विपणि वरे" नामक मलयालम पुस्तक के चौथे संशोधित एडिशन के 5000 प्रतिलिपियाँ और "रबड़ एन्न कल्पधेनु" का 5000 प्रतिलिपियाँ का प्रकाशन किया था। इसमें रबड़ कृषि एवं प्रसंस्करण पर आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 48 पाठों को मिलाया था। रबड़ टापिंग नामक मलयालम पुस्तक दूसरा संशोधित एडिशन भी प्रकाशित किया। इसके एक लाख प्रतिलिपियों का प्रिन्टिंग किया।

प्रस रिलीस, फार्म फीचर और विज्ञापन

राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिकियों में विविध विषयों का रिलीस किया था। कुल 75 प्रस रिलीस और 78 विज्ञापन दिये थे। मलयालम दैनिकियों के कर्षक रंगम में पृष्ट में फार्म फीचर रिलीस की।

रबड़ उत्पादक संघ

सारे रबड़ उत्पादक केन्द्रों में रबड़ उत्पादक संघों की स्थापना का कार्य जारी रखा। अनुमोदित संघों की संख्या 1989-90 में 883 थी, 1990-91 में यह 1158 होकर बढ़ गया।

प्रदर्शन एवं सेमिनार

126 सेमिनारों का संगाठन किया। बलतागांडी के (कर्नाटका) किल्लूर और त्रिशूर के मण्णुत्ती (केरल) दो प्रदर्शनियाँ चलायी थी।

आकाशवाणी में रबड़ स्कूल

रबड़ कृषि, उत्पादन, विपणन एवं अन्य संबंधित कार्यों के वैज्ञानिक पहलुओं पर "रबड़ एन्न कल्पधेनु" नामक सीरियल का आकाशवाणी त्रिशूर की सहयोगिता से 50 साप्ताहिक पाठों में प्रसारित किया। यह पचास सप्ताह योजना 1990 में खतम हुई।

पोलीबाग नर्सरियाँ

इस साल 250 चुने हुए रबड़ उत्पादक संघों द्वारा पोलीबाग में पाँच लाख उच्च उपजित बड्ड स्टम्पस को तैयार करने का कार्य किया । पौधाई समुदाय को उच्च उपजित पौधाई माल की प्राप्ति सुदृढ़ करने में यह सहायक हो गया ।

7. श्रमिक कल्याण

रबड़ अधिनियम की धारा 8§2§ के अनुसार रबड़ बागन कामकाज के जीवन स्तर को बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लक्ष्य से बोर्ड ने शैक्षिक वृत्तिका चिकित्सा सहायता, भवन अनुदान एवं समूह बीमा तथा जमा योजनाओं को इस साल कार्यान्वित किया था । इसके लिये नोन प्लान बजट में 22 लाख रुपए को रखा था । भवन सहायधन योजना के कार्यान्वयन केलिये वार्षिक प्लान में दस लाख रुपए को प्रबंध किया ।

1§ शैक्षिक वृत्ति का योजना

कला विज्ञान, वाणिज्य, इंजिनीयरिंग, कृषि एवं चिकित्सा के अनुमोदित वर्गों में पढ़ने के लिये रबड़ बागन कामगारों के बच्चों को शैक्षिक वृत्ति देने की योजना का कार्यान्वयन किया । अध्ययन शुल्क, छात्रावास शुल्क और पुस्तकों, उपकरणों आदि के क्रय के लिये लम्पसम ग्रान्ट आदि के लिये यह शिक्षिका वृत्ति दी जाती है । 11544 कामगारों को शैक्षिक वृत्ति के तौर पर 19,25,987 रु दिये थे ।

2. समूह बीमा एवं जमा योजना

1951 के बागन श्रमिक अधिनियम की शर्तों में न आनेवाले रबड़ बागन कामगारों को मृत्यू, खतरा के बदले क्षतिपूर्ती देना इस योजना का लक्ष्य है । उनके बीच बचत का स्वभाव बढ़ाने में यह सहायक है । इस योजना में इस साल 1200 कामगार सदस्य हो गये । 1987 से इस योजना का कार्यान्वयन किया था और इस साल 870 लोगों ने नवीकरण किया । बीमा लिये लोगों के नाम पर बोर्ड के शेयर के तौर पर 207,000/-रु. को जमा किया था । बीमा कंपनी ने खतरा क्षतिपूर्ति के तौर पर दो कामगारों को इस साल714/- रु. का वितरण किया था ।

3. चिकित्सा योजना

रबड़ बागनों में काम करनेवाले कामगारों को बागन श्रमिक अधिनियम के अधीन नहीं आते जिनका मासिक आय 1600 से काम थे दो इससे से अधिक

दीर्घकालीन रोगों की चिकित्सा के लिये इस योजना द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है । चिकित्सा प्रतिपूर्ती के तौर पर इस साल 122 कामगारों को 78,484/-रु. का वितरण किया था ।

4. भवन सहायधन योजना

आठवीं योजना के काल 50 लाख रु. के खर्च कर के एक भवन सहायधन योजना के कार्यान्वियन के लिये बोर्ड ने सरकार के पास प्रस्ताव रखा था । अनुमोदन की प्रतीक्षा करते हुए 1990-91 में इस योजना का कार्यान्वियन किया । 1989-90 के बकाये दावों की बडी संख्या के कारण नये आवेदन नहीं स्वीकार किये । 1989-90 योजना के अनुसार बकाये आवेदनों का प्रोसस किया । आवेदक के नाम पर भूमि होना है । घर के प्लिन्ट एरिया 20 से 70 वर्ग मीटर हो सकता है । अनुमानित खर्च 7000/-रु । ऐसे लोग अनुमानित खर्च के 25% या 5000/-रु. (जो कम होता है।) के अनुदान के लिये योग्य होते हैं । इस साल 152 कामगारों को 532 375/- रु. दिये थे ।

8. सतर्कता

इस साल सतर्कता प्रभाग द्वारा ग्रूप आ और आ के 6 अधिकारियों के और ग्रूप डी और सी के 13 कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच/निरीक्षण के लिए 19 शिकायतों को लिए थे । बोर्ड के मूल्यों का दुर्विनियोजन अनुदान देने में बोर्ड को धोखा देना, झूठे वाउचर देकर पेशगियों का निपटान, टी.ए, डी.ए का झूठा दावा अनधिकृत गैर हाज़िरी आदि से संबंधित शिकायतें हैं । सारी शिकायतों का मूल्यांकन किया और आवश्यक कार्रवाई की ।

मुकदमे

तीन अधिकारियों के विरूद्ध मेजर दंडनीय कारवाई और 11 अधिकारियों के विरूद्ध लघुदंडनीय कार्रवाई की थी । दो अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की ।

चल/अचल संपत्तियों की प्राप्ति/निपटान

ग्रूप क और ख अधिकारियों से 31.12.1990 तक के अचल संपत्ति का वार्षिक विवरणी प्राप्त करके जाँच की । इस साल अचल वस्तुओं के क्रय/बिक्री के मंज़ूर के लिये बोर्ड के कर्मचारियों से 65 आवेदन और मोटोर कार टेलिविज़न, रफ्रिरेटर

आदि चल संपत्तियों की प्राप्ति/बिक्री के लिये 63 आवेदनों का प्रोसस किया था ।

सतर्कता उडाका दल

क्षेत्रीय कर्मचारियों के बीच होने वाले विलंब, दुराचार एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध सतर्कता उडाका दल का संगाठन हुआ । इस में एक उप रबड़ उत्पादन आयुक्त, एक विकास अधिकारी और एक सर्वेक्षण अधिकारी मिलता है । इस साल 253 मामलों की जाँच की । 145 कार्यालयों में 5 टापेर्त प्रशिक्षण स्कूलों और तीन प्रादेशिक नर्सरियों में आकस्मिक जाँच की थी । अधिकारियों के विरूद्ध दस शिकायतों की जाँच की और आवश्यक कार्रवाई ली थी ।

9. कानूनी कार्य

कानूनी अभिलेखाओं का प्रारूप तैयार करना रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन प्रोसिक्यूशन केलिये कार्रवाई लेना, विभागों एवं अनुभागों को सुझाव देना, श्रमिक कार्यों में समझौता कार्य में विभागों की सहायता करना, कर संबंधी कार्य बोर्ड के लिये कानूनी सलाहकारों को रखना आदि इस अनुभाग के प्रमुख कार्य थे ।

इस साल 400 फयलों में सलाह/सुझाव दिये । बोर्ड के विरूद्ध विविध अदालों में 70 मुकदमे बकाये में थे, बोर्ड के हित की रक्षा केलिये वकीलों द्वारा कार्रवाई ली है । रबड़ अधिनियम के अधीन प्रोसिक्यूशन में प्रोसिक्यूटेर्स, बिक्रीकर अधिकारी और पुलिस को सहायतायें प्रदान की । इसके अतिरिक्त रबड़ बोर्ड एवं रबड़ उत्पादक संघों के घटक प्राइवट लिमिटड कम्पनियों के सांविधिक प्रपत्र और अन्य अभिलेखाओं को तैयार किया ।

10. आंतरिक लेखा परीक्षा

पी सी आर एफ, आर आर ऐ ऐ को मिलाकर ग्यारह यूनिटों में आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण चलाये थे और रिपोर्ट प्रस्तुत किया ।

गत निरीक्षण रिपोर्टों के अनुपालन पर ध्यान दिया था । कोट्टयम में स्थित विभागों/अनुभागों से 1989 साल केलिए हाज़िरी पुस्तकों के पुनरीक्षण के रिपोर्ट की जवाब प्राप्त की थी और त्रुटियों का निपटान किया ।

गाडियों के मासिक विवरणियों की जाँच और इंधन उपयोग पर निरीक्षण किया । यह सुदृढ करना था कि कार्यालय गाडियों के उपयोग इंधन का उपयोग और मरम्मत में अकोनोमिक का पालन करता है ।

1989-90 के लिए रबड़ बोर्ड के खाते पर लेखा परीक्षा महालेखाकार केरल द्वारा 1990 मई - आगस्ट में चलाया था । निरीक्षण टिप्पणियों के लिये आवश्यक जवाब पेश कर दी । लेखा परीक्षा में गत रिपोर्टों का पुनरीक्षण किया और करीब 22 अनुच्छेदों को छोड़ दिया ।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों के लिये एक सरल, चिकित्सा, प्रतिपूर्ति योजना का प्रारूप कार्यान्वयन केलिये तैयार किया । इस साल निम्न प्रकार से प्रशिक्षण दिया था ।

पहला बैच	17. 9. 1990	--	9. 10. 1990
दूसरा बैच	22. 10. "90	--	12. 10. 1990
तीसरा बैच	13. 11. 1990	--	03. 12. 1990
चौथा बैच	17. 12. 1990	--	07. 01. 1991

दो कार्यालय मानुवल एक जनरल प्रोसिड्यिर पर और दूसरा शक्तियों का डेलिगेशन पर तैयार किये और छाप दिये ।

11. हिन्दी अनुभाग

इस साल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठक हुई । विविध योजनाओं के कार्यान्वयन केलिये वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया था ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्राज्ञ और प्रवीण चलाये । गृह मंत्रालय द्वारा चलायी परीक्षा में 75 कर्मचारियों ने भाग लिया था । हिन्दी टंकण में, 12 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया । 36 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिये । हिन्दी परीक्षा पास होने के नाते 25 कर्मचारी वैयक्तिक वेतन केलिये योग्य हो गये ।

"रबड़ समाचार" नामक हिन्दी बुल्लटिन के चार अंक प्रकाशित हुए । हिन्दी ग्रंथालय/हिन्दी शिक्षण योजना के लिये 8000 रुपए मूल्यवान पुस्तकें खरीदी थी ।

हिन्दी के उपयोग में प्रगति दिखाते हुए तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को भेजा था ।

12. उप/संपर्क कार्यालय

अहम्मदाबाद/बंगालूर, बंबई, कलकत्ता, जलंधर, कानपुर, मद्रास, नई दिल्ली आदि प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में आठ उप कार्यालय होते हैं । प्राकृतिक रबड़ के क्रय करने में अनुज्ञापत्र पाने केलिये रबड़ व्यापारियों एवं रबड़ माल विनिर्माणों की अर्हता का निर्धारण किया । और उनके बही खातों का सत्यापन किया था । अनुज्ञापत्र हीन रबड़ व्यापार । विनिर्माण का पता लगाने के लिए आकस्मिक जाँच चलायी थी ।

रबड़ उपज विनिर्माण यूनिटों को उत्पादन तकनोलजी में समस्यायें हल करने के लिए इनमें चार कार्यालयों से सेवा प्रदान की थी । अधिक परीक्षण और विश्लेषण होनेवाली समस्यायें उचित सलाह देने केलिए अनुसंधान विभाग की ओर रफर किया ।

--------0--------

एम. एस/16. 8. 1991

भाग - 7 वित्त एवं लेखे

निम्न लिखित कार्यों में वित्त एवं लेखे विभाग द्वारा लगा जाता है ।

1. बजट, परफोरमनस बजट, विदेशी मुद्रा बजट आदि को तैयार करना और बजटरी नियंत्रण का पालन ।
2. बोर्ड की लेखाओं को रखना, वार्षिक लेखा तैयार करके महालेखाकार, केरल द्वारा आडिट करवाना और लेखापरीक्षित खाते का प्रस्तुतीकरण ।
3. सरकार से अनुदान केलिए माँग रखना, विविध विभागों को निधियों का संग्रह एवं वितरण करना ।
4. सारे कारोबारों में वित्तीय प्रबंध पर सलाह देना एवं नियमित करना ।
5. प्लान एवं नोन प्लान आबंटनों में आर्थिक टार्जेट एवं परिणामों पर विवरण प्रस्तुत करना ।
6. रबड़ के उत्पादन लागत एवं मूल्य निर्धारण पर वित्त मंत्रालय के लागत लेखा शाखा ही सहायता करना ।
7. योजना रिपोर्ट एवं स्कीमों केलिए आर्थिक विवरणी तैयार करना
8. टाक्स संबंधी कार्य
9. वित्तीय लेखा, वेतन पंजी एवं अनुदान अदायगी के क्षेत्र में कंप्यूटर द्वारा डाटा का प्रोससिंग ।

वर्तमान काल के प्रमुख कार्य

वार्षिक लेखे 1989-90

1989-90 के बोर्ड के वार्षिक लेखे तैयार किये और 27.5.1990 को लेखापरीक्षा केलिए दिया । लेखापरीक्षित रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र 22-1--1991 को ही मिला और उसे हिन्दी परिभाषा के साथ 4.3.1991 को सरकार को भेज दिया ।

निधि प्रबंध 1990-91

1990-91 साल में प्राप्त 27.65 करोड रूपये का पूरा इस्तेमाल किया है । आंतरिक आय 1.6 करोड रू. भी खर्च किया । सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में निधियों का निवेश समय समय पर पुनरीक्षण किया था । 19 प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा रबड़ उत्पादक संघों से एस्टेट माल वितरण योजना के अधीन 4.59 करोड रू. का संग्रह किया था और मालों के पूर्तिकारों को अदायगी की ।

मूल्य निर्धारण

इस साल वित्त मंत्रालय के लागत लेखा शाखा द्वारा अध्ययन करके रबड़ के "बैंच मार्क " मूल्य की घोषणा केलिए सिफारिश की । छोटे बागानों के संबंध में क्षेत्रीय अध्ययन के प्रबंधन द्वारा और लागत शाखा केलिए एस्टेटों को प्रश्नावली भेजते हुए उनकी सहायता की ।

रबड़ उत्पादक संघों एवं संयुक्त मेखला कंपनियों पर प्रवर्तन पर सलाहकारी समिति

इस साल इस समिति की तीन बैठकें हुईं । संघ के कार्यों के विविध पहलुओं पर समिति ने विचार किया और संघों में लेखे का पालन, लेखापरीक्षा, बिक्री कर कार्य, मालों का वितरण, रबड़ की प्राप्ति आदि क्षेत्रों में सुझाव दी । इस क्षेत्र के कंपनियों की भी सलाह एवं सेक्रेटेरियल सहायता द्वारा सहायता की ।

बजट एवं खर्च

1990-91 का संशोधित बजट एवं 1991-92 का बजट प्राक्कलन तैयार करके सरकार को प्रस्तुत किया । 1990-91 में प्लान के अधीन 21.10 करोड़ रू. और नोन प्लान में 8.25 करोड़ रू. का बजट अनुमोदन मिला था । इसके विरूद्ध 90-91 में प्रोविशनल खर्च प्लान में 20.69 करोड़ रू. और नोन प्लान में 8.30 करोड़ रू. था । 1991-92 केलिए अनुमोदित बजट प्लान में 25.20 करोड़ रू. और नोन प्लान में 8.75 करोड़ रू. था ।

लागत लेखे

रबड़ के मूल्य निर्धारण के लिये उत्पादन के मूल्य पर अध्ययन करने में वित्त मंत्रालय के लागत लेखा खण्ड की सहायता की । छोटे रबड़ बागानों से डाटा का संग्रह करके इस अनुभाग द्वारा प्रोसस किया और मंत्रालय को प्रस्तुत किया । मजदूरी मालाओं के मूल्य वर्धन आदि को ध्यान करके समय समय पर रबड़ बागन के विकास के लागत का संशोधन किया पौधाई मालों के मूल्य पर निर्णय करने के लिये उनके लागत पर अध्ययन किया । बोर्ड से संबंधित बिक्रीकर और कृषि आयकर सम्बन्धि कार्य भी करते थे । योजना रिपोर्ट बनाने के लिये आर्थिक विवरणियों को भी ।

इलक्ट्रोनिक डाटा प्रोससिंग

वेतन पंजी, वित्तीय लेखाओं का प्रोससिंग एरणाकुलम और कोट्टयम प्रादेशिक कार्यालयों से सम्बन्धित परमिट एवं अनुदान जैसे कार्यों में लगे रहे इसके अतिरिक्त 65,000 सेनसेस रिपोर्ट का भी प्रोसस किया । कम्प्यूटरों में पूरे विनिर्माताओं एवं व्यापारियों की सूचि तैयार की । पी सी आर एफ और पी एल पी सी के कामगारों के मज़दूरी कर्मचारियों की वरीयता सूचि सहकारिता संघों की देयता की वसूली आदि के लिये "सोफ्ट वेयर पाकेज" का विकास किया । कम्प्यूटर में 30 योजना रिपोर्ट को बनाने के लिए आर्थिक विवरणियों को भी तैयार किया ।

xxxxxxxxxxxxx

एस. एस. के/8. 8. 91

भाग - 8 - प्रशिक्षण

1990 एप्रिल 1 से 1991 मार्च 31 तक के कार्यकलापों का संग्रह नीचे दिया जाता है ।

1. रबड़ पौधाई एवं एस्टेट प्रबंधन पर अल्पकालीन प्रशिक्षण

18 दिवसीय इस सत्र के तीन बैचस चलाये थे । कम्पनी एस्टेट, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के बागन आदि से प्रतिनिधियों ने भाग लिया । मेघालया, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपूर और केरल से 63 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया ।

2. रबड़ प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण

चार दिवसीय प्रशिक्षण के तीन बैंच चलाये । हारिसन मलयालम लिमिटड से नौ सीनियर मैनेजर, ए. वी. तोमस आन्ड कंपनी लिमिटड से नौ अधिकारी को मिलाकर 31 लोगों ने इस में भाग लिया ।

3. रबड़ माल विनिर्माताओं के लिये प्रशिक्षण

रबड़ लाटक्स एवं रबड़ के शुष्क फार्मों से उपजों के विनिर्माण पर रबड़ माल विनिर्माताओं को प्रशिक्षण दिया था । इस माल लाटक्स उपज विनिर्माण पर पाँच पाँच और शुष्क रबड़ माल विनिर्माण पर चार बैचस चलाये थे । अनुसूचित जाति/वर्ग के दो लोगों को मिलाकर 174 व्यक्तियों ने इस में भाग लिया । ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यु. पी, कर्नाटका, दिल्ली, केरल के थे ।

4. रबड़ षीट ग्रेडिंग पर प्रशिक्षण

कर्नाटका राज्य के दो प्रतिनिधियों को इस पर प्रशिक्षण दिया था ।

5. मशरूम कृषि पर प्रशिक्षण

1990 दिसंबर 9 को मशरूम कृषि पर एक दिवसीय वर्ग चलाया था । केरल से दस लोगों ने भाग लिया ।

6. रबड़ लाटक्स के विश्लेषण एवं टस्टिंग पर प्रशिक्षण

सात प्रतिनिधियों के लिये यह आठ दिवसीय वर्ग चलाया था । श्रावण रबेर्स, प्रिमीयर लाटक्स, टाटा ग्लोरा आदियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

7. <u>एक्सामिनेशन और सर्जिकल ग्लौस के गुण नियंत्रण एवं टस्टिंग पर प्रशिक्षण</u>

टाबा ग्लौस, कोच्चिन के एक प्रतिनिधि को 1990 आगस्ट में इस पर प्रशिक्षण दिया था ।

8. <u>टापिंग के आधुनिक प्रणालियों पर प्रशिक्षण</u>

1990 अक्टूबर 18 को हारिसण मलयालम लिमिटड के प्रतिनिधियों को उन के एस्टेट में इस पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया था ।

9. <u>पम्प ओपरेटैर्स/सहायक पम्प ओपरेटर्स केलिये प्रशिक्षण</u>

रबड बोर्ड के पम्प सेटों के संरक्षण एवं कार्य पर 1990 जून में चार पम्प ओपरेटर्स को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया था ।

10. <u>कनिष्ट क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण</u>

रबड पौधाई, खाद और प्रसंस्करण पर दो बैचों में 24 कनिष्ट क्षेत्रीय अधिकारियों को 1990 जूलाई और अक्टूबर में प्रशिक्षण दिया था ।

11. <u>सुरक्षा/पहरेदारों को नवीन करण प्रशिक्षण</u>

फुट ड्रिल मार्चिंग, सलूटिंग, ड्रेसिंग, अनुशासन आदि पर सुरक्षा पहरेदारों को एक नवीन करण प्रशिक्षण दिया था ।

12. <u>कार्यालय लिपिक/क्षमता पर प्रशिक्षण</u>

कार्यालय लिपिक क्षमता पर 1990 आगस्ट 6 से 8 तक 30 सहायक/कनिष्ट सहायक ग्रेड । / कनिष्ट सहायकों को तीन दिवसीय गहन प्रशिक्षण दिया था ।

<u>सामग्री</u>

1990 एप्रिल 19 को कोट्टयम में एक "रबड प्लान्टेर्स कोनफरन्स - भारत 1990" राष्ट्रीय संगोष्टी चलायी । 450 प्रतिनिधियों ने इस में भाग लिया । ग्यारह प्रबंधों को इस में प्रस्तुत किया । पी पी सी एल अरसु रबड निगम लिमिटड, जनरल इन्शुरन्स कंपनी और जी एन एफ सी ने इस सम्मेलन के स्पोनसर थे ।

रबड टक्नोलजी में अनुसंधान एवं विकास कार्यों की प्रगति केलिये

जापनीस सहायता मिलने में भारत सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव की अनुवर्ती कार्रवाई ली ।

रेडियेशन वल्कनैसड प्राकृतिक रबड़ लाटक्स के उत्पादन के लिये योजना प्लान्ट के सिविल कार्य में वृद्धि हुई । 1990 आगस्ट 7 को शिलाविन्यास किया था । बयोलजिकल षील्ड के लिये आटमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से रचनात्मक डिज़ैन का अनुमोदन मिला था, भाभा अनुसंधान केन्द्र के निरीक्षण में सोर्स मूवींग के लिये यांत्रिक एवं नियंत्रण पद्धतियों का डिज़ैन पूरा होनेवाला है । वेन्टीलेशन पद्धति संस्थापन के लिये योग्य हो गया है । विद्युतीकरण कार्य कोचि के कंपनी को दिया । एक नये उपभोक्ता के तौर पर पयलट प्लान्ट के लिये शक्ति आबंटन में केरल राज्य बिजली बोर्ड से मिला था । 10000 सी शक्ति के रेडियेशन सोर्स की पूर्ती एवं संस्थापन के लिये बी आर आइ टी बंबई को आर्डर दिया था । डाक्टर आर. एम. अय्यर, निदेशक, केमिकल एवं ऐसोटो ग्रूप/बार्क ने 1990 नवंबर 8 में कोचि योजना का संदर्शन किया ।

इस रिपोर्ट साल में इस विभाग द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण वर्गों से शुल्क के तौर पर 198000/-रू. का संग्रह किया गया ।

xxxxxxxxxxxx

एम. एस. के. 8. 8. 91

भाग - 9

सांख्यकी सूचियाँ

सूची - 1

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन, आयात एवं निर्यात

(टण)

महीना		उत्पादन	आयात	उपभोग (देशी एवं आयातित)
एप्रिल	1990	23, 590	11, 248	29, 040
मई	,,	20, 570	8, 223	29, 215
जून	,,	18, 310	8, 580	29, 350
जूलाई	,,	20, 520	2, 753	31, 040
आगस्ट	,,	25, 260	5, 000	29, 420
सितंबर	,,	34, 850	6, 334	29, 140
अक्टूबर	,,	37, 965	1, 901	30, 335
नवंबर	,,	37, 885	1, 211	31, 405
दिसंबर	,,	39, 840	2, 133	31, 585
जनुवरी	1991	35, 650	1, 358	31, 530
फरवरी	,,	16, 265	1, 200	30, 870
मार्च	,,	18, 910	2, 001	31, 380
	योग	329, 615	51, 942	364, 310

सूची - 2

हर महीने के अंत में प्राकृतिक रबड़ का संचय

(टण)

		उत्पादक एवं व्यापारी	विनिर्माता	रा व्या नि	योग
एप्रिल	1990	25, 550	25, 185	24, 251	74, 990
मई	"	26, 860	26, 600	21, 108	74, 570
जूण	"	23, 730	28, 790	19, 632	72, 150
जूलाई	"	23, 475	26, 965	13, 923	64, 365
आगस्ट	"	26, 165	25, 760	13, 281	65, 205
सितूंबर	"	35, 100	23, 750	16, 891	75, 740
अक्टूबर	"	40, 410	27, 940	16, 891	85, 240
नवंबर	"	50, 015	25, 965	16, 891	92, 870
दिसंबर	"	55, 720	30, 720	16, 891	103, 330
जनुवरी	1991	59, 295	33, 580	16, 891	109, 765
फरवरी	"	42, 225	35, 795	18, 340	96, 360
मार्च	"	30, 230	34, 045	22, 155	86, 430

सूची - 3

सिंथेटिक रबड का उत्पादन, आयात एवं उपयोग

(टण)

		उत्पादन	आयात×	उपयोग
एप्रिल	1990	3,590	3,342	7,130
मई	"	4,102	3,053	7,745
जूण	"	4,268	3,668	8,115
जूलाई	"	4,970	3,746	8,350
आगस्ट	"	3,423	4,418	8,475
सितंबर	"	3,845	3,357	8,210
अक्टूबर	"	4,475	3,785	8,420
नवंबर	"	4,560	4,920	8,590
दिसंबर	"	5,721	4,815	8,610
जनुवरी	1991	5,297	4,608	8,610
फरवरी	"	4,835	3,625	8,580
मार्च	"	5,194	3,000×	8,480
	योग	57,280××	46,000×	99,500

× अस्थायी

×× इसमें 3000 टण भी मिलता है, जिसकेलिए मासिक वार आँकडे प्राप्त नहीं ।

सूची - 4

संसाधित रबड़ के उत्पादन और उपयोग

(टण)

		उत्पादन×	उपयोग
एप्रिल	1990	3, 415	3, 430
मई	"	3, 425	3, 610
जून	"	3, 530	3, 540
जूलाई	"	3, 765	3, 905
आगस्ट	"	3, 875	3, 780
सितंबर	"	3, 775	3, 520
अक्टूबर	"	3, 660	3, 810
नवंबर	"	4, 050	4, 010
दिसंबर	"	4, 185	4, 075
जनुवरी	1991	4, 160	4, 080
फरवरी	"	3, 770	3, 750
मार्च	"	4, 175	4, 150
	योग	45, 175	45, 660

×विनिर्माताओं द्वारा देशी क्रय

एम. एस/9. 7. 91

परिशिष्ट - I

31. 3. 1990 में रबड़ बोर्ड के सदस्यों की सूची

1. श्रीमती जे ललितांबिका, आइ ए एस	अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, केरल, तिरुवनंतपुरम-695001.	केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने सरकार से नामित ।
3. अध्यक्ष, केरल बागन निगम लिमिटड, कोट्टयम - 686001, केरल ।	
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अरशु रबड़ कोरपरेशन, वाडश्शेरी, नागरकोयिल, तमिलनाडु ।	तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने तमिलनाडु सरकार द्वारा नामित ।
5. श्री पी. के. अब्दुल्ला कुट्टी, प्रबंध निदेशक, के एस. ए एस्टेट एवं टैबैर्स, पल्लीक्कोन्नी रोड, कल्लाई, कोषिकोड-673003.	केरल राज्य में बड़े उत्पादकों से निर्वाचित
6. मैकिल ए कल्लिवयलिल, कुट्टिक्कानम. पी. ओ, पीरमेड्डु, इडुक्की जिल्ला, केरल ।	
7. श्री के. जेकब तोमस, प्रबंध निदेशक, वाणियंपारा रबड़ कंपनी लिमिटड, वाषाक्काला बिलडिंगस, कोट्टयम - 686001, केरल ।	
8. श्री ए. कुरियन, उप्पूट्टिल, पारवतीपुरम, नागरकोयिल ।	तमिलनाडु में बड़े उत्पादकों से निर्वाचित
9. रिक्त	लोक सभा द्वारा निर्वाचित
10. रिक्त	
11. श्री एम एम जेकब, 4, कौशिक रोड, नई दिल्ली - 110011.	राज्य सभा द्वारा निर्वाचित

12. श्री. के. जे. मोहन, एक्स-मयूर, कोच्चिन कोरपरेशन, एरणाकुलम । 13. श्री चरुपरा रवी, वसन्ता विलासम, वितुरा. पी. ओ, नेडुमंगाड । 14. श्री ए कुंजीरन, सामान्य सचिव, केरल राज्य बागन कामगार संघ, कोंडोटी. पी. ओ, मलपुरम । 15. श्री. आर. एस. उण्णी, यू टी यू सी आफीस, कर्सन रोड, कोल्लम - 13.	श्रमिक हित का प्रतिनिधित्व करने केन्द्र सरकार द्वारा नामित ।
16. श्री पी. मुकुन्दन मेनोन, रबड उत्पादन आयुक्त, रबड बोर्ड, शास्त्री रोड, कोट्टयम - 686001	पदेन
17. श्री के जोसफ मोनिप्पल्ली सामान्य सचिव, इन्ड्यन रबड ग्रोवेर्स संघ, 34/1802, कडवन्तरा, कोच्चिन-682016, केरल । 18. श्री एम. के विद्याधरन, उत्तमन, एल ऐ सी लैन, पट्टम पालस. पी. ओ, तिरूवनंतपुरम-695004. 19. श्री एम. अतैनारुकुट्टी, मालिकण्डत्त, चप्पाराप्पडव, तलिप्परंपा, कण्णूर जिला, केरल ।	केरल के छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने केन्द्र सरकार द्वारा नामित ।
20. अध्यक्ष, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ, लमींगटन रोड, बंबई - 400 008. 21. अध्यक्ष, आटोमोटीव टयर विनिर्माता संघ, दूसरा फ्लोर, 9 ए कन्नाट प्लैस, नई दिल्ली ।	रबड़ माल विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने केन्द्र सरकार द्वारा नामित ।

22. श्री गगन बिहारी जेना, विलेज रामपुर, पी ओ रामचन्द्रपुर, कटक, ओरीसा ।	
23. श्री एन. जे. माथ्यू, नंबियापरंपिल, अडवकेट, तोडुपुषा ।	"अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने केन्द्र सरकार द्वारा नामित ।
24. श्री के. जी. केतकार, निदेशक, सुधागाड रबड इंडस्ट्रीस, नं. 2, पहला फ्लोर, 44-एस भगत सिंह रोड, बंबई -- 400039.	
25. प्रो. के. आर. रामन कर्ता, कुत्तियतोड, आलपी ।	

एस. एत/9. 7. 91

परिशिष्ट-2

31/3/1991 में प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची

क्र.सं.	प्रादेशिक कार्यालयों की सीमा	सेवा क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों की सीमा	क्षेत्रीय अधिकारियों/कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या: प्रादेशिक कार्यालय में	क्षेत्रीय कार्यालय में	योग
1	2	3	4	5	6	7
	तमिलनाड					
1.	नागरकोयिल	कन्याकुमारी, तिरुनलवेली, और मदुरै जिला ।	1. कुलशेखरम	1	2	
			2. कुल्रिथुरै		1	4
	केरल					
2.	तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम जिला	3. नेयूत्तिनकरा	–	2	
			4. नेडुमंगाड		2	
			5. वेंजारमूड		3	
			6. पालोड		2	
			7. काटाकडा		2	
			8. वितुरा		1	
			9. किलिमानूर		1	13
3.	पुनलूर	तमिलनाड के चेंकोटा जिला और कोल्लम जिलाके पत्तनापुरम एवं कोटारकरा तालूक ।	10. चतयमंगलम्			
			11. अंचल			
			12. पत्ताशी			
			13. पत्तनापुरम,			
			14. कुड्क्कल			
			15. कोट्टारकरा			
			16. कुलत्तुपुषा			
			17. पूयप्पल्ली		1	12
4.	अडूर	कोल्लम जिलाके कोल्लम एवं कुन्नथूर तालूक, आलपुषा जिला के चेंगनूर, मावेलिकरा एवं कार्तिकप्पल्ली तालूक और पत्तनंतिट्टा जिला के अडूर तालूक ।	18. कल्लुवातुक्कल	2	1	
			19. भरणिकाव		1	
			20. पंतलम		1	
			21. कोच्चालुमूडु		1	
			22. कडाल		1	7

1	2	3	4	5	6	7
5.	पत्तनंतिट्टा	पत्तनंतिट्टा जिला के पत्तनंतिट्टा, कोग्निरी और रान्नी तालूक ।	23. कोन्नी	3	1	
			24. रान्नी		1	
			25. वडशेरिकरा		1	
			26. वेच्चूचिरा		1	
			27. नाराणम्मूषी		1	
			28. कैपाट्टर		1	
			29. कोग्निरी		1	10
6.	चंगनाश्शेरी	आलपुषा जिला के कुट्टनाड, मल्लप्पल्ली एवं तिरुवल्ला तालूक और कोट्टयम जिला के चंगनाश्शेरी तालूक ।	30. तिरुवल्ला	2	1	
			31. मल्लपल्ली		2	
			32. वाकत्तानम		1	
			33. करुकच्चाल		2	
			34. वाषूर		1	
			35. पत्तनाड		1	10
7.	कोट्टयम	कोट्टयम जिला के कोट्टयम और वैकम तालूक	36. पांपाडी	1	1	
			37. मण्णारकाड		1	
			38. पूवथिलपु		1	
			39. कूरोपडा		1	
			40. पल्लिक्कतोड		1	
			41. एट्टुमानूर		1	
			42. कडुतुरुत्ती		2	
			43. पेरुवा		1	10
8.	कांजिरप्पल्ली	कोट्टयम जिले के कांजिरप्पली तालूक और इडुक्की जिले के पीरमेडु तालूक	44. पोनकुन्नम	2	1	
			45. मणिमला		2	
			46. एरुमेली		1	
			47. कूरली		1	
			48. पारतोड		2	
			49. मुंडकयम		4	13

1	2	3	4	5	6	7
9.	इराट्टुपेटा	कोट्टयम जिले में मीनच्चिल तालूक के पूंजार दक्षिण, पूंजार नडुभागम, पूंजार उत्तर, ईराट्टुपेटा, कोंडूर, तीकोई, तलपालम, मूनिलव और मेलुकाव विल्लेज।	50. मेलुकाव	1	1	7
			51. पूंजार नडुभागम		1	
			52. पूंजार दक्षिण		1	
			53. तिडनाड		1	
			54. तीकोई		1	
			55. मूनिलव		1	
10.	पाला	कोट्टयम जिले में मीनच्चिल तालूक के लालम, भरणंगानम, रामपुरम, [illegible] वेल्लियपल्ली, वेत्तियानूर, मीनच्चिल, पूवरणी, वल्लीचिरा, कुरिचित्तानम, एलकाड, कुरविलंगाड, काणकारी और वापूर विल्लेज।	56. रामपुरम	2	2	12
			57. कुरविलंगाड		2	
			58. मरंगाट्टुपल्ली		1	
			59. भरणंगानम		1	
			60. कडनाड		1	
			61. किडंगूर		1	
			62. पैका		1	
			63. मोनिप्पल्ली		1	
11.	तोडुपुषा	इडुक्की जिले के तोडुपुषा उडुंचोला तालूक	64. कदट्टप्पना	4	1	8
			65. मूलमट्टम		1	
			66. करिमानूर		1	
			67. करिमकुन्नम		1	
12.	मूवाट्टुपुषा	एरणाकुलम जिले के मूवाट्टुपुषा तालूक	68. पांपाकुडा	4	1	9
			69. राममंगलम		1	
			70. वाषकुलम		1	
			71. पिरवम		1	
			72. कूताट्टुकुलम		1	

1	2	3	4	5	6	7
13.	कोतमंगलम	इडुकी जिले के देविकुलम तालूक, एरणाकुलम जिले के कोतमंगलम तालूक और कुन्नतुनाड तालूक के पूर्वी भाग (वेंगूर, वेंगूर पश्चिम, कोंपनाड, कूवपीडी, कोडनाड, असमानूर, रायामंगलम और पेरुंपावूर विलेज)		3		
			73. अडिमाली		1	
			74. उनुकल		1	
			75. पोत्तानिकाड		1	
			76. पेरुंपावूर		2	8
14.	एरणाकुलम	एरणाकुलम जिले के कनयन्नूर, आलुवा, पारूर तालूक और कुन्नतुनाड तालूक के पश्चिमी भाग ।	77. मुलंतुरुत्ती	–	2	
			78. पुत्तनकुरिश		1	
			79. कोलेनचेरी		2	
			80. पट्टीमट्टम		1	
			81. कुमारपुरम		1	
			82. पेरुंपावूर		1	
			83. कालडी		2	10
15.	त्रिशूर	त्रिशूर जिला	84. चालकुडी	4	1	
			85. कोडकरा		1	
			86. वडकांचेरी		1	
			87. चेलकरा		1	
			88. तिरुवीलवामला		1	9
16.	पालघाट	पालक्काड जिला और तमिलनाडु के कोयंपत्तूर और सेलम जिला ।		2		
			89. वडकांचेरी		3	
			90. ओट्टप्पालम		1	
			91. तिरुवल्लिपोड		1	
			92. कंगाड		1	
			93. पटांपी		1	
			94. मण्णारकाड		2	
			95. कल्लाडिकोड		2	13

1	2	3	4	5	6	7
17.	निलंबुर	तमिलनाडु के मलपुरम जिला और नीलगिरी जिला	96. पेरिंतलमण्णा	4	1	
			97. मंजेरी		2	
			98. करुवाराकुंड		1	
			99. वांडूर		2	13
			100. एडकैरा		3	
18.	कोषिकोड	कोषिकोड जिला के कोषिकोड और कोइलांडी तालूक	101. तामरश्शेरी	–	2	
			102. बालुश्शेरी		1	
			103. पेरांपरा		2	
			104. मुक्कम		2	
			105. तिरुवांपाडी		2	
			106. कोडेनचेरी		2	11
19.	तलश्शेरी	कोषिकोड जिला के वडकरा तालूक, कण्णूर जिला के तलश्शेरी तालूक और वयनाड जिला म	107. कूत्तुपरंपा	–	2	
			108. कुटियाडी		1	
			109. पेरवूर		3	
			110. इरिट्टी		2	
			111. करिकाट्टकरी		1	
			112. मानंतवाडी		2	
			113. कलपट्टा		1	12
20.	तलिपरंपा	कण्णूर जिले के कण्णूर और तलिपरंपा तालूक	114. उलिकल	2	1	
			115. श्रीकण्टापुरम		2	
			116. चेंपेरी		1	
			117. पुलिङुरुंपा		1	
			118. नडुविल		1	
			119. पय्यन्नूर		1	
			120. आलक्कोड		2	
			121. कार्तिकपुरम		1	

1	2	3	4	5	6	7
			122. वेल्पुला		1	
			123. पात्तिल		1	
			124. पुलिंगोंग		1	
			125. पेरुपडव		1	
			126. तडिकडव		1	17
21.	कांचंगाड	कासंरकोड जिला	127. मूलकालू	1	2	
			128. चिटारिकल		1	
			129. वेल्लरिकुंड		1	
			130. बड्करा		1	
			131. भीमानदी		2	
			132. पन्त्तूर		1	
			133. मुल्लेरिया		1	10
	कर्नाटका					
22.	मांगलूर	बेलजियम जिला के साथ कर्नाटका राज्य		1		
			134. सुलिया		2	
			135. बेलतंगाडी		1	
			136. पुत्तर		2	
			137. कुंडीपुर		1	7
	गोआ					
23.	पोंडा	कर्नाटका के बेलजियम जिला, गोआ एवं महाराष्ट्रा	138. सावन्तवाडी (सहायक विकास अधिकारी)	3	–	3
	औरीसा					
24.	बेरहामपुर	औरीसा के गान्जम और कोरापुट जिला, मध्यप्रदेश के बस्तार जिला, और आंध्र-प्रदेश ।	139. सेरङु सिल्ली	1	1	2
25.	भुवनेश्वर	कट्टक, धेनकानल, फुलबानी और औरीसा के पुरी जिला ।	140. धेनकानल	1	2	3

1	2	3	4	5	6	7
26.	बारिपडा	बालसोर, ओरीसा के कोंंझारगारह जिला, मयूरभंज, वेस्ट बंगाल के दार्जिंग जिला ।				1
	त्रिपुरा					
27.	अगरतला	त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा और त्रिपुरा के उत्तर जिला ।	141. धर्मनगर	2	1	
			142. कमलपुर (हलाहली)		1	
			143. कुमारगाट		1	
			144. खोवाई		1	7
			145. सोणमुरा			
28.	उदयपुर	त्रिपुरा केपश्चिम जिला	146. बेलोनिया	1	1	
			147. अमरपुर		1	
			148. सांतिर बजार		1	4
	आसाम					
29.	गोहटी	गोलपारा, कामरूप, नौगोयिंग, नालबारी, बारपेटा, थुब्री, कोकराजार, प्राग्ज्योतिशपुर, सोंगबगांव, मोरिगांव, धेमाजी और आसाम के सोनितपुर जिला एवं वेस्ट बंगाल के उत्तर जिला ।				

1	2	3	4	5	6	7
30	जोरहट	जोरहट, दारंग, गोलाघाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, और आसाम के नोर्थ लखीमपुर जिला, वोखा एवं नागालांड के मोन जिला	151. तेसपुर 152. गोलाघाट 153. टिनसुकिया	1	1 1 1	4
31.	दिपु	आसाम के कारबी आंगलोंग जिला, कोहिमा, थेक, टूयेनसांग, और नागालांड के तिनहेलोने जिला ।	154. डिमापुर 155. जालूकि	2	1 1	4
32.	सिलचार	नोर्थ और दक्षिण काचार, आसाम के हेयिलाकांडि और करिगंज जिला और मिजोराम एवं मणिपुर राज्य ।	156. करिमगंज 157. जिरिबम 158. कोलासिब	2	1 1 1	5
	मेघालया					
33.	तुरा	मेघालया राज्य		2		2
	अंडमान एवं निकोबार					
34.	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		1		1
			योग	59	205	264

एम. एस/22. 7. 1991.

रबड बोर्ड का वर्षिक रिपोर्ट

1991-92

रबड बोर्ड

(भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय)

कोट्टयम–१, केरल राज्य

रबड़ बोर्ड

1991-92 साल केलिए कार्यकलापों का वार्षिक रिपोर्ट

			पृ. सं.
भाग 1	प्रस्तावना		1
भाग 2	रचना और कार्य		4
भाग 3	रबड़ उत्पादन		8
		कार्यकलापों के पुनरीक्षण (विकास खंड)	8
		सलाह एवं प्रसार सेवा	15
		रबड़ संवर्धन	20
		उत्तर पूर्वी रबड़ विकास योजना	20
		पूर्व भारत रबड़ विकास योजना	25
भाग 4	रबड़ अनुसंधान		
		कृषि/मृदा	28
		वनस्पति प्रभाग	30
		बयोटेक्नोलजी प्रभाग	31
		जर्मप्लाज्म	32
		पौधा शरीर विज्ञान एवं समुपयोजन	32
		कवक विज्ञान एवं पौधा रोग विज्ञान	33
		कार्षिक अर्थ	33
		रबड़ रसायन, भौतिकी एवं तकनोलजी	34
		उत्तर पूर्वी क्षेत्र केलिए अनुसंधान कोंप्लक्स और अनुसंधान प्रादेशिक केन्द्र	35
		ग्रंथालय/उपकरण/कला/फोटोग्राफी	36
		सांख्यकी एवं विश्लेषण	36
		परीक्षण केन्द्र	37
		प्रशिक्षण वर्ग	37
भाग 5	प्रसंस्करण एवं उपज विकास		40
		इंजिनीयरिंग प्रभाग	40
		गुण नियंत्रण प्रभाग	42
		फाक्टरी मैनेजमेंट/पी एल पी सी	42
		तकनीकी परामर्शदाता	42
		अर्थ एवं वित्त प्रभाग	43
		विपणन प्रभाग	45
भाग 6	प्रशासन		48
		रबड़ के उत्पादन शुल्क (उपकर)	51
		विपणन आसूचना	51
		रबड़ व्यापारियों का अनुज्ञापत्र	53
		सांख्यकी एवं योजना	56
		प्रकाशन एवं प्रचार	57
		श्रमिक कल्याण	58

.......2/-

	आंतरिक लेखा परीक्षा	58
	कानूनी कार्य	59
	सतर्कता	59
	हिन्दी कार्य	60
	उप/संपर्क कार्यालय	60
भाग 7	वित्त एवं लेखे	61
भाग 8	सांख्यिकी विवरणी	63
	बोर्ड के सदस्यों की सूची [परिशिष्ट]	67
	बोर्ड के प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची [परिशिष्ट-2]	68

xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx
x

1991-92 केलिए रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों का वार्षिक रिपोर्ट

भाग-1 प्रस्तावना

1991-92 साल केलिए रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों का वार्षिक रिपोर्ट है यह । 1991 एप्रिल 1 से 1992 मार्च 31 तक के कार्यकलापों का संग्रह इसमें किया गया है ।

देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में रबड़ का महत्वपूर्ण योगदान होता है । इस शताब्दी के प्रथमदशाब्द में रबड़ की पौधाई शुरू हुई थी । बड़े उत्पादक पुरोगामी थे । बाद में छोटे उत्पादक क्षेत्र में आये । रबड़ अधिनियम, 1947 के अधीन रबड़ उद्योग के कार्यों के संचालन केलिए भारत सरकार ने एक कोरपरेट निकाय के तौर रबड़ बोर्ड का संगठन किया था । वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान केलिए बोर्ड ने 1955 में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान की स्थापना की ।

रबड़ बागनों के विकास केलिए आवश्यक कार्यों का विकास कराना था । कृषकों के यहाँ तकनोलजी के स्थानांतरण केलिए प्रसार एवं सलाहकारी सेवाओं से युक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों द्वारा परंपरागत प्रणालियों से आधुनिक कृषि परिचारों की ओर रबड़ उत्पादित सेक्टर का तुरंत परिवर्तन हुआ । मलेशिया, इन्डोनेशिया और ताइलैंड के बाद प्राकृतिक उत्पादक राज्यों में भारत चौथे स्थान पर आया ।

रबड़ बागन उद्योग में अनुसंधान कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान था । प्रति हेक्टर में 2500 कि. ग्राम उपज क्षमता के आर आर ऐ ऐ 105 उच्च उपजित क्लोण को भारत ने खोज निकाला । पौधाई बीजों से बडिंग की ओर परिवर्तन, पक्व एवं अपक्व रबड़ केलिए युक्त खाद मिश्रणों का आविष्कार, कीट एवं रोग प्रबंधन परिचार और सुधारित फसल प्रसंस्करण ने रबड़ उत्पादन की वृद्धि में महत्वपूर्ण योग दिया था । न्यूनतम झंझट के साथ फसल की वृद्धि, मृदा एवं पत्र विश्लेषण के बाद खादों का प्रयोग, उपज उद्दीपन के सहयोग से फसल समुपयोजन, तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ का प्रसंस्करण, रबड़ के तकनोलजि वस्तुओं के सुधार के उपभोग अनुसंधान, टिशू कल्चर आदि अनुसंधान विकास कार्यकलापों वर्तमान क्षेत्र थे ।

देश में रबड़ पौधाई के विकास एवं संवर्धन केलिए चलायी योजनाओं में सातवीं योजना में कार्यान्वित रबड़ बागन विकास योजना सबसे प्रमुख थी । योजना में परंपरागत क्षेत्र में छोटे उत्पादकों को और अपरंपरागत क्षेत्र में सारे उत्पादकों को

आर्थिक सहायता इस योजना के अधीन दी जाती है । पौधाई एवं संरक्षण की सारी दशाओं पर अनुपूरक सहायता एवं तकनीकी सलाह दी जाती है । छठवीं योजना काल में कुल 72,670 हेक्टर में पौधाई की थी जब कि टार्जेट 60,000 हे. था तो सातवीं योजना काल में 40,000 हेक्टर के टार्जेट के विरुद्ध 74,364 हे. में पौधाई की थी । यद्यपि आठवीं योजना के प्रस्तावों को सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन न हो जाने पर भी, प्रति साल 12,000 हेक्टर के/टार्जेट के वार्षिक आधार पर रबड़ बागन विकास योजना के कार्य चल रहे हैं । 1990-91 में टार्जेट को पार किया था । 1991-92 में भी पौधाई किये क्षेत्र टार्जेट से भी अधिक था ।

इस योजना के अधीन बोर्ड ने 83.35 करोड़ रू. का आर्थिक सहायता दी है । 1991-92 में यह 12.56 करोड़ रू. था ।

1991-92 में रबड़ बागन उद्योग ने महत्वपूर्ण प्रगति पायी है । प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 1990-91 में 329,615 टन था तो इस वर्ष 366,745 टन होकर बढ़ गया । वृद्धि दर 11.3% उत्पादित क्षमता तो गत साल के 1076 कि.ग्रा से प्रति हेक्टर को 1130 कि.ग्रा. हो गया । उत्पादन एवं उत्पादिता की वृद्धि का प्रमुख कारण, आर आर आई आई 105 जैसे ऊँ उपज्जित क्लोणों से पौधाई किये अधिक क्षेत्रों का टापिंग ही था । 1991-92 में प्राकृतिक रबड़ का उपभोग 380,150 टन होकर बढ़ गया, वृद्धि दर 4.3% । 1990-91 में उपभोग का वृद्धि दर 6.6% था तो 1989-90 में 8.9% था । टयार सेक्टर में उत्पादन की कमी ही उपभोग की वृद्धि में कमी का कारण था ।

मूल्य

1991 जनवरी 15 में नियत उचित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं था । जोभी हो, विपणन मूल्य में उतार-चढाव थी, अतः 1991 फरवरी से 1991 एप्रिल के अंत तक और 91 अक्टूबर से 92 मार्च तक राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रैस सपोर्ट क्रियायें करनी पड़ी । प्रथम समय विपणन से आर एम ए-5 के 7700 टण और दूसरे काल 7,169 टण तथा आर एम ए - 4 के 8816 टण मिले । सबसे कम उत्पादित काल में विनिर्माताओं को पर्याप्त पूर्ती के सुदृढ़ करने तथा उतारने मूल्य को रोकने के लिए एस टी सी द्वारा आभ्यंतर विपणी में 5660 टण रबड़ का रिलीस किया था । 1991-92 में आर एम ए - 4 वर्ग का औसत मूल्य प्रति क्विन्टल के लिए 2,141 रू. था, जो गत साल में 2129 रू. था ।

अंतराष्ट्रीय घटनायें

प्राकृतिक रबड़ का विश्व उत्पादन 1991 में 5.34 करोड़ टण होकर बढ़

गया, जो 1990 में 5.21 करोड़ टण था – वृद्धि 2.5% । लेकिन विश्व उपभोग 5.23 करोड़ टण से 5.15 टण होकर घट गया । अधिकांश विकसित राष्ट्रों की गिरी आर्थिकता और पूर्व यूरोप की अनिश्चितता उपभोग की कमी के प्रमुख कारण थे । 1991 में मलेश्या में आर एस एस 3 वर्ग रबड़ का औसत मूल्य 216.7 रिंगिट्स होकर घट गया (रु 2311) जो 1990 में 220.4 था (1424/-रु) मूल्य का पतन प्रमुख रबड़ उत्पादित देशों में उत्पादन में भी कमी का कारण बन गया । 1988 में मलेश्या उत्पादन 1.66 करोड़ था, 1990 में 1.29 करोड़ हुआ और 1991 में 1.25 करोड़ होकर घट गया । इन्डोनेश्या का उत्पादन 1990 में 1.26 करोड़, पर 1991 में 1.34 करोड़ रु. । ताइलैंड के उत्पादन में वृद्धि थी, 1.27 से 1.35 करोड़ होकर बढ़ गया ।

1991 जून में पापुआ न्यू गिनी में प्राकृतिक रबड़ उत्पादित संघ के 15 वीं सम्मेलन चलाया था । प्राकृतिक रबड़ केलिए प्रतिफलात्मक मूल्य सुदृढ करने के लक्ष्य से विश्व उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में ए एन आर पी सी द्वारा समन्वय कराने में एक योजना की स्थापना करने केलिए सम्मेलन ने घोषणा की । सम्मेलन का मत था कि अंतराष्ट्रीय प्राकृतिक रबड़ संघ को करार के अनुसार विकास लक्ष्यों को पाने में और भी आगे जाना है जैसे उत्पादित राष्ट्रों के आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक विकास, निर्यात आय में वृद्धि । सम्मेलन ने निर्णय लिया कि रबड़ आधारित उद्योगों के खासकर लाटेक्स बेस्ड उद्योग के विकास तथा संवर्धन पर प्राथमिकता देनी है । रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया ।

अंतराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन संघ का 33 वीं सम्मेलन 1991 नवंबर में कामरूण में हुआ । सम्मेलन ने, 1992 में प्राकृतिक रबड़ का विश्व उत्पादन 5.56 करोड़ टण और उपभोग 5.3? करोड़ टण अनुमानित किया । विश्व आर्थिकता में साल 1992 में प्रगति अनुमानित की जाती है ।

गुण, परिस्थिति निरूपण, मूल्य और विनिर्माण की ट्रोपिकल समस्याओं पर अंतराष्ट्रीय रबड़ फारम के सम्मेलन ने ध्यान दिया । प्राकृतिक रबड़ के गुण एवं अवतरण में प्रगति पाने केलिए प्रमुख रबड़ उत्पादित देशों का वर्धित इच्छा व्यक्त हुई । ताइलैंड में छोटे पार्कों में आर एस एस माल प्रस्तुत करने के प्रस्ताव हो रहे हैं । मलेश्यन प्रतिनिधियों ने एक एस ओ 9000 और गुण प्रणालियों का विवरण दिया । एक फाक्टरी को ऐ एस ओ 9000 का अनुमोदन दिया और इस सीमा में कई फाक्टरियों को लेने का विचार है । तरसे प्लास्टिक इलास्टोमेर के विकास द्वारा इलास्टमर उपयोग में वर्धित क्षेत्र का आविर्भाव होगा । सम्मेलन में रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष ने भारत का प्रतिनिधित्व किया ।

xxxxxxxxx

भाग - दो

रचना और कार्य

1. प्रस्तावना

भारत में रबड़ उद्योग के विकास के उपयुक्त कार्यों के संवर्धन के लिए रबड़ अधिनियम के (संवर्धन एवं विपणन) अधीन 1947 एप्रिल 19 तारीख पर भारतीय रबड़ बोर्ड की स्थापना हुई । रबड़ उत्पादन एवं विपणन (संशोधन) अधिनियम 1954 द्वारा बोर्ड के संविधान में कुछ भेद आये और इसका नाम रबड़ बोर्ड पड़ा । 1955 आगस्ट में यह अधिनियम लागू में आया । रबड़ अधिनियम (संशोधन) 1960 और रबड़ (संशोधन) अधिनियम 1982 द्वारा रबड़ अधिनियम का और भी संशोधन किया । यह अंतिम संशोधन द्वारा केन्द्रीय सरकार बोर्ड के लिए एक अंशकालिक अध्यक्ष/पूर्णकालिक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक अधिशासी निदेशक की नियुक्ति कर सकते (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य लगने पर) ।

2. संघठन

रबड़ बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है । बोर्ड में अब तक पूर्ण कालिक अध्यक्ष होता है जो बोर्ड के कार्यपालक अधिकारी होते हैं । बोर्ड के सम्मेलनों के निर्णयों का कार्यान्वयन और रबड़ अधिनियम के अधीन सेवापालन केलिए वे उत्तरदायी होते हैं । बोर्ड में अन्य सदस्यों की संख्या पच्चीस होती हैं । जिसमें:-

1) तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए दो सदस्य होंगे, जिनमें एक रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा ।

2) केरल का प्रतिनिधित्व करते हुए आठ सदस्य होंगे । जिनमें छः रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनमें तीन छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

3) केन्द्रीय सरकार द्वारा दस सदस्यों को मनोनित करेंगे जिनमें से दो विनिर्माताओं एवं चार श्रमहितों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

4) संसद के तीन सदस्य होंगे जिसमें लोक सभा द्वारा दो सदस्यों को और राज्य सभा द्वारा एक सदस्य को चुन लेंगे ।

5) कार्यपालक निदेशक (पदेन) और

6) रबड़ उत्पादन आयुक्त (पदेन)

कार्यपालक निदेशक का पद अभी तक नहीं कार्यान्वित किया है। 31-3-1992 तक के सदस्यों की सूची रिपोर्ट के अंत में दिया है।

सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के तौर पर चुना जाता है। इसकी उपसमितियाँ होती है जो विविध कार्यों की और रबड़ उद्योग के प्रगति एवं बोर्ड की सिफारिशें दी जाती है। सात उपसमितियाँ हैं :- कार्य कारिणी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, पौधाई समिति, सांख्यकी एवं आयात निर्यात समिति, विपणन विकास समिति, श्रमिक हित समिति और कर्मचारी संबंधित समिति आदि है।

श्रीमती जे. ललितांबिका, आई ए एस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जारी रही। 11.12.91 तक श्री के. मोनिप्पल्ली जो छोटे रबड़ उत्पादकों का प्रतिधित्व करनेवाला सदस्य था, उपाध्यक्ष रहे थे। बड़े उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री. के. जेक्कब तोमस 12.12.91 से एक साल केलिए उपाध्यक्ष का पद पर चुना गया।

3. कार्य

रबड़ अधिनियम की धारा आठ के अनुसार बोर्ड के कार्य ये होते हैं :-

1) रबड़ उद्योग के विकास केलिये कार्यों का वर्धन करना। निम्न लिखित कार्यों का प्रबंध करना:-

क) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक शोध का संचालन, सहायता या प्रोत्साहन

ख) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक शोध का संचालन, सहायता या प्रोत्साहन।

ख. बागन, कृषि, खाद एवं छिड़काव की प्रगतिशील रीतियों पर छात्रों को प्रशिक्षण देना।

ग. रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह देना।

घ. रबड़ विपणन की प्रगति करना।

ङ. एस्टेट मालिकों, व्यापारियों, एवं विनिर्माताओं से सांख्यकी को इकट्ठा करना।

च. कर्मचारी सुख सुविधा और प्रोत्साहन केलिए उत्तम श्रम व्यवस्थाओं को प्रदान करना।

छ. बोर्ड को सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहण।

2) बोर्ड का कार्य यह भी होगा:-

क) रबड़ के आयात निर्यात को मिलाकर रबड़ उद्योग के विकास से संबंधित सारे कार्यों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

ख॥ रबड़ से संबंधित किसी अंतराष्ट्रीय सम्मेलन या योजना में भाग लेने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ।

ग॥ इस अधिनियम के कार्यों एवं बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में केन्द्रीय सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को अर्धवार्षिक एवं वार्षिक रिपोर्ट पेश करना ।

घ॥ समय समय पर केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार रबड़ उद्योग से संबंधित रिपोर्ट की तैयारी करना और पेश करना ।

4. बोर्ड के सम्मेलन और उसकी समितियाँ

इस रिपोर्ट साल में बोर्ड के निम्नलिखित सम्मेलन और समितियाँ हुई ।

क॥ बोर्ड सम्मेलन 25/6/91 में 117 वीं सम्मेलन और 12.12.91 में 118वीं सम्मेलन ।

ख॥ समिति सम्मेलन

कार्यकारिणी समिति	: 11.4.91, 29.10.91 एवं 26.3.92
सांख्यकी एवं आयात निर्यात समिति	: 11.5.91 और 30.9.1991.
विपणन विकास समिति	: 13.5.1991
पौधाई समिति	: 19.6.1991
श्रमिक कल्याण समिति	: 19.6.1991
कर्मचारी संबंधित समिति	: 21.6.1991 और 27.3.1992
अनुसंधान विकास समिति	: 21.6.1991

1

5॥ संगठनात्मक रचना

बोर्ड के कार्यकलापों को पाँच विभागों में वर्गीकृत किया है । प्रशासन, रबड़ उत्पादन, रबड़ अनुसंधान, रबड़ प्रसंस्करण एवं उपज विकास तथा वित्त एवं लेखा विभाग । सचिव, रबड़ उत्पादन, आयुक्त, अनुसंधान निदेशक, निदेशक॥वित्त॥ निदेशक पी एवं पी डी॥ इन विभागों के मुख्य होते हैं ।

बोर्ड के प्रशासन, रबड़ उत्पादन विभाग और वित्त एवं लेखे विभाग का मुख्य कार्यालय कोट्टयम पब्लिक लाइब्रेरी बिलडिंग, शास्त्री रोड, कोट्टयम-1, में स्थित हैं । प्रशासन विभाग के अधीन आठ उप/संपर्क कार्यालय होते हैं जो देश के मुख्य रबड़ उपभोग केन्द्रों में स्थित हैं । देश के विभिन्न रबड़ उत्पादित खंडों में रबड़ उत्पादन विभाग के अधीन चार मंडल कार्यालय 34 प्रादेशिक कार्यालय,

160 क्षेत्रीय कार्यालय, 20 प्रादेशिक नर्सरियाँ और 32 उपदेश प्रशिक्षण होते हैं ।

अनुसंधान विभाग, रबड़ प्रसंस्करण विभाग और प्रशिक्षण विभाग कोट्टयम-9 में बोर्ड के अपने मकान में कार्य करते हैं । केरल में अनुसंधान विभाग के दो प्रादेशिक परीक्षण केन्द्र और तमिलनाडु, कर्णटका, त्रिपुरा, महाराष्ट्रा [दापचेरी] आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालया, मिसोराम एवं उडीसा में एक एक प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र होते हैं । रबड़ प्रसंस्करण विभाग द्वारा कोट्टयम में पयलट क्रंब रबड़ फाक्टरी संचालित किया जाता है । चेत्तक्कल में प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण रेडियेशन केलिए एक पयलट प्लाट की स्थापना की है ।

बोर्ड के सारे विभागों एवं कार्यालयों पर अध्यक्ष का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । 31-3--1992 में बोर्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या 1985 होती है "क" वर्ग में 117 "ख" वर्ग में 551 "ग" वर्ग में 1133 और "घ" वर्ग में 127 और समेकित वेतन के अधीन । प्रबंधक एवं कर्मचारियों के बीच अच्छा संबंध रहा था । इसके फलस्वरूप साल में प्रगति का रिकार्ड पा सका है ।

अगले पृष्ठों में विविध विभागों के कार्यकलापों का संग्रह दिया है ।

xxxxxxxxx

भाग - 3

रबड़ उत्पादन

इस रिपोर्ट साल में रबड़ उत्पादन कार्य द्वारा निम्न लिखित कार्य किये गये:-

1. रबड़ बागनों का पंजीकरण
2. रबड़ बागनों के प्रसार, विकास एवं नवीकरण केलिए योजनाओं का कार्यान्वयन तथा प्लानिंग
3. सलाहकारी एवं प्रसार सेवा
4. उच्च उपजित पौधाई मालों का उत्पादन एवं प्राप्ति एवं वितरण।
5. अन्य कार्षिक चीज़ों का वितरण
6. टापेर्स का प्रशिक्षण
7. अपरंपरागत रबड़ उत्पादन क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन एवं वैज्ञानिक पौधाई में प्रशिक्षण और प्रदर्शन
8. रबड़ बागनों का बीमा

कार्यकलापों का पुनरीक्षण

1) रबड़ एस्टेटों का पंजीकरण

रबड़ अधिनियम 1947 के द्वारा यह बोर्ड के एक सांविधिक कार्य है।

1991-92 में कुल 11,519 बागन यूनिटों का नया पंजीकरण किया था। वर्तमान यूनिटों यूनिटों के साथ अतिरिक्त क्षेत्रों का कुल विस्तार 8633.05 हे. होता है। 1217.44 हे. रिकार्ड से रद्द किया गया है। 31.3.1992 में कुल पंजीकृत विस्तार 317108 हे. और कुल पंजीकृत यूनिटों की संख्या 264283 है। बड़ी संख्या में यूनिट एवं विस्तार बिना पंजीकृत होते हैं।

बोर्ड ने पहले सरकार से सिफारिश करने का निर्णय किया था कि पंजीकरण का कार्य बड़े एस्टेटों के संबंध अपवाद देकर छोड़ा जाय। कृषि, विस्तार एवं उत्पादन की सांख्यकी सामयिक सेन्सेस द्वारा लिया जाय। यूनिटों की संख्या की गणना में पंजीकरण का कार्य आसान नहीं। सरकार के अनुकूल निर्णय केलिए यह कार्य रखा गया है।

2. पुनरोपण सहायधन योजना

1957 में ये योजना शुरू हुई। लेकिन 1980 में रबड़ बागन विकास योजना के शुरू होने के बाद उसे रद्द किया। 1989-90 से बकाया भुगतान की चुकी है।

34,822 वैयक्तिक परमिटों के अधीन कुल 53,605 हेक्टर का पुनरोपण इस योजना के अधीन किया गया । नकद सहायधनके तौर पर 9.35 करोड रुपए और उत्पादकों के दुर्बल विभागों में अतिरिक्त सहायधन के तौर पर 2.38 करोड रुपए का वितरण किया था ।

3. कर्ज योजनायें

अपक्व खेतों के वैज्ञानिक संरक्षण एवं बागनों के विकास केलिए छोटे उत्पादकों के लिये 1962-63, 1963-64 और 1966-67 सालों से बोर्ड द्वारा तीन कर्ज योजनाओं का कार्यान्वयन किया था । ये नवरोपण कर्ज योजना, संरक्षण कर्ज योजना, एवं संशोधित इन्टग्रेटड कर्ज योजना होते हैं । इन में पहले दो सूद रहित होते हैं, पर तीसरे केलिए सिर्फ पाँच प्रतिशत । 1979-80 में रबड नवरोपण सहायधन योजना के शुरू होने के बाद उक्त योजनायें रद्द की गयी ।

उक्त योजनाओं के परिणामों का संग्रह ऐसा है ।

योजना का नाम	विस्तार नवरोपित/संरक्षित हेक्टर	कर्ज एवं अन्य सहायता के तौर पर वितरण किया रकम । (रु. लाखों में)	वापसी रकम/ पीनल सूद के साथ वसूलित (रु. लाखों में)
नवरोपण कर्ज योजना	439.01	7.34	7.93
संरक्षण कर्ज योजना	304.73	2.63	2.68
संशोधित इन्टग्रेटड कर्ज योजना	3113.38	80.36	90.52
	3857.12	90.33	101.13

इस रिपोर्ट साल में संशोधित इन्टग्रेटड कर्ज योजना के अधीन 48,134.80/- रु. वापस मिले/वसूल किये । अब संरक्षित कर्ज योजना के अधीन 2 और संशोधित योजना के अधीन 30 (और 4 साधारण) मामले पूरी लौट अदायगी के लिए होती है । इनकी वसूली के लिये कानूनी कार्य लिये गये हैं ।

4. रबड नवरोपण सहायधन योजना 1979

1979 में एक वर्षीय पयलट योजना के तौर पर इसे शुरू किया । छोटे रबड बागनों में पुन पौधाई की वृद्धि इसका लक्ष्य था । टार्जेट 4000 हेक्टर था । दो हेक्टर तक के उत्पादकों को प्रति हेक्टर के लिये 7500/- रु. और दो हेक्टर से 20.23 हेक्टर तक के उत्पादकों को 5000/- रु. का सहायधन 7 वार्षिक किस्त में दिया है । 6 हेक्टर तक के उत्पादकों के लिये अतिरिक्त सहायधन भी है । पौधाई उद्देश्यों के लिये बैंक से कर्ज लेने वालों को 3% सूद सहायधन भी है । तकनीकी सहायता मुफ्त में दी जाती थी ।

इस योजना के अधीन 10, 984 परमिट वालों द्वारा वास्तव में 6, 532 हे. में पौधाई चलायी थी । कुल सहाय 462. 30 लाख रु. । सारी अदायगियाँ 1989-90 द्वारा पूरी की गयी ।

5. रबड़ बागन विकास योजना - चरण I

प्राकृतिक रबड़ में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नवरोपण और पुनरोपण के तीव्रगति में विकास ही लक्ष्य हैं । इसके पहले के सारे अनुदान योजनाओं को स्थगित कर दिया । 1980-81 से 1984-85 तक के पाँच सालों में प्रति साल 12000 हैं. इसका उद्देश्य था ।

नवरोपण और पुनरोपण केलिए निम्न प्रकार का प्रोत्साहन दिया करता था ।

§1§ 20 हे. तक के उत्पादकों को प्रति हे. केलिए 5000/- रू. का पूँजी सहायता 20 हे. से अधिक के उत्पादकों को प्रति हे. केलिए 3000/- रू. ।

§2§ अनुमोदित पौधाई पालों एवं खादों के इस्तेमाल करने केलिए 6 हे. तक के उत्पादकों को निवेश सहायतायें और मृदा संरक्षण कार्य केलिए प्रति हे. को 150/- रू. का अनुदान ।

§3§ इन सहायताओं के अनुपूरक के तौर पर "नबार्ड" के दीर्घकालीन कृषि कर्ज । प्रति हे. केलिए 15020/- रू. का अधिकतम कर्ज दिया जाता है । 6हे. तक के कृषकों को 17000/- रू. और 6 से 20 हे. तक के कृषकों को 17000/- तथा 20 हे. से अधिकवालों को 18700/- रू. । सात वार्षिक बारियों में यह कर्ज दिया जाता है । पौधाई के 10 से 14 तक के पाँच बारियों में लौट देना है । सात वर्ष तक का सूद आठवीं और नौवीं साल में देय है ।

§4§ सूद का दर 12. 50% है । सारे प्रकार के कृषकों को बोर्ड से 3% सूद अनुदान देता है ।

§5§ पौधाई और संरक्षण केलिए मुफ्त में सलाह एवं प्रसार सेवा

31. 3. 1992 तक की प्रगति का संग्रह ऐसा है

	साल जिसे आवेदनों का संबंध है ।					योग
	1980	1981	1982	1983	1984	
जारी किये अनुदान परमिटों की संख्या	17554	19180	18970	21483	25465	102652
विस्तार-परमिट द्वारा	12123	13603	13875	15528	17541	72670
अंतिम कार्रवाई केलिए बकाये मामलों की संख्या	नहीं	नहीं	नहीं	10	132	151

इस साल रू. 60, 24, 903. 30 /- रू. अनुदान के तौर पर वितरण किया था । इस योजना के शुरू होने के बाद 31. 3. 1992 तक कुल रू. 397276654. 38 का सहायधन वितरण किया था ।

6. रबड़ बागन विकास योजना - चरण 2

1985 से इसका कार्यान्वयन हो रहा है । चरण । योजना में नवरोपण और पुनरोपण टार्जेट 60,000 हे. था तो चरण - 2 में सिर्फ 40,000 हे. थे ।

चरण-2 योजना में निम्न लिखित सहायतायें दी जाती है ।

(1) परंपरागत क्षेत्रों में पाँच हे. तक के कृषकों को और अपरंपरागत क्षेत्रों में सारे वर्गों के कृषकों की प्रति हे. केलिए 5000/- रु. के दर पर पूँजी सहायधन ।

(2) प्रति हे. में अधिकतम 450 पौधों केलिए, प्रति पौधे को 6/- रु. के दर पर, उच्च उपजित पौधाई मालों के (पोलीबाग पौधे) उपयोग केलिए निवेश अनुदान, परंपरागत क्षेत्र के 5 हे. से अधिक और इस योजना के अधीन पौधाई करनेवाले उत्पादक इस सहायता केलिए योग्य है ।

(3) "नबारड" के कृषि पुर्नवित्तीय योजना के अधीन बैंकों के कर्ज केलिए ये योग्य है । सात वार्षिक बारियों में कर्ज दी जाती है । पौधाई के दसवीं सालों से पाँच वार्षिक बारियों में लौट अदायगी । सातवीं वर्ष के अन्त तक का सूद आठवीं और नौवीं वर्ष में देय है ।

(4) सूद का साधारण दर प्रति साल केलिए 12.50% है । पूँजी अनुदान केलिए योग्य कृषकों को बोर्ड द्वारा प्रथम नौ वर्ष के सूद का तीन प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

(5) पौधाई, संरक्षण, टापिंग और प्रसंस्करण की अवस्थाओं में मुफ्त में सलाहकारी और प्रसारण सेवा ।

इस सेवा की प्रगति का संग्रह दिया जाता है

	साल जिसे आवेदक का संबंध है					योग
	1985	1986	1987	1988	1989	
प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या	32531	29841	29877	31445	30261	153955
पौधाई चलाए मामलों की संख्या	32501	29791	29870	31391	30261	153821
निरीक्षण किये मामलों की संख्या	32352	29555	29605	30876	29283	151670
निरीक्षण केलिये बकाये मामले	149	258	273	515	978	2173
जारी किये परमिट	23289	21185	22796	22813	21044	110127
इनकार किये मामलों की संख्या	8515	7500	6628	6302	5181	34126
परमिट का क्षेत्र	15382	14147	14940	15480	14420	74369
निपटान केलिए बकाये मामलों की संख्या	697	1106	1453	2276	4036	9568

इस रिपोर्ट साल में सहायधन के तौर पर 44,890.25/- रू. अनुमोदन किया था । कुल 35,81,96,355.05 रू. होता है ।

7. रबड़ बागन विकास योजना - चरन - 3

आठवीं पंचवर्षीय योजना में रबड़ बागन विकास योजना - चरण-3 का लंबित प्रस्तावों के अनुमोदन के बारे में कोई भारत किसी फारमुलेशन अभी तक नहीं हो सका । जो भी हो वार्षिक योजना एवं बजट प्रोविजन अनुमोदन किया था अतः चरण दो के आधार पर चरण तीन का 1990-91 और 91-92 का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

इस योजना के कार्यान्वयन के परिणाम ऐसा है:-

	पौधाई (हे.)		योग
	1990	1991	
प्राप्त आवेदनों की संख्या	28,781	27,698	56,479
पौधाई चलाये मामलों की संख्या	28,766	27,674	56,440
निरीक्षित मामलों की संख्या	26,536	21,313	47,849
निरीक्षण केलिए बकाये बचत	2,230	6,361	8,591
जारी किये पेरमिट	11,607	12,933	30,540
इनकार किये मामले	3,046	1,325	4,371
पेरमिट का क्षेत्र	12,075	9,104	21,179
निपटान केलिए बकाये आवेदन	8,113	13,416	21,529

इस साल सहायधन अदायगी के रूप में 5,29,38,494.95/- रू. की हो गयी पर इस योजना के प्रारंभकालीन क्रियाओं केलिए 31/3/92 तक 7,80,47,077.40 रु की खर्च आ पड़ी ।

(8) रबड़ बागनों के लिए बीमा

1988-89 में नाशनल इन्शुअरन्स बीमा कंपनी के सहयोग से इस योजना का कार्यान्वयन किया था । रिपोर्ट साल में भी इसका कार्यान्वयन जारी रखा । बीमा कंपनी के साथ के करार के अनुसार बोर्ड पहले ही एक मास्टर पोलिसी लेता है और वैयक्तिक रबड़ उत्पादक को पोलिसी प्रमाणपत्र देता है । उसे अपने प्रीमियम का देय रकम बोर्ड पर जमा करना है । बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उनके दावे का निरीक्षण किया जाता है । बोर्ड द्वारा उसके दावे कार्य पूरा करता है । अतः वास्तव में बीमा का पूरा प्रशासनिक कार्य बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

आग, विस्फोट, बिजली, दावाग्नी, हवा, आँधी, आदि का नाश इस बीमा के अंदर आते हैं । रबड़ बागन विकास योजना के अधीन के सारे अपक्व एवं 22 साल तक के सारे पक्व बागनों के लिए बीमा का लाभ मिलता है ।

1 से 8 तक के सालों के बागनों केलिए अधिकतम देयता प्रति हेक्टर केलिए 45,000 रू. होते हैं, प्रति पेड़ केलिए 41 रू. से 166 रू. तक । पक्व पेड़ों केलिए 60,000 रू. याने प्रति पेड़ केलिए 200 रू. से 250/- रु तक । बीमा

किये उत्पादक को अपक्व रबड़ के संबंध में 10% हानी भोगना पडता है और पक्व रबड़ केलिए 10% या 1000/- रू.

प्रीमियम का दर ऐसा है:-

अपक्व रबड	रू. हे.
एक साल से कम - आठ सालों केलिए	500
1 से 2 साल-तक ,,	440
2 से 3 ,, ,,	380
3 से 4 ,, ,,	330
4 से 5 ,, ,,	270
5 से 6 ,, ,,	200
6 से 7 ,, ,,	150
7 से 8 ,, ,,	90
पक्व रबड	
8 से 22 सालों के बीच तीन सालें केलिए	473

31. 3. 92 तक बोर्ड ने 7369. 80 हे. अपक्व क्षेत्र एवं 1450 पक्व क्षेत्र के दो मास्टर पोलिसियों को स्वीकार किया । अपक्व 7800. 06 हे. क्षेत्र केलिए और पक्व 1472 हे. क्षेत्र केलिए 9481 वैकल्पिक पोलिसी प्रमाण पत्र जारी किया । इस साल में मास्टर पोलिसी की प्रीमियम की ओर अदायगी रू. 9, 39200/- को मिलाकर रू. 38. 85 लाख प्रदत्त किया । वैयक्तिक उत्पादकों से पोलिसी प्रमाणपत्र जारी तौर पर इस साल की वसूली 14. 34/-लाख रू. को मिलाकर कुल 36. 73/-लाख रू. है ।

इस साल के अंत तक 389 प्रमाण पत्र धारियों को क्षतिपूर्ती के तौरपर 9, 36, 236. 30/- रू. दिये थे । इस साल में 297 पोलिसी धारियों को अदायगी के रूप में 4, 89, 419/- रू. दिया था ।

पौधाई मालों का उत्पादन एवं वितरण

बागनों की उत्पादिता बढ़ाने में उच्च उपजित पौधाई मालों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है । हर साल के उपयोग केलिए अनुमोदित उच्च उपजित पौधाई मालों की सूची बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है । और हर एक के गुण दोष पर टिप्पणियों के साथ इसकी सूचि प्रकाशित की जाती है । ऐसे पौधाई मालों की लभ्यता एक न्यायिक मूल्य पर होने को लक्ष्य कर के प्रमुख रबड़ उत्पादित केन्द्रों में विभागीय रबड़ नर्सरियों को रखे हैं । कुल वार्षिक आवश्यकता के सिर्फ यह 15% ही होता है । लेकिन गुण एवं मूल्य के नियंत्रण में यह सहायक है । इस साल बोर्ड द्वारा संरक्षित नर्सरियों का विवरण ऐसा है :-

क्रम. सं.	नर्सरी का नाम	कुल विस्तार है.	प्रदेश	नियंत्रण कार्यालय
	केरल			
1.	केन्द्रीय नर्सरी, करिकाट्टूर	20. 23	कोट्टयम जिला, केरल ।	केन्द्रीय काय

2.	प्रादेशिक नर्सरी	कलकायम	4.04	कोल्लम जिला, केरल ।	प्रादेशिक कार्या पुनलूर
3.	,,	पेरुमपुलिकल	4.00	पत्तनंतिट्टा जिला, केरल ।	प्रादेशिक कार्या अडूर ।
4.	,,	कंजिकुलम	4.88	पालघाड जिला, केरल ।	प्रादेशिक कार्या पालघाड ।
5.	,,	उलिकल	5.20	कण्णूर जिला, केरल ।	प्रादेशिक कार्या तलशेरी
6.	,,	मंजेरी	2.00	मलपुरम जिला, केरल ।	प्रादेशिक कार्या निलंबूर ।
7.	,,	पेरुवण्णामूळी	3.60	कोषिकोड जिला, केरल ।	प्रादेशिक कार्या कोषिकोड ।
8.	,,	आलकोड	3.41	,,	प्रादेशिक कार्या तलिपरंपा ।
		योग	47,36		

अपरंपरागत क्षेत्र

1.	प्रादेशिक नर्सरी, [illegible] रबड एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र, आंडमान	1.85	[illegible] आंडमान, [illegible] द्वीपसमूह	एन. आर [illegible] आंडमान
2.	प्रादेशिक नर्सरी, [illegible]	2.29	द. आंडमान, आ. नि. द्वीपसमूह	प्रादेशिक कार्याल पोर्ट ब्लेयर
3.	प्रादेशिक नर्सरी, देवरप्पल्ली	2.00	पूरब गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश ।	प्रादेशिक कार्याल बरहामपुर ।
4.	प्रादेशिक नर्सरी, रानी बारो	8.00	[illegible] जिला, [illegible], ओरीसा ।	
5.	प्रादेशिक नर्सरी, हरांगिरी	10.62	गोलपारा जिला आसाम	प्रादेशिक कार्याल गोहाटी ।
6.	प्रादेशिक नर्सरी, तेलो अगुर	5.00	कारबी आंगलोंग जिला, आसाम	प्रादेशिक कार्याल दिपु ।
7.	प्रादेशिक नर्सरी, मिजुंचिवा	14.00	,,	,,
8.	प्रादेशिक नर्सरी, बालचिरा	13.00	काचार जिला, आसाम ।	प्रादेशिक कार्याल सिलचार ।
9.	प्रादेशिक नर्सरी, हिल्लारा	14.32	,,	,,
10.	जिला विकास केन्द्र नर्सरी, जेंजीलकागी	--	वेस्ट गारो हिलस जिला, मेघालया ।	सोणल ओफीस, गोहाटी ।
11.	प्रादेशिक नर्सरी, रंगुटिया	5.27		
12.	,, ,, तुलाकोना एन आर इटीसी	3.50		
	योग:	79.85		

1991 में पौधाई मालों का उत्पादन, एवं वितरण

तमिलनाडु में कठिन बारिश होने के कारण वहाँ के परंपरागत बीज संचयन केन्द्र से आवश्यक बीजों का समाहरण नहीं हो सका । "संचित बीजों का गुण भी प्रतीक्षा के नीचे थे । इसका फलस्वरूप यह है कि हमारे नर्सरियों ने पौधाई मालों का

उत्पादन में कमी दिखाई । इससे पौधाई मालों का उत्पादन में कमी दिखाई । इससे पौधाई मालों की लागत 1991 में बड़े पौधों को रु 3.75 और बड वुड को प्रति मीटर रु 7/- तक बढ़ गई । पौधाई मौसम (अगस्त) के अंत तक वितरण करते एक बड़े पौधे को उच्च लागत रु 4.25 तक किया गया और इस अधिक रकम से नर्सरियों को नुकसान कम करने केलिए और अतिरिक्त अनुरक्षण लागत केलिए ली जाएगी ।

1991 में प्लान्टेर्स को 6,29,485 नं. ग्रीन बड्ड स्टंप 22,283 मीटर बड्वुड 300 नं. पोलीबैग पौधक, और 12,000 नं. विविध क्लोण के हरा बड कॉट वितरण किया है । 1991-92 में जो पौधाई मालों के वितरण केलिए 2,97,988.50 रु. का जो खर्च हुआ वह सहायधन के रूप में मान लिया ।

अपरंपरागत क्षेत्र केलिए बड्ड स्टंप का प्राप्ति और वितरण

1991 में हमारे नर्सरियों से उत्पादित बड्ड पौधों से बढकर जो बड्ड स्टंप का आवश्यकता आ पड़ी, वह अपरंपरागत क्षेत्र के निजी नर्सरियों से खरीदी । इसलिए 91-92 में सिर्फ 55,025 नं ग्रीण बड्ड स्टंप इपने गोवा को भेजा । परंपरागत क्षेत्र के निजी नर्सरियों से, अपरंपरागत क्षेत्र की आवश्यकता केलिए, रबड स्टंपें का प्राप्ती नहीं हुई है ।

1991 में रबड बीजों का प्राप्ति और वितरण

बीज संपादन के समय तमिलनाड के कन्याकुमारी जिले के परंपरागत क्षेत्र में कठिन बारिश होने के कारण 1991 में आवश्यक 100 लाख बीजों का बजाय सिर्फ 10.32 लाख रबड बीजों का प्राप्ती ही थी। वर्षा के कारण बीजों का सड़न भी आ पड़ी । इसलिए बीजों का उत्पादन केलिए सभी लभ्य स्रोतों की सहरा लेनी पड़ी । फिर भी, 84.20 हे. के बदले सिर्फ 26.39 हे. में ही पौधाई करने सके ।

सलाहकारी एवं प्रसारण सेवा

रबड पौधाई उत्पादन एवं प्रसंस्करण के वैज्ञानिक प्रणालियों पर सलाह देने एवं विविध योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये इस विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा एस्टेटों एवं बागनों का संदर्शन किया करता था । उनमें केवल सलाहकारी कार्यों के कार्यान्वयन के लिये संदर्शनों की संख्या 4753 होती है । इसके अतिरिक्त इस विभाग के अधिकारियों द्वारा 87 आकाशवाणी भाषण/चर्चा में भाग लिये गये ।

चलंत सोइल एवं टिश्यू परीक्षण प्रयोगशाला के सेवा से 7662 सोइल साम्पैल का विश्लेषण किया और भेदमूलक खाद प्रयोग की सिफारिश की गई है ।

लघु उत्पादकों को वैज्ञानिक ढंग से टापिंग करने में निदर्शन

8972 लघु उत्पादकों को टापिंग निदर्शकों के सेवा से वैज्ञानिक ढंग से टापिंग करने में और प्रसंस्करण करने में निदर्शन किया गया ।

रबड टापेर्स केलिए टी. टी. स्कूल द्वारा प्रशिक्षण

बोर्ड द्वारा टापेर्स/उत्पादकों को टापिंग एवं संबंधित कार्यों पर नियमित

प्रशिक्षण टापेर्स प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दिया करता था । इस साल के अन्त में परंपरागत क्षेत्र में 27 केन्द्र एवं अपरंपरागत क्षेत्र में 8 केन्द्र कार्य करते थे । उनकी संख्या ऐसी है ।

क्रम.	नाम	विद्यालय का स्थान
1.	नागरकोविल	अयित्तुलती
2.	तिरुवनंतपुरम	वलक्काड
3.	अडूर	कलंजूर
4.	पुनलूर	वेट्टीक्कवला
5.	,,	पट्टाषी
6.	पत्तनंतिट्टा	मंदिरम
7.	चंगनाश्शेरी	ताषत्तुवड़करा
8.	कोट्टयम	आनिक्काडु
9.	कांजिरप्पल्ली	वंचिमला
10.	पाला	[illegible]
11.	तोडुपुषा	[illegible]गलूर
12.	मूवाटुपुषा	मा[illegible]लशेरी
13.	एरणाकुलम	तुरवूर
14.	,,	ऊ[illegible]क्काड (करुकुलम)
15.	त्रिशूर	पंगल
16.	पालक्काड	वेलिक्काड
17.	कोषिकोड	कक्कूर
18.	निलंबुर	चुल्लियोड
19.	तलश्शेरी	मानंतवाडी
20.	,,	मालूर
21.	,,	की[illegible]पल्ली
22.	तलिपरंपर	पट्टियूर
23.	,,	पुलिंगोम
24.	कांजगाड	वेल्लरिकुंड
25.	,,	बन्दडुक्का
26.	मांगलूर	गांधीबागिलु
27.	,,	सिरसी
28.	अगरतला	पाटीचेरी
29.	अगरतला	पत्तालिया
30.	,,	जुरी
31.	उदइपुर	साचिरामबारी
32.	गोहटी	औगुरी
33.	[illegible]	धिल्लाई

160 सत्र में कुल 2738 टापेर्स को प्रशिक्षण दिया और वृत्तिका के रूप में रू. 6,93,529/- की खर्च हुई । अध्ययन शुल्क से रू. 2,87,673/- मिली ।

20-25 चुने हुए लघु उत्पादकों के अल्प अवधि प्रशिक्षण देने केलिए सत्र चलाया । कुल 1384 नवीनतम प्रशिक्षण सत्र चलाया और उसमें 17,547 टापेर्स भाग लिया ।

अपरंपरागत क्षेत्र में रबड खेती की विकास केलिए प्रसार कार्यकलाप

रबड कृषि केलिए अनुयोज्य अग्रो क्लैमेटिक स्थिति अनुयोज्य होनेवाली सभी अपरंपरागत क्षेत्र में रबड कृषि की विकास बढाने की व्यवस्था बोर्ड द्वारा किया गया है । रबड कृषि की सभी वैज्ञानिक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त उदय पुर, अगरतला और गोहटी की क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत आते टी. टी. स्कूल की रबड टापेर्स निदर्शकों से अच्छी तरह रबड संपादन और प्रसंस्करण की रीति के बारे में वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दी गई ।

लगुमिनस कवर क्रोप बीजों की प्यूरेरिया प्राप्ति एवं वितरण

रबड के छोटे बागनों में एक लेगुमिनस भूसंरक्षी के तौर पर प्यूरेरिया के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य से इन बीजों की विवरण की सुविधा केलिए परंपरागत एवं अपरंपरागत क्षेत्रों के छोटे उत्पादकों के सहायधन के साथ पोलीथीन पैकटों की वितरण करने की योजना जारी रखा । इस साल बोर्ड द्वारा 8,367.2 कि.ग्रा. प्यूरेरिया रियायती दर में छोटे उत्पादकों को वितरण किया । और बडे उत्पादकों को क्रय मूल्य पर 610.5 कि.ग्रा. का वितरण हुआ ।

लघु वोलियम शक्ति संचालित/डस्टेर्स के वितरण की योजना

पत्र रोगों के नियंत्रण के लिये छोटे उत्पादकों के बीच लघु वोलियम शक्ति संचालित छिडकाव/धूलित्रों के उपयोग का प्रचार ही इसका लक्ष्य था । इस साल रबड उत्पादक संघों, सहकारिता संघों एवं व्यक्तियों को वितरण किया था । मशीनों के लागत के सहायधन केलिए 5,94,500/- रु. खर्च किये ।

रबड षीटिंग रोलेर्स के पर्चेस के लिये छोटे उत्पादकों को सहायधन योजना

छोटे बागनों में उपजों के गुण को बढाने के लक्ष्य से बोर्ड ने इस योजना का कार्यान्वयन किया था । निधियों के अभाव के कारण पूरे आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो सकी । इस साल 1921 विनिर्दिष्ठित रोलेर्स के पर्चेस के लिये सहायधन के तौर पर 19,21,000/- रु. का वितरण किया था ।

मधुमक्खी पालनकेलिए संवर्धन

वर्ष के बाद पत्रधारिता के काल में शहद केलिए रबड बागन एक अच्छा स्त्रोत है । उत्पादित शहद से छोटे उत्पादकों को यह एक अतिरिक्त आय होता है । अतः इस योजना के कार्यान्वयन द्वारा कुल खर्च के 50% और 70% तक सहायधन क्रमशः सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के देते हैं । साधारण यूनिट में चार छत्ते होते हैं । कुल खर्च 1750/- रु. होता है । इस साल 783 उत्पादकों ने 6,39,775/- रु. का लाभ उठाया था ।

छोटे धूमघरों के निर्माण के लिए वैयक्तिक रबड उत्पादकों को आर्थिक सहायधन

सुधारित प्रसंस्करण एवं क्यूरिंग तकनीकों को स्वीकार करने में छोटे रबड उत्पादकों की सहायता करने के लिये 85 कि.ग्राम क्षमता के धूमघरों के निर्माण के लिये सहायधन देने की योजना एवं तकनीकी निदर्शन देने की योजना कार्यान्वयन किया । इस साल 348 धूमधरों का निर्माण किया इसके लिये 10,36,050/-रु.

खर्च किये ।

रबड़ बागनों में सिंचाई के लिये आर्थिक सहायता

पौधों की वृद्धि अपक्व काल की कमी उपज में वृद्धि आदि के लिये सींचाई लाभकारी है । उत्पादकों की सहायता करने एवं रबड़ बागनों में सींचाई की वृद्धि के लिये बोर्ड ने आर्थिक सहायता देने की योजना का कार्यान्वयन किया ।

इस योजना का अच्छा प्रभाव था इसलिये सारे आवेदनों का निपटान न हो सका परंपरागत क्षेत्रों में 635 रबड़ उत्पादकों को 11,02,241/- रु. का वितरण किया । अपरंपरागत क्षेत्रों में 69 उत्पादकों को 3,15,200/- रु. दिये थे ।

अपरम्परागत क्षेत्र में भाड़े के लिए सहायता

अपरम्परागत क्षेत्रों में रबड़ पौधाई के विकास में एक प्रमुख बाधा छोटे रबड़ पौधों में पशुओं का उपद्रव और यात्रियों का शल्य था । बागन सीमा का संरक्षण ही इसका परिहार है । लेकिन भारी खर्च के कारण असमर्थ ही रहे । अत: उनकी आर्थिक सहायता करने केलिए दो योजनाओं का कार्यान्वयन किया । पहला अनुसूचित जाति/जन जाति के उत्पादकों और दूसरा साधारण वर्ग के उत्पादकों के लिए इस साल 25,84,256/-रु. मूल्यवान 134 मे. टण बारबड़ वयर की पूर्ती के लिये आर्डर दिया था । इससे 6,10,501/- रु. मूल्यवान 36.33 मे. टण की पूर्ती 46 अनुसूचित जाति उत्पादकों को और 402 अनुसूचित जन जाति को 533235 262 हे. केलिए कर सके । अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 17 उत्पादकों को 16.44 हे. भाड़े के लिए वितरण किया । सामान्य वर्ग के 104 कृषकों को 1,66,961/- रु. का वितरण किया जो 139.75 हे. में भाड़े केलिये था ।

अपरंपरागत क्षेत्रों में छोटे उत्पादकों को बागन मालों की पूर्ती की योजना

अपरंपरागत क्षेत्रों में अधिकांश रबड़ उत्पादक छोटे एवं गरीब है । जो रबड़ बोर्ड की सहायता से ही रबड़ की पौधाई चलाते है । बड़ी संख्या के बागन उपजित अवस्था पर पहुँच हैं । इन स्थानों में टापिंग चाकू, लाटक्स संग्रहित कप, कागुलेटिंग को कठिनाई आती है । इस परिस्थिति में इन मालों की प्राप्ति केलिये योजना बनायी है । बोर्ड के खाते पर परिवहन वितरण आदि की खर्च होती है । 1991-92 में अपरंपरागत क्षेत्र के योग्य उत्पादकों को वितरण केलिए निम्न लिखित मालों की पूर्ती की थी ।

क्र.सं.	मद	परिमाण
1.	रबड़ शीट रोलर	61
2.	टापिंग नैफ (मिचोंग)	191
3.	टापिंग नैफ (मैकीजलेज)	17
4.	अंकन नैफ	48
5.	टेम्प्लेटस	40
6.	कप हांगर	50,000

7.	स्पौट	50,000
8.	प्लास्टिक कप	52, 500
9.	अलुमिनियम सीव	106
10.	अलुमिनियम डिब	2540
11.	एमिसान	42कि.ग्रा.
12.	पारा नैट्रो फिनोल	3कि.ग्रा.
13.	रबड़ कोट	660 कि.ग्रा.
14.	रैनगार्ड चिपचिपा	100 कि.ग्रा.

इन मालों की मूल्य पर 6, 98, 878/- रु. खर्च किये । सहायधन 1, 20, 680/- रु. होता है ।

--------0--------

एम. एस/12. 10. 92

रबड़ संवर्धन

बोर्ड द्वारा विस्ले स्तरीय लघु उत्पादकों के बीच, वैज्ञानिक ढंग से रबड़ संवर्धन केलिए इन्तज़ाम किया है । धर्मस्व संघ अधिनियम के अनुसार बनाये रबड उत्पादक संघ, लघु उत्पादकों के वैज्ञानिक ढंग रबड खेती, उपज वर्ग प्रसंस्करण और वर्ग विपणन बढाने की प्रवृत्ति की जाती है । हमारे स्वाभाविक रबड़ का अधिकांश उत्पादन लघु उत्पादकों से होते हैं । इसलिए प्रसंस्करित उपज का गुण बढाना अति आवश्यक है । इस संघ के अंतर्गत आधुनिक कृषि संप्रदाय और प्रसंस्करण प्रविधि से उत्पादन बढाने की वृत्तियों भी आती है । हरेक संघ में 75 से 125 तक लघु उत्पादकों आते हैं । इस साल 110 संघों की अनुमोदन किया । कुल 1245 संघ है ।

आवश्यकता के अनुसार संघों को प्लान्टिंग वस्तुओं का प्राप्ति और वितरण और अन्य सहायतायें देनेकेलिए कुछ वार्षिक योजनाओं की प्रचलन भी हो गयी है । इस साल 6 करोड़ रूपयों के सहायधन के साथ रबड़ उत्पादक संघों द्वारा खाद, फ्यूजिसैडस, प्लास्टिक कप, रयिनगार्डिंग वस्तुवें आदि 22 आवश्यक निवेशों का वितरण हो गया ।

सतर्कता उड़ान दस्ता

क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मचारियों को काम की ओर श्रद्धा बढाने केलिए, क्षेत्रीय कामकाज में विकार, कदाचार और विलंब के खिलाफ सदा सतर्कता रखनेकेलिए बनाया हुआ उक्त कक्ष 151 निरीक्षण किया । जब योजना संबंधी 326 मामलों का पुनरीक्षण क्षेत्रीय कर्मचारियों के रिपोर्ट के औचित्य देखने केलिए किया । 7 प्रादेशिक नर्सरियों 14 टापिंग प्रशिक्षण स्कूल और प्रादेशिक /क्षेत्रीय कार्यालयों मिलकर 202 कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया । 16 अधिकारियों के खिलाफ जाँच भी की गई । इसलिए उच्चस्तरीय अखंडता और तत्परता, क्षेत्रीय काम काज में आ पडी ।

उत्तर पूर्वी रबड़ विकास परियोजना

राष्ट्र के रबड़ उत्पादन के वृद्धि केलिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ संवर्धन का कार्य अभी भी चलाया । 1985 में स्थापित गोहटी आँचलिक कार्यालय से रबड़ विकास और प्रसार का समन्वयन हुआ । इस आँचलिक कार्यालय का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिसके अंतर्गत सात राज्य आता है । अच्छी तरह कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन यहाँ संभव नहीं कि उन राज्य में परिवहन और पत्राचार सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं । मिज़ोराम और त्रिपुरा के उक्त कार्यकलापों एन आर इ टी सी अगरतला के प्रभारी अधिकारी संयुक्त रबड़ उत्पादक आयुक्त में सौंपा गया है ।

अगरतला और गोहटी आँचलिक कार्यालयों के अन्तर्गत आते कार्यालयों निम्नलिखित है ।

आंचलिक कार्यालय, गोहाटी

प्रादेशिक कार्यालय गोहाटी, आसाम
,, ,, गोरहट , आसाम
,, ,, सिलचार, आसाम
,, दिफु , आसाम
,, तुरा मेघालया

एन आर इ टी सी, अगरतला

प्रादेशिक कार्यालय, अगरतला, त्रिपुरा
,, उदइपुर, त्रिपुरा

गोहटी - आंचलिक कार्यालय के कार्यकलाप
रबड प्लान्टेशन विकास योजना - चरण - 3 (क)

इस योजना के अन्तर्गत 1991-92 में 1193.22 हे. केलिए 1077 आवेदन पत्र मिली । इनमें 409.78 हे. केलिए 631 मामलों को परमिटट भी दिया । इस योजना से रबड पौधाई किए गये उत्पादकों को गोहटी आंचलिक कार्यालय द्वारा 16.85 लाख रूपये सहायधन दी ।

निवेश सहायधन

पिछड़े अपरंपरागत क्षेत्र के विशेष आवश्यकता मान कर नवीन संरभों केलिए खास तौर पर सहायधन दिया गया है । लघु उत्पादकों और सार्वजनिक निगमों को वित्तीय और प्रौविधिक सहायता दी गयी है । इसके अलावा अन्य नीचे दिया सहायतायें भी दी गयी है ।

(क) सूद परिदान

रबड पौधाई विकास योजना के अन्तर्गत उत्पादकों को 3% ब्याज परिदान, बैंक ऋण से दिया गया है । 42 उत्पादकों को सूद परिदान के रूप में रु. 66,885.80 खर्च चुकी ।

(ख) पोली बागस और बड्ड स्टंप का वितरण

उत्तर पूर्व क्षेत्र के अधिकांश अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकें आर्थिकता के अनुसार बहुत पिछडा होते हैं । इसलिए रबड कृषि के न्यूनतम प्रविधियों के अनुसार उत्पादित पोली बैग पौधों की पौधाई उनको सुसाध्य नहीं । पर परंपरागत क्षेत्र के उत्पादकों को अतिरिक्त सहायधन रु. 6/- सामान्य वर्ग और रु. 8/- अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों को, प्रति पोली बैग पौधे को दिया गया है । अपरंपरागत क्षेत्र के आर्थिक स्थिति मानकर, पोलिबाग पौधों की दाम वापस देने की व्यवस्था किया है ।

3,596 उत्पादकों के लिए21,62921 पोलीबागस की पूर्ती की गई है । इनमें 17,80,874 पोलिबैगस 295, अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों को ही दिया गया । 2240 उत्पादकों के लिए 13,46,886 बड्ड स्टंप दी गई है । इनमें 9,20,281, का वितरण 1162 अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों को हुए । बाकी स्टंपस का प्राप्ति और वितरण ज़रूर होगी । और 1992 की पौधाई काल में 4000 हे पौधाई केलिए यह पर्याप्त भी है ।

(ग) नर्सरियों में पौधाई किए हुए पोलिबाग पौधों के अनुरक्षण अनुदान

यह अपरंपरागत क्षेत्र के एक विशेष योजना है । 1634 उत्पादकों के लिए 9.71,593/- रु. का खर्च 1991-92 में किया । इनमें 1064 अनुसूचित जाति/जनजाति के थे और उनको रु. 8,78,283/- की खर्च की गयी ।

(घ) बाड़े केलिए आवश्यक वस्तुओं का मुफ्त वितरण

यह अपरंपरागत क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों केलिए बनाया योजना है । इस योजना से अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों को "बारबड" वयर और "यू" कील का पूर्ती, की गई है । 100 हे. बाड़े के निर्माण केलिए 1991-92 में 22,012.88 कि.ग्रा. बारबड वयर और 4 मे.ट. "यू" कीलों दिया गया ।

ड़.) बाड़े केलिए सहायधन

यह भी अपरंपरागत क्षेत्र के उत्पादकों केलिए बनाया योजना है। साधारण वर्ग के उत्पादकों भी इस योजना से लाभ उठाने का अवसर है। सहायधन की दर रू. 1500/- से रू. 1000 तक होता है। (एक । से 5 हे तक) 1991-92 में 15 हें केलिए रू. 19,779/- की सहायता उत्पादकों को दी गई है।

च) एस्टेट केलिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ती

इस योजना में, अपरंपरागत क्षेत्र केलिए आवश्यक एस्टेट वस्तुओं को संभालकर अर्ह उत्पादकों को बोर्ड के व्यय पर परिदान कटाकर कम मूल्य को दिया। इसके अलावा परिवहन प्रभार भी परिदान के रूप में दिया है। 1991-92 में 6.50 लाख रुपये का एस्टेट की आवश्यक सामग्रियाँ का प्राप्ति और पूर्ति हो गयी।

छ) लेगुमिनस कवर क्रोप बीजों का वितरण

उत्पादकों को 1.80 ट कवर क्रोप बीजों का वितरण किया।

टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल

टापेर्स को वैज्ञानिक ढंग से टापिंग और प्रसंस्करण में प्रशिक्षण देनेकेलिए गोहटी प्रादेशिक कार्यालय के ओंगुरी में एक टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल 1991 जून में खुला है। अभी तक तीन दल में 59 टापेर्स प्रशिक्षण दिया गया।

संगोष्ठियाँ

उत्पादकों को वैज्ञानिक ढंग से रबड कृषि और उत्पादन पढाने केलिए ग्रूप चर्चा और संगोष्ठियों की संगठन की गई। 1991-92 में इस आंचल में संभाव्य रबड उत्पादित क्षेत्र के उत्पादकों को 105 संगोष्ठियों चलायी। इसके अलावा प्राविधिक अधिकारियों से 932 मुलाकात कृषकों से सलाह देने केलिए हुए हैं।

प्रादेशिक नर्सरियाँ/जिला विकास केन्द्र व प्रदर्शन प्लोट

उत्पादकों को कृषि, विकास और प्रसंस्करण में प्रयोगिक प्रशिक्षण देने केलिए जेन्जीधिक्री (मेघालया) में 1988 में एक जिला विकास केन्द्र (डी.डी.सी) खोला। नवीन क्लोण से 22.50 हे. का पौधाई किया। वार्षिक प्लान्टिंग सारणी नीचे दिया है :-

वर्ष	विस्तार
1990	18.50 हे.
1991	4.00
योग	22.50 हे

इसके अतिरिक्त जेन्जीधिक्री में 5.4 हे. का एक नर्सरी खोला गया। इससे । हे. बडवुड प्लान्टिंग को और बाकी 4.4 हे. बड्ड स्टंप का उत्पादन केलिए अलग रखा है। इसके अलावा, दो उपपत्ति प्लान्टेशन भी

उपपत्ति केन्द्र का नाम	विस्तार
1. प्रादेशिक नर्सरीद्वारनगिरी	5.00 हे.
2. ,, मिज़ुमडिब	9.00 हे.

इसके अलावा 5 प्रादेशिक नर्सरियों भी खोला है । विस्तृत वर्णन सारणी में दिया गया है ।

नर्सरी का नाम	योग विस्तार		वितरित किए पौधाई वस्तुओं का परिमाण	
	बड्वुड	सीडलिंग	बड्वुड	बड्ड स्टंप
प्रादेशिक नर्सरी, हिल्लारा	2.0 हे.	11.32हे.	12927 मी	127905
,, बालच्चिरा	1.0 हे.	4.40 हे.	4391 मी	31700
,, मिज़ुमडिबा	0.5 हे.	2.50 हे.	880 मी	41530
,, द्वारनगिरी	1.0 हे.	2.75 हे.	500 मी	10800
,, जैंजिच्चिफ्री	1.4 हे.	4.00 हे.	-------	2175
			18698 मी	214110

रबड़ उत्पादन संघ

इस अंचल में 15 रबड़ उत्पादक संघ का पंजीकरण हुआ है और 900 उत्पादकों के नामनिवेशन हो गया है । बोर्ड द्वारा दिए गये खाद, बारबड वयेर, बड्ड स्टंप आदि इस्टेट निवेशों की पूर्ती इस उत्पादक संघों से उत्पादकों को दिया गया है ।

रबड़ कृषि विकासन केलिए और कार्यक्रम

जनजातीय वंशजों का प्रैवट भूमि से लाभ उठाने केलिए खण्ड रबड़ पौधाई कार्यक्रम का रूपरेखा खींचा है । यह सामाजिक और आर्थिक ग्रामीण विकास में एक प्रमुख भूमिका खींची । इस साल में कारबी अनलोंग जिले के 116हे. चुना लिया और पौधाई के पहले के सभी काम शुरू किया । नर्सरियों में आवश्यक पोलीबाग पौधों का उत्पादन भी किया । असम पौधाई उपज विकास निगम लिमिटड रबड़ बोर्ड और असम राज्य सरकार के सहायधन लेकर पौधाई और अनुपालन शुरू किया है । यह "प्लोट" विभिन्न जनजातियों को बाँटा दिया जिससे हरेक को अपने पौधाई से अपने स्थिर कमाई बढाने का उपाय होगा । और इसी तरह योजना का विस्तार अन्य जिले में भी बढाने की इच्छा है ।

रबड़ पौधाई केलिए अनुयोज्य सीमा क्षेत्रों की सर्वेक्षण रबड़ बोर्ड और अगरतला राज्य सरकार की कृषि मंत्रालय और सोइल संरक्षण विभाग द्वारा किया गया है । इस योजना का कार्यान्वयन बिना विलंब होगा । यहाँ भी ग्रूप पौधाई का प्रोत्साहन होगा । राज्य सरकार के सहकारिता से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के परती भूमि के बड़े बड़े इलाकों को रबड़ पौधाई युक्त बनाने की आशा रबड़ बोर्ड को है । इस से इस क्षेत्र भी प्रगति हो जाएगी ।

रबड बागनों के विकास केलिए 1987 में एक बृहत प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तदनुसार सरकार ने 1988 में निम्नलिखित कार्यों का अनुमोदित किया।

1. उडीसा में 200 हे. में एक अनुसंधान फार्म की स्थापना
2. 250 हे. न्यूक्लियस रबड बागन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
3. सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में (1989-90) इस प्रदेश में 1000 हे. में रबड बागन के विकास की सहायता।

उक्त कार्यों के निर्वहण केलिए 1988 में भुवनेश्वर में एक आँचलीय कार्यालय की स्थापना की गई है। बारिपाडा (मयूरभांज जिला), भुवनेश्वर (पुरी जिला) और बेरहामपुर (गंजम जिला) में तीन प्रादेशिक कार्यालय की स्थापना भी की थी। आन्ध्रा प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के मरेडुमिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला था। गंजम जिले के "राणिबारो" में और मरेडुमिल्ली में एक प्रादेशिक नर्सरि की स्थापना की है। राज्य सरकार द्वारा भूमि के आबंण्डन अभाव के कारण एन.आर.ई.टी.सी के कार्य अभी तक शुरू नहीं कर सके।

1991-92 के अंत तक किये कार्यकलापों के फलस्वरूप निम्न प्रकार से रबड बागनों की स्थापना कर सके।

ओरीसा	:	270 हे.
आन्ध्र प्रदेश	:	178 हे.
मध्य प्रदेश	:	2 हे.
		450 हे.

रबड पौधाई विकास केलिए 1,000 हे. में रबड पौधाई के कार्यान्वयन केलिए उडीसा सरकार को दो सार्वजनिक सेक्टर निगम की ज़रूरत पड़ी। जंगली भूमियों में इन निगमों ने योजना कार्य शुरू किया।

आन्ध्रा प्रदेश में संबंधित सरकारी अभिकर्ताओं द्वारा आदिवासी विकास योजना के अधीन रबड पौधाई का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

<u>न्यूक्लियस रबड एस्टेट और प्रशिक्षण केन्द्र, आंडमानस</u>

यह योजना की स्थापना आन्डमान और निकोबार द्वीप में रबड संवर्धन और बर्मा और श्रीलंका से आनेवाले आदमियों की पुनरधिवास केलिए आयोजित थे। यह योजना का अधिकार रबड बोर्ड को सौंप दिया है और इसलिए पोर्टब्लेयर से 35 कि.मी. की घेत्तनकरी में एक रबड अनुसंधान व विकास केन्द्र की स्थापना हुई है। 1965-68 में रबड पौधाई 202.55 हें तक थी 1975 में यह योजना पूर्णतय: बोर्ड को दिया और वह एक उत्पादन पौधाई के रूप में चलाया था।

1986 में भारत सरकार ने इसको एक न्यूक्लियस रबड एस्टेट और प्रशिक्षण केन्द्र बनाने की अनुमति दी। सारे द्वीप में उपपत्ति देने केलिए विकसित यह केन्द्र का अनुमानित लागत रू. 114 लाख था। और 1989-90 में सातवीं पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत इसका स्थापना पूर्ण तया करने की इच्छा है। आन्डमान लोक निर्माण विभाग और अन्य स्थानीय अभिकरणों इसका सिविल काम करने को इनकार किया। इसके अलावा पौधाई श्रमिकों से औद्योगिक

विवाद भी आ पड़ी । इसलिए इसका निर्माण के विलंब हो गया । अब इसका निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन. बी. सी. सी) में सौंपा है और 1992-93 में इसका निर्माण संपूर्ण हो जाएगा ।

बोर्ड द्वारा 222.55 हे. भूमि का अर्जन किया लेकिन सिर्फ 191.5 हें. की पौधाई की गई । बाकी मकान सड़क आदि केलिए लिया था । वहाँ 206 टापिंग ब्लोक में 61,721 रबड पौधे हैं । 1991-92 का रबड उत्पादन निम्न दिया है ।

शीट रबड	: 56289 कि. ग्रा
स्क्राप रबड	: 13022 कि. ग्रा.
फोम रबड	: 314 कि. ग्रा.
	69625 कि. ग्रा

1991-92 में इस एन. आर. टी. सी के कार्यकलाप के लिए 29,05,000/- रु. का खर्च हुआ ।

1.5 हे. का रबड नर्सरी भी यहाँ है । 1991 प्लांटिंग काल में सब 8094 बडग्राफ्ट्स का वितरण हुआ ।

पोर्ट ब्लेयर प्रादेशिक कार्यालय

1985 में आन्डमान और निकोबार द्वीप के रबड उत्पादकों के आम तौर की सुविधा केलिए, पोर्ट ब्लेयर में एक प्रादेशिक कार्यालय खोला था । 59.35 हें. केलिए यहाँ 81 सहायधन पेरमिट्स जारी की गयी है । 1991-92 में पौधाई परिदान के रूप में 32,000/- रूपये की अदायगी हो गयी है ।

---------0---------

एम. एस/13.10.1992.

भाग 4. रबड अनुसंधान

रबड बोर्ड के अनुसंधान क्षेत्र के तौर पर रबड के अनुसंधान कार्यालय भारतीय रबड अनुसंधान संस्थान द्वारा चलाया जाता है । परंपरागत एवं अपरंपरागत क्षेत्रों में कार्षिक प्रबंधन परिचार एवं पोस्ट हारवेस्ट तकनीकी द्वारा उत्पादिता की वृद्धि से संबंधित पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया था । छोटे एवं बडे उत्पादकों को सलाहकारी सहायता, रबड पौधाई एवं प्रसंस्करण तकनीकों पर प्रशिक्षण, परिहार केलिए क्षेत्र में समस्याओं का स्थानीय जाँच आदि तकनोलजी स्थानांतरण कार्यों के भाग थे ।

1992 फरवरी 5 से 8 तारीख तक बैंगलूर में अंतराष्ट्रीय प्राकृतिक रबड सम्मेलन (ऐ एन आर सी 1992) का संगाठन किया था । इसमें अन्य राष्ट्रों के 70 प्रतिनिधियों को मिलाकर 500 लोगों ने भाग लिया था । कुल 104 वैज्ञानिक प्रबंधों को प्रस्तुत किया और विचार किया । इनमें भारतीय रबड अनुसंधान संस्था के 30 प्रबंध थे । इसके अतिरिक्त दो राष्ट्रीय सिंपोसियम (पौधाई फसलों में बयोलजिकल दो राष्ट्रीय सिंपोसियत ... अनुसंधान पर आधुनिक प्रगतियों पर राष्ट्रीय सिंपोसियम) चलाये थे । इसके मिलाकर शरीर वैज्ञानिक पहलुओं पर युवा वैज्ञानिकों केलिए एक ओरियेन्टेशन प्रोग्राम का संचलन किया था ।

कृषि विज्ञान/मृदा

विभिन्न कृषि जलवायू स्थानों में वृद्धि की विभिन्न अवस्थओं में उच्च उपजित रबड क्लोण के पौष्टिक आवश्यकताओं पर निरीक्षण सींचाई, आर्द्रता प्रबंधन, बीफ का फसल मृदा परिरक्षण और कवक प्रबंधन जैसे कृषि प्रबंधन परिचार अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र थे । फोलियार विश्लेषणात्मक मूल्यों की व्याख्या के एक उपकरण के तौर पर डी आर ऐ एस पर अध्ययन सफलतापूर्वक चल रहा था । केन्द्रीय प्रयोगशाला, प्रादेशिक प्रयोगशाला और चार मृदा एवे टिश्यू परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा छोटे एवं बडे उत्पादकों को निर्णयात्मक खाद सिफारिश दी जाती थी ।

अपक्व रबड के पौष्टिक पहलुओं पर सारे दस परीक्षणों में उपचार, निरीक्षणों का अभिलेखन और मृदा एवं पत्र नमूनों का विश्लेषण चलाया था । आर आर आई 105 पर निरीक्षण द्वारा प्रति हेक्टर में 30 कि. ग्राम प2, ओ5 फोसफरस और 20 कि. ग्राम. के2 ओ पोटासियम के प्रयोग ने परिधि वृद्धि को दिखाया । क्लोण पी बी 235 में प्रति हेक्टर में 20 कि. ग्राम 30 कि. ग्राम एन नैट्रजन, 30 कि. ग्राम. पी 2 ओ5 फोसफरस और 20 कि. ग्राम के2 ओ पोटासियम द्वारा परिधि वृद्धि दिखायी । इन पोषकों के अधिक मात्रा के

प्रयोग से लाभ नहीं सिद्ध हुआ । एक परीक्षण में नये विकसित क्लोणों में खाद प्रयोग का अधिक प्रयोग दिखायी पड़ा ।

रबड पर पोषक आवश्यकताओं पर अध्ययन करने के लिये 14 क्षेत्रीय परीक्षण चलाये थे । इनमें सात उच्च उपजित क्लोणों पर भिन्न स्थानीय परीक्षण और बाकी सब टापिंगकरनेवाले रबड पर खादों के विभिन्न स्त्रोतों का तुलना करने केलिये है । खाद उपजाद किया, निरीक्षणों का अभिलेखन किया, मृदा एवं पत्र नमूनों का संग्रह किया और विश्लेषण किया । एक स्थान में (त्रिशूर) क्लोण आर आर आई आई 105 के लिये 30 कि.ग्राम पोटासियम 20 कि.ग्राम नैट्रजन एवं फोसफरस का अधिक प्रभाव दिखायी पडा । दूसरे एक स्थान में (कुलक्षेखरम) पी बी 28/59 क्लोण पर 20 कि.ग्राम नैट्रजन और 60 कि.ग्रा. तक के पोटासियम पर प्रभाव दिखायी पडा । विभिन्न स्थानीय परीक्षणों द्वारा सीधा-खाद-खाद मिश्रण और कोम्पल्क्स खाद के पक्व रबड के लिये समान प्रभावी सिद्ध हुआ ।

पौधाई के सांद्रण में एक परीक्षण में प्रति हेक्टर में 445 से 598 तक की सीता में छ: सालों के बाद भी विभिन्न सांद्रणों में पेडों की वृद्धि में कोई महत्वपूर्ण मेल नहीं दिखाई पडा । पौधाई के विभिन्न सांद्रणों में खादों की विभिन्न आवश्यकता नहीं सूचित की ।

छोटे रबडों की वृद्धि पर सींचाई के प्रभाव पर दो परीक्षण चलाये । एक लिसीमीटर परीक्षण - अपक्व रबड के जल आवश्यकता का अध्ययन करने और मृदा एवं जल कणसरवेशन का परीक्षण चल रहा था । सींचाई के कारण वृद्धि में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई पडी । सींचाई प्रणालियों में समान परिमाण के जल बेसिस पर बेसिक इरिगेशन की अपेक्षा ड्रिप इरिगेशन प्रभावी दिखाई पडा । लिसीमीटर परीक्षण में यह दिखाई पडा कि तीन वर्षीय रबड पौधे केलिए सम्मार में (दिसंबर से एप्रिल तक) दिन में इवपोट्रानसपिरेशन 4.97 एम.एम था । दो वर्षीय पौधों में भी यही नीति थी । मृदा एवं जल परिरक्षण परीक्षणों में सारे विभिन्न मृदा परिरक्षण प्रणालियाँ जैसे कोंटूर टेरस, कोडूर ट्रेंच, सिलट पिट, कवर क्रोप्स, और बयोलजिकल बंट, सोइल इरोसिन को कम करने में प्रभावी थी ।

कवक क्रोमोलाने ओडोरेट के बयोलजिकल नियंत्रण केलिए पारेचाटस सिडोइनसुलाटा के संग्रह एवं गुणीकरण केलिए कार्रवाई ली थी ।

इंटरक्रोपिंग पर दो परीक्षण चल रहे थे । एक अपक्व रबड पर और दूसरा पक्व रबड पर । बीच के फसलों का संरक्षण किया और निरीक्षणों का अभिलेखन किया । अपक्व रबड के परीक्षण में जहाँ काफी (रोबस्टा, सानरामोन एवं कावेरी) कोक्को, काली मिर्च आदि का इंटर प्लानिंग किया था रबड की वृद्धि निम्न थी । पक्व रबड के दूसरे परीक्षण में जहाँ कोफी की पौधाई की थी, इंटर क्रोप द्वारा पक्व रबड बाधित नहीं दिखाई पडे । लेकिन वेजिटेटीव वृद्धि उत्तम होने पर भी कोफी पौधे पुष्पित होने में असफल हुए ।

विभिन्न नैट्रोजनस खादों के प्रभाव पर तुलना करने के एक क्षेत्रीय परीक्षण में उपचार एवं वृद्धि मापन चलाये । रबड उत्पादित मृदा में सोइल पोट्टासियम के डैनामिक्स पर अध्ययन शुरू किया था । प्रमुख पोषकों पर डी आर ऐ एस की उपयोगिता पर अध्ययन किया था । पर खाद सिफारिश केलिए इसके उपयोग पर और परीक्षण कार्य आवश्यक है । खाद सिफारिश केलिए 9450 मृदा एवं 3105 पत्र नमूनों का विश्लेषण केन्द्रीय एवं प्रादेशिक परीक्षणशालाओं में किया था ।

प्रजनन एवं ओरटेट चुनाव द्वारा पेड सुधार, संचरण, शरीर विज्ञान एवं सैटो जेनटिक्स पर अध्ययन आदि प्रमुख कार्यकलाप थे ।

1. प्रजनन एवं चुनाव

पक्व लघुस्तरीय, उच्च स्तरीय एवं ब्लोक परीक्षणों से नियमित मासिक उपज अंकन लिया था । पन्द्रह चुने क्लोण, जो आर आर ऐ ऐ 105 से भी 20% अधिक उपज अंकन किये थे, गुणीकरण किये और उच्च स्तरीय परीक्षण केलिए एक बुष नर्सरी में पौधाई किये । 1977 क्लोण परीक्षण चुने पेडों पर मासिक विरामों पर डी आर सी कुल वोलियम और प्लगिंग इनडेक्स का अभिलेखन किया था । 1983 और 1986 हैब्रिडैसेशन प्रोग्राम और 1989 के बीजांकुर एवं 1990 हैब्रिडैसेशन प्रोग्राम के उपज एवं जुवनैल वृद्धि का अभिलेखन किया था । 1983 क्लोण परीक्षण के पेडों का टापिंग शुरू किया ।

1986 के 69 क्लोण के पोली बाग नर्सरी और 1989 हैब्रिडैसेशन प्रोग्राम क्लोणल नर्सरी मूल्यांकन केलिए स्थापित किये । 1989 एवं 1990 एच पी बीजांकुरों के जुवनैल वृद्धि और उपजों का अभिलेखन किया था । 1992 केलिए हैब्रिडैसेशन योजना शुरू की । उच्च निम्न एवं माध्यम उपज के दस क्लोण का बडग्राफ्टिंग किया और मूल्यांकन अध्ययन केलिए पोलीबागों पर बढाया । मलटीमोडल क्लोणाब्लेन्डस पर परीक्षण केलिए 13 क्लोण पोलीबागों में बढाया । इन क्लोणों के एक गुणीकरण नर्सरी की स्थापना की ।

ओरटेट चुनाव योजना जारी रखी । चेरुवल्ली एवं मुंडकयम एस्टेटों में ओरटेट क्लोण के परीक्षणों में परिधि अंकन किये । कोन्नी एस्टेट में तीन लघुस्तरीय परीक्षणों में तीन नियंत्रण के साथ 47 ओरटेट क्लोण के क्षेत्रीय पौधाई की थी । कोड्डुमण एस्टेट से उपज एवं गौण स्वभावों के आधार पर 49 मातृपेडों को चुन लिया । उनका गुणीकरण किया और एक बुष नर्सरी में स्थापना की । छोटे बागनों से ओरटेट क्लोण का पोलीबाग नर्सरी की संरक्षण 1992 क्षेत्रीय पौधाई केलिए की थी ।

जेनटिक डैवेरजनस, प्री पोटनसी और अनब्रीडिंग डिप्रशन पर अध्ययन समाप्त किया । विभिन्न विश्लेषणों द्वारा जनटिक भिन्नता पर आधारित चालीस क्लोण को आठ जनटिकली डैवेरजन्ट क्लस्टेर्स में वर्गीकृत किया । इनमें 20 क्लोणों को बीजांकुर प्रोजनसी विश्लेषण द्वारा प्रोटनसी एवं इनब्रीडिंग डिप्रशन केलिए निर्धारित किया। हेविया प्रजनन उपकेन्द्र नेट्टाना में जेनटिक पारामीटर के अनुमान पर 1990, परीक्षणों में रिक्तियों की पूर्ती की ।

2. संचरण एवं पौधाई तकनीक

संचरण एवं पौधाई तकनीकों से संबंधित सारे क्षेत्रीय परीक्षण चलाये थे और वार्षिक परिधि का अभिलेखन किया था । केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन में द्विस्टोक एवं एक स्टोक की तुलनात्मक अध्ययन पर एक परीक्षण चलाया था । बाग पौधों के डीप पौधाई पर परीक्षणों में गाप फिल्लिंग किया था । वंच ग्राफ्टड पौधों के वृद्धि स्वभाव का अभिलेखन किया और डाटा सांख्यकी विश्लेषणाधीन है । स्टोक स्कियोन संबंध का अध्ययन करने केलिए 1984 परीक्षण के पेडों का टापिंग

शुरू किया । डैवेरजन्ट जनोटाइपस के रूट स्टोक पर सामान्य स्कियोन के प्रभाव पर परीक्षण चलाये और गापफिल्लिंग भी किये थे ।

3. शरीर विज्ञान

क्लोण मूल्यांकन योजना के भाग के तौर पर 20 क्लोण के नवीकृत छाल में लाटेक्स वेसल का निर्धारण किया । एक मूल्यांकन परीक्षण में चार सैटो टाइपस से छाल नमूनों का संग्रह किया । केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन, चेत्तक्कल के जर्मप्लासम गार्डन में पौधाई किये 66 क्लोण का मूल्यांकन विरजिन छाल में लाटेक्स वेसल की संख्या केलिए किया था । टापिंग के शुरू के साल में मातृ चुनाव के लिए इन कालेणों का विकसित करने का लक्ष्य से ऐसा किया था । ड्राफ्ट टोलरनस केलिए कुछ अनाटमिकल पारामीटर का पहचान किया था । जनटिक विभिन्नता के अनुमान केलिए 65 क्लोण के लाटेक्स वेसल का निर्धारण किया था ।

छाल नवीकरण पर अध्ययन केलिए नमूनों का मैक्रोस्कोपिक निरीक्षण, सेक्षनिंग और स्टेयिनिंग जारी रखा । वुड क्वालिटी पर अध्ययन के तौर पर एत्रल प्रयोग जारी रखा था । हस्त परनीत योजनाओं में फल के सुधार की दृष्टि से हेविया में ओवूल के बाद विकास के बाद में एक नया प्रोग्राम शुरू किया था । बयोटेकनोलजी प्रभाग के सहयोग से सोमाटिक एम्ब्रियोजेनसिस के अनाटमी पर एक अध्ययन शुरू किया ।

4. सैटो जनटिक्स

पोलीक्लोइड एवं किराचित परीक्षणों में नियमित रूप से निरीक्षणों का अभिलेखन किया था । 1985 क्लोण परीक्षण॥इरा डिथेटड॥ टापिंग केलिए खुले गये । 1991 पौधाई मौसम में के.प. स्टेशन चेत्तक्कल में क्षेत्रीय परीक्षण शुरू किये । पुरुष स्टेरैल क्लोण, मूटन्टस और पोली प्लाइड के प्रोगनसी से चुने हुए दस क्लोण को चुन लिया और गुणीकरण किया । जेनटिक वेरियन्ट के सैटोलजिकल अध्ययन ने सामान्य मियोटिक व्यवहार सावित किया । टेट्राप्लोइड के सैटोलजिकल अध्ययन ने सामान्य मियोटिक व्यवहार को दिखाया । टेट्राप्लोइड के सैटोलजिकल अध्ययन ने सावित किया कि 25 पीढ़ियों के बाद भी पौधे अपने पोली प्लाइड व्यवहार को दिखाता है । केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन में जेनटिक वेरिरान्ट के प्रोगनसीस के निरीक्षणात्मक परीक्षण में वार्षिक परिधि का अभिलेखन किया ।

बयोटेकनोलजी

एक सोमाटिक एमब्रियोजनसिस का विकास सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है । रबड के वेनटेटीव टिश्यू के संवर्धन द्वारा पौधों के फारमेशन केलिए मलटिपिल एमब्रियोस का जनरेशन इस पद्धति द्वारा हो सकता है । टिश्यू संवर्धन द्वारा उच्च पैमाने में रबड क्लोण के गुणीकरण केलिए मुख्य आधार यह प्रणाली हो सकती है ।

टिश्यू कलचर षूट टिप संवर्धन द्वारा पौधों के जनरेटिंग केलिए इन विट्रो संचरण एक योजना है । 1991 जून में 0.75 हेक्टर में यह परीक्षण शुरू किया था । परंपरागत संचरण एवं टिश्यूकलचर पौधों की तुलना केलिए इस पौधाई द्वारा वैज्ञानिक डाटा मिलता है ।

दूसरे संवर्धन अनुसंधान योजना के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं §क§ रबड के जनटिक बेस का विकास, जिससे इसका उपज वृद्धि हो सके §ख§ उच्च उपज क्षमता केलिए सोमाक्लोणल वेरियन्टर का जेनरेटिंग । कुछ ऐसे वेरियन्टस को पहचान लिया, संचरण किया और क्षेत्र में पौधाई की ।

एक मात्र सेल/प्रोटोप्लास्टस के संवर्धन द्वारा माइक्रो काली का उत्पादन किया था ।

जनटिकइंजिनीयरिंग में प्रगतिपूर्ण उपयोग केलिए लाटेक्स सिंतसित को प्रेरित कई एनसैमृत का रिव्यू किया था ।

जर्मप्लासम

हेविया जर्मप्लासम के संग्रह एवं परिरक्षण की योजना में मलेशया के 1981 ऐ आर आर डी एस जर्मप्लासम संग्रह में मिलनेवाले जनोटाइप्स को चेतक्कल के केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन के वुष नर्सरी में पौधाई की थी । उनके उचित संरक्षण किया और तीन जर्मप्लाज़म गार्डन को तैयार किया । विलाटरल एक्सचेंच योजना के अधीन भारत से पाँच क्लोण के वदले ऐ आर सी ए, फ्रांस से पाँच क्लोण मिले । मूल्यांकन केलिए इनका गुणीकरण किया था ।

वैलड जर्मप्लासम के प्रारंभिक मूल्यांकन में वेस नर्सरी में 174 जनोटाइप्स का मूल्यांकन किया था । क्षेत्रीय मूल्यांकन में 300 जनोटाइप्स का वृद्धि स्वभाव का हर तिमाही में निरीक्षण किया । जर्मप्लासम गार्डन में पुराने पौधों में वार्षिक परिधि अंकन, मासिक उपज अंकन आदि चलाया था । 1992 केलिए तीन क्षेत्रीय मूल्यांकन परीक्षणों की योजना रखी है । ऐ आर आर डी वी के लाटिसीफोरस पद्धतियों पर शरीरवैज्ञानिक निरीक्षण किये थे । मटो ग्रोसो जनोटाइप्स में रोनडोनिया जनोटाइप्स की अपेक्षा लटेक्स वेसल की औसत संख्या और सांद्रण अधिक दिखाई पडा ।

पौधा शरीरविज्ञान और समुपयोजन

चिकित्सा पौधों का इन्टर क्रोपिंग और समुपयोजन परिस्थितिक पौधा शरीर विज्ञान जीव रसायन आदि पर निरीक्षण जारी रखा था । समुपयोजन के क्षेत्र में नियंत्रित अपवेरड टापिंग, उच्च उपजित क्लोण आर आर ऐ ऐ 105 के उपज प्रवृत्तियों पर विभिन्न समुपयोजन प्रणालियों का प्रभाव §छोटे एवं बडे पैमाने के परीक्षण§, के एवं सी घटकों पर विविध समुपयोजन प्रणालियों का प्रभाव, हेविया क्लोण के उपज एवं समुपयोजन प्रयोग, छोटे उत्पादकों केलिए योग्य टापिंग प्रणाली का मूल्यांकन, उपज उद्दीपक के तौर पर कालसियम कारबाइड का मूल्यांकन, ब्रौण वास्टिंग के निरोध पर एक आयुरवेदिक तेल के निर्माण का प्रभाव, ब्रौण वास्ट के इनडक्शन में इन्टनसीव टापिंग का प्रभाव आदि पर परीक्षण करते रहे । लोक प्रिय क्लोणों में समुपयोजन के विविध स्तरों के अधीन लाटेक्स डयगनैस पारामीटर की सीमा निर्धारण करने के नये परीक्षण चलाये । परिस्थितिक पौधा शरीर विज्ञान में रवड की वृद्धि एवं उपज पर सोइल मोइस्चर का प्रभाव, असिमिलेट्स का फोटोसिंतसिस, क्लोण के शरीरवैज्ञानिक मूल्यांकन, ड्रिप सींचाई प्रणालियों पर और वेसिन पर तुलनात्मक मूल्यांकन आदि का परीक्षण चलाये थे ।

सुधारित गोंगा चाकू का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रीय परीक्षणों के परिणाम द्वारा भारत में "सी यू टी" की सिफारिश कर सके। चाकू का भी सिफारिश की। रबड़ पेड़ों की आयु और उत्पादित बढाने में सी यू टी का अनुमान किया जाता है। लाइर टापिंग की तुलना में टापेर्स का श्रम "कट" में कम होता है॥ रेइन गार्डड उच्च स्तरीय टापिंग केलिए एक पाकेज का फारमुलेशन किया था। गोंग चाकू का इस्तेमाल करने में बोर्ड के 51 टापिंग निदर्शकों एवं एस्टेट/छोटे बागन के 70 टापेर्स को प्रशिक्षण दिया था। "कट" केलिए एक रेइन गार्ड लिफ्टड का आविष्कार किया।

आर आर ऐ ऐ 105 क्लोण में टापिंग के छठवीं साल में लोवर इन्टनसिटी टापिंग प्रणाली द्वारा प्राप्त उपज सामान्य टापिंग प्रणाली से भी अधिक था। इसका मुख्य कारण ब्रौण बास्ट का तक्रम था। क्लोण आर आर ऐ एम 600 और आर आर ऐ ऐ 105 में उपज कन्स्ट्राइन्ट विश्लेषण का फैलाव किया।

प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, महाराष्ट्रा में सींचाई परीक्षणों से प्राप्त डाटा ने दिखाया कि ड्रिप सींचाई द्वारा जल का 100% बचाव हो सकता है। यह श्रम की बचाव के अतिरिक्त है। शरीरवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण में आर आर एस (महाराष्ट्रा) और केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन (चेत्तक्कल) में परीक्षणात्मक टापिंग शुरू किया था। गुडिगरा में (कर्नाटका राज्यवार ट्रोपिकल हाई इलवेशन) पेड़ों ने टापिंग परिधि नहीं पायी। वयनाडु में भी वृद्धि संतोषजनक नहीं थी। चूर्णी फफूँदी रोग का कठिन अद्रव था।

लीफ फाट्टी आसिड मिश्रण में क्लोणल भिन्नता दिखाई पडी।

रेइन गार्ड उपकरणों के पाँच वाणिज्यिक मिश्रणों का क्षेत्रीय परीक्षण किया, जिनमें चार का अनुमोदन किया था। "गार्डियन रेइनगारड" नामक एक नये प्रकार के रेइनगार्ड का भी अनुमोदन दिया। रतफोन के सात नमूनों केलिए प्रयोगशाला परीक्षण किया था। इसके अतिरिक्त कई अन्य टापिंग इंप्लिमेंन्टस का भी मूल्यांकन किया था। परीक्षण शुल्क के तौर पर कुल 18,000/- रु. मिला था।

कवक विज्ञान एवं पौधा रोग विज्ञान

उच्च वर्षापतन (त्रिशूर) एवं कम वर्षापतन क्षेत्रों (पुनलूर) में असामान्य पत्र पतन रोग के विरुद्ध उच्च एवं अलट्रा लो वोलियम प्रोफैलाटिक छिड़काव केलिए कवकनाशियों आर आर ऐ एम 600 केलिए 50% सी ओ सी के 10 कि.ग्रा अपर्याप्त दिखाई पड़ा। पर 1% बोरडियाक्स मिश्रा के 500 लिटर संतोषजनक परिणाम केलिए पर्याप्त था। आर आर ऐ ऐ 105 केलिए सिर्फ 300 लिटर ही आवश्यक था। पुनलूर में छिड़काव रहित नियंत्रण में आर आर ऐ ऐ 105 केलिए तृप्तजनक पत्रधारिता थी।

कृषि अर्थ

वाणिज्यक पौधाई के अधीन पौधाई मालों के मूल्यांकन पर अध्ययन जारी रखा था और आर आर ऐ ऐ 105 के उपज प्रवृत्ति का निर्धारण संशोधित किया। एस्टेट खंडों में पौधाई मालों के उपयोग पर रिपोर्ट तैयार

किया और प्रकाशनाधीन है ।

रबड काठ के उपयोग पर अध्ययन करनेकेलिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका एवं आंध्रप्रदेश में स्थित 30 प्रमुख रबड काठ उपभोगित यूनिटों से डाटा का संग्रह किया । रबड बीज तेल के उत्पादन एवं उपयोग का अनुमान करने केलिए प्रमुख रबड बीज तेल उपभोगित केन्द्रों से डाटा का संग्रह किया । पशु भोजन केलिए केरल सहकारिता दूध विपणन संघ, मलंपुषा के काटिल फीड प्लान्ट ने रबड बीज से ओइल केक का उपयोग किया था केरल एवं तमिलनाडु के आठ प्रमुख शहद उत्पादिता केन्द्रों में रबड शहद के उत्पादन के अनुमान केलिए डाटा का संग्रह किया ।

सुधारित रबड उद्योग पर अध्ययन किया था । रबड के छोटे बागनों का प्रबंधन, आर आर ऐ ऐ 105 में ग्रीष्म वास्ट का दर, छोटे उत्पादकों द्वारा सुधारित पौधाई एवं प्रसंस्करण प्रणालियों का स्वीकार आदि पर अध्ययन किया था । रबड बागनों में प्राकृतिक नाश का सर्वेक्षण चलाया था ।

रबड रसायन, भौतिकी एवं तकनोलजी

प्राकृतिक रबड प्रसंस्करण रासायनिक संशोधन और रबड तकनोलजी के सुधार पर निरीक्षण जारी रखे ।

प्रारंभिक प्रसंस्करण

वर्तमान सोलार ड्रयर का 300 कि.ग्राम का संशोधन किया और इसकी दक्षता के निर्धारण केलिये शीट रबड के निर्धारण के लिए अधिक सलफूरिक आसिड विरुद्ध प्रभाव दिखाया । सलफूरिक आसिड का उपयोग करते हुए कूओसन जारी रखा था ।

प्राकृतिक रबड का रासायनिक सुधार

एपोक्सिडैसेड प्राकृतिक रबड के एक पयलट रबड का निर्माण किया जा रहा था । इ एन आर के पी आर ए के सुधार पर अध्ययन चल रहा था । एपोक्सिडैसेड द्रव प्राकृतिक रबड का प्रारंभिक अध्ययन किया था ।

रबड तकनोलजी

उच्च अमोणिया और निम्न अमोणिया और परिरक्षित सेन्ट्रीफ्यूजड लाटक्स की वस्तुओं पर स्टोरेज का प्रभाव और इसके वलकनैस पर मूल्यांकन किया जा रहा है । परीक्षित सोलवेनस में नाफ्ता सबसे प्रभावी सिद्ध हुआ है ।

प्राकृतिक रबड वलकनैसिंग के काल प्रभावन अध्ययन में साबित किया कि सारे सान्द्रणों केलिए फोसफोरिक आसिड और सोडियम हैड्रोक्सिड 5% सान्द्रण में विदस्टान्ड कर सकता है ।

इलक्ट्रोलैट माध्यम में काल प्रभाव न वस्तुओं ने अधिक प्रभावी सिद्ध किया प्राकृतिक रबड वलकनैसेस के कालप्रभावन पर भौतिकी श्रम के प्रभाव पर अध्ययन ने दिखाया कि डी फोमड नमूनों के संबंधों में डीग्रेडेषन का दर तीव्र था ।

उन्नत प्रसंस्करण प्राकृतिक रबड एवं इ पी डी एम के ब्लेंडिंग ने ओसोण प्रतिरोध में परिणत हुआ । इ पी डी एम और एस पी 20 के ब्लंड 30:70

अनुपात में अनुकूल वस्तुओं को दिखाया । रोकट में प्लक्स सील में के तौर पर उपयोग करने केलिये रबड मिश्रण पर अन्तिम रिपोर्ट वी एस सी को प्रस्तुत किया था । यू के से प्राप्त 180 रीट्रेडड ट्रक के टयर के मूल्यांकन से सावित हुआ कि एस वी वार से निर्मित नियंत्रित मिश्रण प्राकृतिक रबड आधारित मिश्रण से भी उत्तम था । प्राकृतिक रबड मिश्रणों में एक आर/वी आर से निर्मित एन आर/ एस वी आर से निर्मित मिमश्रण से भी अच्छा था ।

विकास कार्य

निम्न लिखित उपजों का विकास किया और रबड उद्योग को पूर्ति की ।

1. रबड मैंब्रैन कंपोनन्ट
2. प्राकृतिक रबड एवं शुष्क रबड पर आधारित सामान्य उद्देश्य के उपकरण
3. इलक्ट्रोलैटिक कप्पासिटेर्स के लिए 250 रबड वंग

उत्तरपूर्वी प्रदेश के लिये अनुसंधान केन्द्र और प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र

देश के उत्तरपूर्वी प्रदेशों के अनुसंधान कोंप्लक्स के पाँच प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र आसाम त्रिपुरा, मेघालय, मिसोराम और पश्चिम वंगाल में स्थित है । मुख्य कार्यालय गोहटी में हैं ।

क्लोण का मूल्यांकन रबड के पौष्टिक पहलु रोगों का सर्वेक्षण, कीड तथा उनका नियंत्रण आदि कार्य में गोहटी के प्रादेशिक अनुसंधान लग गया है । हेविया के पक्व और अपक्व एमब्रीचो से पौधों का रीजनरेट करने के तकनीकों का एकीकरण किया ।

क्लोणों की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के परीक्षण में यह निरीक्षत किया कि टी 235 आर आर ऐ एम 105 जी टी । और आर आर ए ऐ 118 वृद्धि के संबंध में अन्य क्लोण से भी उत्तम है । पौष्टिक अध्ययन में प्रति हेक्टर में फोसफरस और पोटासियम के साथ 30 - 40 कि. ग्राम नैट्रजन के प्रयोग द्वारा अच्छी वृद्धि दिखायी पडए । यह भी निरीक्षित किया कि प्रारंभिक सालों में फोसफरस का सोल्यूबिज ट्यूव अधिक प्रभावी था ।

प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र "तुरा" (मेघालया) द्वारा ऊँचे अल्टिट्यूट परिस्थिति में होनेवाले विनिर्दिष्ट समस्याओं पर जाँच करते रहे । वीच के फसल एवं मिश्रित कृषि प्रधालीयों पर इस केन्द्र द्वारा अध्ययन किया गया । पैनापिल एक उत्तम वीच का फसल सिद्ध हुआ । लेकिन वनाना द्वारा रबड पौधों की वृद्धि में वाधा दिखाई पडी ।

प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र अगरतला में स्थानीय विनिर्दिष्ट परीक्षण सफलता पूर्वक चल रहा था यह निरीक्षित किया कि वर्षा के मौसम में लगातार टापिंग द्वारा ब्रौण वास्ट का घा वढ गया । अतः समुपयोजन प्रणालियों में सुधार आवश्यक मालूम पडा ।

मिसोराम में यह निरीक्षित किया कि अन्य प्रदेशों के लिये सिफारिश किये कुडूंर, लांड स्लैड में परिणत हो गया । मृदा परिरक्षित मार्गों के सीमित करके इस परिस्थिति को पार कर रहा है ।

अन्य प्रादेशिक केन्द्रों के परीक्षण पश्चिम बंगाल महाराष्ट्रा, कर्नाटका तमिलनाडु और उडीसा जारी रखे थे और निरीक्षणों का अध्ययन हो रहा था।

अनुसंधानाधरीय अनुभाग

क. ग्रंथालय

वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनायें प्रधान करने में ग्रंथालय एवं डोक्युमेन्टेशन केन्द्र लगे गये। बिब्लियोग्राफिक खोज एवं सामान्य सूचना कार्य में भी लग गये। प्रलेखन सूचि एवं रवड अलेर्ट के दो दलों का संकलन किया था। वर्तमान आनुकालिक की ऐ सूची और 136 नये ग्रंथो का बिब्लियोग्राफिक विवरणों का संकलन किया। पुस्तकों का कुल संग्रह 20,589 और आनुकालिकों 19,623 ग्रंथालय में 254 आनुकालिकों का चंदा किया, 146 जर्नल्स मुफ्त में मिला था।

ख. इनस्ट्रुमेन्टेशन

अनुसंधान प्रभागों और प्रादेशिक केन्द्रों में सारे उपकरणों की नियमित रख रखाव और मरम्मत की थी। नये उपकरणों का संस्थापन भी किया था।

ग. कला/फोटोग्राफी

प्रकाशन एवं सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों में वैज्ञानिक प्रबंध प्रस्तुत करने के लिये फोटोग्राफ चार्ट्, ग्राफ आदि तैयार किये थे।

घ. सांख्यिकी विश्लेषण

अनुसंधान कार्यों की सहायता करने के लिये अन्तिम परीक्षणों के रूपरेखा की तैयारी, डाटा का सांकेतिक विश्लेषण आदि कार्य जारी रहे।

1.10.1992

परीक्षण केन्द्र

रबड़ अनुसंधान संस्थान, रान्नी के पास चेत्तक्कल में एक केन्द्रीय परीक्षण केन्द्र और इस के मुख्यालय में एक परीक्षण केन्द्र है ।

1992-93 में केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन में विभिन्न निरीक्षणात्मक उद्देश्यों के लिये 5 हेक्टर में पौधाई की थी । करीब 250 हेक्टर में विभिन्न परीक्षणों के अधीन पौधाई की थी । इस वर्ष कुल उपज उत्पादन 197, 2600. 76 कि. ग्रा. था । कुल वर्षापतन 3355. 8 मि. मीटर था ।

इस केन्द्र में 210 स्थायी कामगार और 202 आकस्मिक कामगार होते है । विभिन्न कार्यों के लिये लगे हुए कुल मानवदिन 69, 481 होता है । इस केन्द्र के अधीन एक डिसपेनसरी होता है । यहाँ केन्द्रीय परीक्षण संस्थान के और केन्द्रीय नर्सरी करिक्काटूर के स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित 13093 मामले आये थे ।

मुख्यालय के आस पास ऐसे, परीक्षण केन्द्र का विस्तार 32. 87 हेक्टर होता है । इसमें 16. 68 हेक्टर में पौधाई चलायी है । 1. 60 हेक्टर में टापिंग होता हैं । यहाँ 40 स्थायी और 58 आकस्मिक कामगार होता है । कुल मानवदिन 15, 154. 5 होता है ।

प्रशिक्षण वर्ग

1. रबड़ पौधाई एवं बागान प्रबंधन में अल्पकालीन प्रशिक्षण सत्र

1991 आगस्ट 27 से सितंबर 20 के बीच 18 दिवसीय इस वर्ग का एक बैच चलाया था । केरल कर्नाटका और तमिलनाडु से प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

2. रबड़ माल विनिर्माण में प्रशिक्षण

रबड़ लाटक्स एवं शुष्क रबड़ से रबड़ माल के विनिर्माताओं को पृथक वर्ग चलाया था ।

लाटक्स से उपज के विनिर्माण पर और शुष्क रबड़ से उपज के निर्माण पर तीन बैच चलाये थे । इस में केरल कर्नाटका, मध्यप्रदेश आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा से सात अनुसूचित जाति के लोगों को मिलाकर ।

3. रबड़ प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण

1991 आगस्त, सितंबर और नवंबर में रबड़ प्रसंस्करण पर तीन बेच चलाये थे। आगस्ट के बेच में त्रिपुरा वन विकास बागन निगम लिमिटड से 26 टापिंग निरीक्षकों ने भाग लिया था। सितंबर और नवंबर के वर्ग में एक अनुसूचित जाति प्रतिनिधि को मिलाकर 37 लोगों ने भाग लिया था।

सरकारी विभाग अन्य अभिकर्ताओं की माँग पर विशेष विषयों पर प्रशिक्षण सत्र

1. खिलौने और बलून के विनिर्माण पर प्रशिक्षण

1991 आगस्ट 26 से 30 तक के पाँच दिनों में इस पर पत्तनमतिट्टा के एक उद्यमकर्ता को प्रशिक्षण दिया था।

2. लाटक्स के विश्लेषण और परीक्षण पर वर्ग।

1991 एप्रिल, मई, जुलाई, आगस्ट और सितंबर में 6 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया था।

3. रबड़ उपज विनिर्माण प्रक्रिया पर वर्ग

एल वी टयर एवं रबड़ लिमिटड पालक्काड के छः प्रतिनिधियों को प्रसंस्करण, मिक्सिंग मिल इन्टरमिक्स आदि पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया था।

4. रबड़ एवं संबंधित मालों के विश्लेषण पर वर्ग

1991 नवंबर 6 से दिसंबर 2 तक कर्नाटका के एक प्रतिनिधि को 17 दिवसीय प्रशिक्षण दिया था।

5. लघु उद्योग सेवा मद्रास के उद्यमकर्ता विकास योजना के प्रशिक्षणार्थियों को रबड़ उपज विनिर्माण पर वर्ग।

1992 जनवरी 6 से 11 तक उक्त संस्था के 13 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया था।

6. नियंत्रित अपवेर्ड टापिंग पर (सी यू टी) प्रशिक्षण

1991 अक्टूबर में तमिलनाडु से एक क्षेत्रीय अधिकारी दो निरीक्षकों और आठ टापेर्स के एक संघ को इस पर प्रशिक्षण दिया था।

संगोष्ठियाँ एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण

इस साल रबड़ पौधाई के विविध पहलुओं पर एक दिवसीय

प्रशिक्षण योजना के 35 वर्ग चलाये थे ।

रबड़ उत्पादक संघों द्वारा प्रशिक्षण विद्यालयों को विश्व विद्यालयों, स्कूलों, एफ ए सी टी आदि से 1270 उत्पादकों और प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था । इन में छः एक दिवतीय प्रायोगिक एवं प्रदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम था ।

एक वोकेशनल हयर सेक्रटरी स्कूल में रबड़ पौधाई से संबंधित विषयों पर वर्ग का प्रबंध किया था । एक खाद कंपनी में दो दिवतीय संगोष्ठी चलायी थी ।

इस रिपोर्ट साल में विभिन्न प्रशिक्षण वर्गों के लिये शुल्क के तौर पर 1,22,450/- रु. का संग्रह किया था ।

एम. एस/8. 10. 92

भाग-5 प्रसंस्करण एवं उत्पादविकास

प्रसंस्करण एवं उपज विकास से संबंधित कार्यकलापों का कार्यान्वयन पौच प्रभागों द्वारा चलाया जाता था याने इंजीनियरिंग गुण नियंत्रण, तकनीकी परामर्शता, फाक्टरी प्रबंधन अर्थ एवं वित्त ।

इंजिनीयरिंग प्रभाग

रबड़ विपणन सहकारिता संघों के अधीन स्थापित छः क्रंब रबड़ फाक्टरियों के इंजिनीयरिंग एवं तकनीकी सेवा प्रदान की जाती है । पब्लिक सेक्टर बागन, रबड़ विपणन सहकारिता संघ आदि के अधीन स्थापित सारे नये क्रंब रबड़ एवं लाटक्स प्रसंस्करण फाक्टरियों को इंजिनीयरिंग सेवा दी जाती है ।

1. पव्वशी रबेर्स

इस फाक्टरी केलिये खरीदे मिशनरी में निरीक्षित सारी कमियों को पहचान लिया और आवश्यक सलाह दिया । फाक्टरी का कार्य अब सुचारु रूप से चलता है ।

2. पंपा क्रंब रबड़ फाक्टरी

इस फाक्टरी के सिविल विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों का सामयिक निरीक्षण चलाया था । कमीशनिंग केलिये अब तैयार हो गया है । अब 92 जून के प्रारंभ में उत्पादन शुरू करने का अनुमोदन किया जाता है

3. गैको लाटक्स फाक्टरी

इस साल इसका कमीशनड किया था । उनके कार्यकारी पूँजी को अतिरिक्त सहायता मिलने केलिए प्रोजक्ट रिपोर्ट का संशोधन किया । तकनीकी कर्मचारियों के चुनाव में भी उनकी सहायता की ।

4. कासरकोड लाटक्स फाक्टरी

इस साल इसका भी कमीशन किया था । विद्युत कार्य पूरा किया था । और कर्मचारियों की नियुक्ति में उनकी सहायता की थी ।

5. केरल राज्य फार्मिंग कोरपरेशन का फाक्टरी

सिविल कार्यों के रूपरेखा केलिए कंपनी को सलाह दी । विद्युत कार्य के लिये योजना दी गयी । कार्य की प्रगति का अनुमान करने केलिये

कार्य क्षेत्र में सामयिक निरीक्षण चलाया था ।

6. तिरुवल्ला सोसैटी के अधीन लाटक्स सेन्ट्रीफ्यूजिंग फाक्टरी

फाक्टरी मकान के सिविलकार्य चल रहा है । विद्युत कार्य के लिये निविदा अभिलेखाओं को तैयार किया और दे दिया ।

7. पेरियार लाटक्स फाक्टरी

यह फाक्टरी भी इस साल कमीशन किया । विजलीकरण एवं सिविलकार्य के आन्तिम जाँच भी की गयी । इस फाक्टरी के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति में सहायता दी थी ।

8. श्रीकण्ठपुरम लाटक्स फाक्टरी

श्रीकण्ठपुरम लाटक्स फाक्टरी को पेल लाटक्स क्रीप उत्पादन के लिये एक यूनिट के तौर पर परिवर्तन करने का निर्णय लिया । इस पर आधारित संशोधित योजना रिपोर्ट तैयार किया ।

9. पोन्मुडी रबड़ फाक्टरी

सिविल निर्माण के लिये टेंडर अभिलेखाओं को तैयार किया और फाक्टरी मकान के निर्माण के लिये टेंडर बुलाये गये ।

10. कवनार लाटक्स फाक्टरी

फाक्टरी मकान केलिये सिविल टेंडर बुलाये गये और एक ठेकेदार को वर्क दिया । कार्य अन्तिम अवस्था में हुए । श्रीकण्ठपुरम लाटक्स फाक्टरी केलिये प्राप्त यंत्रों को यहाँ परिवर्तित किया ।

11. त्रिपुरा में टी एफ डी पी सी का फाक्टरी

क्रीपेर्स के इरक्शन और ट्रयल के लिये प्रबंध किया गया ।

12. पाला रबड़ विपणन संघ

बहिस्त्राव उपचार मशीन में आवश्यक एयिरेटर का विवरण तैयार किया और दे दिया ।

13. मीनचिल रबड़ विपणन संघ

लाटक्स सेन्ट्रीफ्यूजिंग यूनिट में विनिर्मित सेनक्स के लिये एक स्टोरेज टेंक के निर्माण में एस्टिमेट तैयार किया ।

14. सेन्ट्रफ्यूजिंग मशीनों की तुलना

दो प्रसंस्करण यूनिटों में संस्थापित वेस्ट फालिया मशीन के कार्यों की तुलना "अल्फा लावल" से की । यह निरीक्षित किया कि दोनों तुलनीय है । एक स्थानीय उद्यमकर्ता से निर्मित फिरसिड सेन्ट्रीफ्यूजड मशीन का भी मूल्यांकन किया । इसके लगातार और दीर्घकालीन कार्य के लिये और भी परीक्षण चलाना है ।

2. गुण नियंत्रण प्रभाग

क्रंब रबड़ फाक्टरियों एवं सांद्रीकृत लाटक्स निम ताओं को अपने उपजों के गुण नियंत्रण एवं एकीकरण के लिये केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान की जाती है । इसमें 42070 पारामीटर केलिये नमूनों का विश्लेषण किया । निरीक्षण एवं परीक्षा केलिये ऐ. एस. ऐ योजना के अधीन परीक्षण शुल्क के तौर पर 465,650/- रू. का संग्रह किया था । भारतीय मानकीकरण ब्यूरो को मार्किंग शुल्क के शेयर के तौर 345,943/- रू. का प्रतिदान किया था । कुल रेवन्यू रकम 8,11,593/-रू. था । आर आर ऐ एम द्वारा संगाठित "अंतराष्ट्रीय" रौंड रोबिन क्रोस चेक योजना" में भाग लिया था ।

3. फाक्टरी प्रबंधन प्रभाग

पयलट क्रंब रबड़ फाक्टरी द्वारा 354.17 टण क्रंब रबड़ का प्रसंस्करण किया था । ऐ एस एन आर 50 के उत्पादन में गत साल की तुलना में गणनीय कमी थी ।

4. पयलट लाटेक्स प्रसंस्करण केन्द्र

इस केन्द्र में सांद्रीकृत लाटेक्स का 178.46 टण का उत्पादन किया था, जो गत साल में 214 टण था । सान्द्रीकृत लाटेक्स के निम्न ओफटेक के कारण फाक्टरी की पूरी क्षमता का उपयोग संभव नहीं था । इस साल सांद्रीकृत लाटेक्स के विपणन में एक सामान्य मंदी दिखाई पड़ी । अतः प्लान्ट में फीलड लाटेक्स एवं सेनक्स का गणनीय परिमाण का अकूलमेलट हो गया ।

5. तकनीकी परामर्शिता प्रभाग

रबड़ उत्पादकों, प्रसंस्कृतकताओं और रबड माल विनिर्माताओं को सहायता दी थी । प्रमुख कार्य ये हैं:-

क॰ रबड़ प्रसंस्करण फाक्टरियों की स्थापना केलिए 19 प्रोजक्ट रिपोर्ट और रबड़ माल विनिर्माण यूनिटों की स्थापना केलिए आठ प्रोजक्ट रिपोर्ट तैयार किये थे ।

ख॰ 30 उपजों केलिये विकास कार्य ले लिया । आठ उपजों के विनिर्माण केलिए जानकारी का स्थानांतरण किया । फ्लूरो कारबन गासकेट के विकास में एफ ए सी टी के फ्लोलाक्स प्लान्ट का विकास कार्य इस साल का प्रमुख कार्य था ।

ग॰ 250 लघु पैमाने के उद्योगों से स्वीकृत रसायन एवं रबड़ उपजों की जाँच की और रिपोर्ट दी गयी ।

घ॰ मद्रास रिफाइनरी केलिए हाइड्रो-कारबन सोलवन्टस का विपणन सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया ।

ङ॰ रेडियेशन वलकनैसेशन प्लान्ट

इस प्लान्ट का सिविल निर्माण कार्य पूरा किया । यांत्रिक विद्युत एवं नियंत्रित उपकरणों का संस्थापन किया । प्लान्ट के "सोर्स लोडिंग" अनुमोदन "ए इ आर बी" द्वारा किया गया । आगामी वित्त वर्ष के आरंभ में कमीशनिंग केलिए प्लान्ट सक्षम है ।

परामर्शिता के विभिन्न मदों केलिए 4,77,243/- रु. का संग्रह किया था ।

6. <u>अर्थ एवं वित्त प्रभाग</u>

लाटेक्स संग्रह केन्द्रों के संचालन केलिए रबड़ उत्पादक संघों को उपकरणों के वितरण के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन में भी लग गया था । प्रमुख कार्य ये हैं:-

1॰ लाटेक्स संग्रह केन्द्रों की स्थापना केलिए 163 रबड़ उत्पादक संघों को सहायता दी । उपकरणों का वितरण:-

एयर ओवन - 163 नं.
केमिकल बालन्स- 159 नं.
प्लाटफोम बालन्स - 55 नं.

2) स्क्राप संग्रह केन्द्रों की स्थापना केलिए 48 रबड़ उत्पादन संघों की सहायता की ।

3) क) धूम घरों केलिए अनुदान के तौर पर 1,63,659/- रू. का वितरण किया ।

ख) रबड़ विपणन सहकारिता संघों एवं रबड़ उत्पादन संघों द्वारा स्थापित प्रसंस्करण फाक्टरियों द्वारा जनरेटर खरीदने केलिए 14 लाख रू. का अनुदान दिया ।

ग) मीनच्चिल रबड़ कुल प्रसंस्करण फाक्टरी को शेयर पूँजी अंशदान के तौर पर 14 लाख रू. का वितरण किया था ।

विविध योजनाओं के अधीन इस साल अनुदानों की वापसी के तौर निम्न प्रकार से रकम मिले थे :-

कार्यकारी पूँजी के तौर पर स्वीकृत रकम	-	रू. 2,89,124.07
प्राप्त सूद	-	82,930.60
प्राप्त पीनल सूद	-	153.61
प्राप्त रकम - वापसी:		
शेयर पूँजी अंशदान	-	6,61,000.00
लाभांश के तौर पर प्राप्त रकम	-	24,800.00

एम. एल. के/8. 10. 92

विपणन प्रभाग

रबड का विपणन

प्राकृतिक रबड जैसे प्रमुख औद्योगिक कमोडिटी में स्वयं पर्याप्तता की प्राप्ति की उत्पादन में सुधार केलिए प्रतिफलात्मक मूल्य प्रमुख घटक है। कमोडिटी, खासकर छोटे बागन क्षेत्र में उत्पादित रबड के विपणन की सुधार केलिए बोर्ड द्वारा कई कार्रवाई ली जा रही है। दैनिक मार्केट क्वटेशन इसमें प्रमुख है।

कोट्टयम एवं कोच्ची विपणी आर एस ए 4 और अवर्गीकृत रबड का दैनिक मूल्य संग्रह किया जाता है और वाणिज्य मंत्रालय को हर दिन सूचना दी जाती है। अखबारों में प्रकाशन केलिये दिया जाता है। आर एस ए 1 से 5 तक का साप्ताहिक औसत मूल्य संग्रह किया जाता है। प्रकाशन के लिये प्रेस में भी दिया जाता है। इस प्रकार स्क्राप रबड का मूल्य और सेन्ट्रीफ्यूजड लाटक्स का साप्ताहिक एवं मासिक औसत मूल्य का संग्रह करके प्रकाशित किया जाता है। 1991-92 में रबड के विभिन्न वर्गों के लिये विपणन मूल्य का औसत निम्न प्रकार का है।

वर्ग	कोट्टयम नगर के औसत मूल्य		अंतर
	एप्रिल 1990 से मार्च 1991 तक	एप्रिल 1991 से मार्च 1992 तक	
आर एस ए-1	2276	2285	+ 9
आर एस ए-2	2225	2235	+ 10
आर एस ए-3	2182	2179	+ 3
आर एस ए-4	2129	2141	+ 12
आर एस ए-5	2046	2081	+ 35
अनग्रेडड	2023	1975	- 48
इ बी सी 2एक्स	1934	1741	-193
सेन लाटक्स (60%)	4210	3688	-522
स्क्राप रबड			
वेट स्क्राप (60% डी आर सी)	1011	918	-93
ड्रै स्क्राप 85% डी आर सी/ऊपर	1431	1305	-126

छोटे उत्पादक सदस्य उत्पादकों के फसल के उत्पादन में रबड उत्पादन संघ और रबड प्रसंस्करण कंपनियों और रबड व्यापार कंपनियों के अपक्व निकायों ने सहायता की थी। पम्पी रबड लिमिटड, पेरियार लाटक्स लिमिटड, एस आर एस क्रंब रबड फाक्टरी मूवाट्टुपुषा, इन्डियार क्रंब रबड फाक्टरी पाला, और मैको लिमिटड कुरविलंगाड आदि ऐसे प्रसंस्करण कंपनि थे। व्यापार कंपनियों में प्रमुख कांजगाड रबेर्स लिमिटड कुंजाली करक्कार रबेर्स लिमिटड और भारतपुषा

रबड लिमिटड आदि थे ।

प्रैस सपोर्ट ओपरेशन

1991 अक्टूबर से जनवरी तक सबसे अधिक रबड उत्पादन के समय पर प्राकृतिक रबड का उत्पादन उपभोग से भी अधिक था । विपणी में मूल्य के पतन में यह कारण हो गया । इस उतार को रोकने केलिये बोर्ड ने कई कार्रवाई की । वाणिज्य मंत्रालय के ध्यान में मूल्य निर्णय की स्थिति आ गयी । उचित मूल्य पर रबड के आभ्यंतर प्राप्ति का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा । सरकार ने इसका अनुमोदन किया और राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड के आभ्यंतर प्राप्ति का आदेश दिया । 1991 अक्टूबर से 92 मार्च तक उनके क्रय का विवरण ऐसा है ।

आर एम ए 4	8816 मे. ट
आर एम ए 5	7169 मे. ट
	15985 मे. ट

इसके अतिरिक्त केरल सरकार न्याय मूल्य पर अवर्गीकृत रबड को लेने के लिये केरल राज्य रबड विपणन संघ की सहायता की फडरेशन ने 4100 टण खरीदा । ये कार्रवाइयाँ रबड विपणी में उतरे मूल्य को रोकने में ही नहीं बल्कि आर एम ए 4 का प्रति कि. ग्राम केलिए 21 रूपए और अवर्गीकृत रबड का 20 रूपए क्रमशः 1992 मार्च के अन्त में 23. 50 और 22. 50 होकर बढाने में सहायक बन गयी । विपणी में अधिक रबड को रिलीस करने के प्रयत्न के तौर पर निर्यात की ज़रूरत सरकार के सामने रख लिया । सरकार ने प्राकृतिक रबड के निर्यात का नियंत्रण छोड दिया 1991-92 में 14000 टण रबड के निर्यात के लिये अनुमति दी । राज्य व्यापार निगम द्वारा 1000 टण के निर्यात का ठेका लिया । लेकिन, इस काल में 5834 टण ही देश से बाहर निकाला था । भारत सरकार ने कच्चे रबड के निर्यात का मोनिटर करने बोर्ड से माँगा विभिन्न स्त्रोतों से संबंधित सूचना का संग्रह किया और निर्यातकों को अनुदेश देते हुए एक कागज़ तैयार किया और पूर्ती की । एक प्रमुख बागन कंपनी के यू के में 18400 कि. ग्राम सेन्ट्रीफ्यूजड लाटक्स के निर्यातक के लिये सीलिंग स्लिप दिया।

भारत सरकार प्राकृतिक रबड के देशी और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के फर्क को देते हुए रबड माल के निर्यात में सहायता देती है । इस प्रकार 91 एप्रिल से 92 एप्रिल तक के काल में रबड माल निर्यातकों को लागू अनुदान का हिसाब लिया और वाणिज्य मंत्रालय, स्पोर्टस माल निर्यात संवर्धन परिषद और आयात निर्यात नियंत्रक के विविध कार्यालयों को भेज दिया ।

छोटे बागनों में उत्पादित रबड के गुण बढाने के लिये रबड उत्पादन संघों के प्रतिनिधियों का षीट रबड प्रसंस्करण वर्गीकरण डी आर सी निर्धारण, क्षेत्रीय लाटेक्स का मोनिटरन और क्षेत्रीय लाटक्स के प्रसंस्करण से संबंधित विविध पहलुओं पर प्रशिक्षण का प्रबंध किया था। इस प्रशिक्षण योजना में 19 संघों ने भाग लिया जिनके 41 संग्रह अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया था।

1991 नवंबर में त्रिपुरा में षीट प्रसंस्करण का एक काम्पैयन चलाया था। त्रिपुरा वन विभाग के निरीक्षण कर्मचारी और टापेर्स ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया था। षीट रबड प्रसंस्करण में भी छोटे कृषकों के बीच प्रसंस्करण काम्पैयन चलाया था।

एस. एस. के. 6. 10. 92

भाग 6 – प्रशासन

बोर्ड एवं उसकी उपसमितियों का संगठन/पुनर्संगठन, स्थापनाओं की रख रखाव, उपग्रह का संग्रह, अनुज्ञापत्र एवं विपणन आसूचना, सांख्यिकियों का संग्रह, बोर्ड की योजनाओं एवं कार्यकलापों का प्रचार, श्रमिक कल्याण हितों का कार्यान्वयन, कानूनी एवं सतर्कता कार्य, राजभाषा कार्यान्वयन और श्रमिकहितों का निर्वहण प्रशासन विभाग के प्रमुख कार्य होते हैं ।

निम्न लिखित अनुभागों/प्रभागों/कार्यालयों द्वारा उक्त कार्यों का संचालन किया जाता है:-

1. स्थापना (सामान्य प्रशासन एवं बोर्ड सचिवालय कार्मिक प्रशासन एवं हक)
2. उत्पादन शुल्क
3. विपणन आसूचना
4. अनुज्ञापत्र
5. सांख्यिकी एवं योजना
6. प्रचार
7. श्रमिकहित
8. आंतरिक लेखा परीक्षा
9. कानूनी
10. सतर्कता
11. राजभाषा कार्यान्वयन और
12. उपकार्यालय एवं संपर्क कार्यालय

1.1 सामान्य प्रशासन/कर्मचारी कल्याण/श्रमिकहित

1990-91 साल के लिए बोर्ड के कार्यकलाप इस वार्षिक रिपोर्ट द्वारा अभिलेखित किया था जो रबड़ अधिनियम की धारा 8(3)(ग) के अधीन सरकार को प्रस्तुत किया था ।

इस साल 37 कर्मचारियों को उनके भवन निर्माण के लिये 23,09,529 रु. और 87 कर्मचारियों को वाहन पेशगि के तौर पर 5,12,540/- रु. पेशगी दी थी । इसके अतिरिक्त 29 कर्मचारियों को भवन निर्माण पेशगी के तौर पर एच.डी.एफ.सी से लेकर लिये थे । कार्यालय मकान एवं कर्मचारी निवास घरों का संरक्षण चलाया था इन में जलपूर्ति/विद्युत सुविधायें कर दी । बोर्ड एवं उसकी पार्टियों के साथ वार्ता विनिमय सुविधाओं केलिए डाक/तार/दूरभाष/टेलक्स/एवं कंप्यूटर की सेवाओं का प्रबंध किया था ।

1.2. कार्मिक प्रशासन

अनुमोदित भरती नियमों एवं अनुसूचित जाति/जन जाति समुदायों से

आरक्षित पदों से संबंधित सांविधिक नियमों का पालन सुदृढ करते हुए बोर्ड के सुगम संचालन केलिए रिक्त पदों में योग्य व्यक्तियों की चुनाव की थी ।उम्मीद-वारों की होशियारी/गुण का मूल्यांकन द्वारा कर्मचारियों की चुनाव के लिये चुनाव समिति/विभागीय पदोन्नती समिति का संगठन किया था । चुने हुए कर्मचारियों पर सामयिक विवरणियों सरकार एवं रोज़गार कार्यालय को भेजा था । सेवा पुस्तिकायें, छुट्टी खाते एवं वैयक्तिक फाइल की रख रखाव की थी । स्वयं सेवा निवृत्ति किये दस लोगों को मिलाकर 13 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ दिये थे ।

31. 3. 1992 में बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 1985 थी, जिनका विवरण ऐसा है:-

विभाग का नाम	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	समेकित वेतन पर	योग
प्रशासन विभाग	24	67	165	16	0	272
रबड उत्पादन विभाग	75	330	715	71	1	1192
अनुसंधान विभाग	53	115	194	35	0	397
प्रसंस्करण एवं उत्पाद विकास विभाग	17	28	36	4	0	85
वित्त एवं लेखा	4	11	23	1	0	39
कुल योग	173	551	1133	127	1	1985

2. उत्पादन शुल्क :- रबड अधिनियम 1947 के अधीन रबड के अर्जन केलिए विनिर्माताओं अनुज्ञापत्र देना और उत्पादनशुल्क का निर्धारण एवं संग्रह इसके प्रमुख कार्य होते हैं ।

क) 1991-92 केलिए अनुज्ञापत्र का वितरण

प्रत्याशित विनिर्मित यूनिटों को अनुज्ञापत्र की जारी और वर्तमान विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्रण का नवीकरण इसमें मिला हैं ।

1991-92 में दिये अनुज्ञापत्रों का विवरण ऐसा है ।

क) नया अनुज्ञापत्र -- 540
ख) नवीकृत अनुज्ञापत्र -- 797
1337
====

1990-91 में 3902 विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्र 1991-92 के लिये का नवीकरण किया था । और 20 नये अनुज्ञापत्र दिये थे । इस प्रकार 1991-92 केलिए कुल अनुज्ञापत्रों की संख्या 5259 (3922+1337) थी । इनमें से 5 विनिर्माताओं का अनुज्ञापत्र अपने व्यापार अनियमिता एवं दुराचार के कारण निलंबित किये थे । 5 यूनिटों का अनुज्ञापत्र उनकी मांग पर रद्द किया । अतः 31. 3. 92 के अन्त में कुल विनिर्माताओं की संख्या 5249 थी अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं का राज्यवार विवरण ऐसा है ।

क्र.सं. नं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	यूनिटों की संख्या
1.	केरल	893
2.	महाराष्ट्रा	581
3.	पंजाब	543
4.	तमिलनाडु	524
5.	उत्तर प्रदेश	502
6.	वेस्ट बंगाल	501
7.	दिल्ली	366
8.	गुजरात	337
9.	हरियाना	262
10.	कर्नाटका	237
11.	आंध्र प्रदेश	192
12.	मध्य प्रदेश	81
13.	राजस्थान	73
14.	बीहार	45
15.	चंडीगाड़	26
16.	गोआ दामन दियु	23
17.	पोंडिचेरी	21
18.	ओरीसा	18
19.	हिमाचल प्रदेश	9
20.	आसाम	5
21.	जम्मु एवं काश्मीर	4
22.	त्रिपुरा	4
23.	सिक्किम	1
24.	मणीपुर	1
		5249

ख) 1992-93 साल केलिए अनुज्ञापत्र

1992-93 केलिये उसके पहले ही 3,660 अनुज्ञापत्र (नये विनिर्माण यूनिटों को 38 और नवीकरण द्वारा वर्तमान यूनिटों का 3262 दिये थे)

2. प्राधिकरण का पंजीकरण

विनिर्माताओं को अनुज्ञापत्र देने की अतिरिक्त व्यापारियों केलिये रबड़ खरीदने एवं भेजने में 1206 विनिर्माता प्राधिकरण पत्रों का पंजीकरण किया था ।

3. शाखा/क्रय केन्द्र का पंजीकरण

विनिर्माताओं से प्राप्त आवेदन के आधार पर 6 नये शाखाओं/क्रय केन्द्रों का पंजीकरण किया था ।

4. रबड़ खरीदने केलिए प्राधिकरण पत्र

नियमित अनुज्ञापत्रों की जारी के अतिरिक्त परीक्षणात्मक उद्देश्य के

लिये रबड खरीदने को संगठनों/संस्थाओं को उपकर की जमा के बाद दस विशेष प्राधिकरण दिये थे ।

आ. रबड उत्पादन शुल्क/उपकर का निर्धारण

1991-92 आर्थिक वर्ष में विविध रबड माल विनिर्माताओं एवं सोल क्रीप उत्पादकों से 9163 अर्ध वार्षिक विवरणियाँ मिली थी । बोर्ड के संपर्क अधिकारियों और अन्य निरीक्षण अधिकारियों से विनिर्माताओं के बही खाते के निरीक्षण पर 1325वैयक्तिक रिपोर्ट भी मिली थी । इनकी जाँच की विनिर्माताओं एवं व्यापारियों के मासिक विवरणियों और विपणन आसूचना अनुभाग की रिपोर्टों से इन का क्रोस चेक किया था । 154 मामलों में विसंगतियाँ पायी गयी और 687,648 कि.ग्राम परिमाण पर 3,43,824/-रु. का अतिरिक्त निर्धारण किया था ।

ग. रबड उत्पादन शुल्क (उपकर) का संग्रह

1991-92 साल के लिये उपकर संग्रह का नियत टार्जेट 16.50 करोड रु. था । इसके विरुद्ध वास्तविक संग्रह 16.82 करोड रु. था । भारत की समेकित निधि में इसकी जमा की थी ।

घ. विविध

इस रिपोर्ट साल में अनुज्ञापत्र शुल्क एवं सर्वीस चार्ज के तौर पर 10,50,404/- रु. का संग्रह किया था । पत्र विवरणियाँ, बैंक ड्राफ्ट, आवेदन आदि को मिलाकर 47666 सूचनायें मिली थी, 55,140 सूचनायें भेजी गयी ।

ड. विपणन आसूचना

3.1. झूठे/अनुज्ञापत्रहीन रबड व्यापार का पता लगाना, व्यापारियों के व्यापार केन्द्रों में उनके बही खातों के सत्यांकन केलिए आकस्मिक जाँच तथा व्यापारियों/विनिर्माताओं से प्राप्त रबड के परिमाण की सत्यता का निर्णय करने केलिये उनके द्वारा प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों और प्रत्यक्ष स्टोक का सत्यांकन इस अनुभाग के प्रमुख कार्य थे । रबड के व्यापार में अनुज्ञापत्र देने केलिये उनके व्यापार केन्द्रों एवं आवेदकों की योग्यता के निर्णय करने, व्यापारियों की शाखाओं का पंजीकरण और नये अतिरिक्त केन्द्रों का अनुमोदन करने केलिये निरीक्षण चलाये थे ।

3.2 निरीक्षण एवं सत्यांकन

इस साल 3004 निरीक्षण चलाये थे जिसका विवरण ऐसा है :-

क) व्यापारी अनुज्ञापत्रों की जारी से संबंधित निरीक्षणों की संख्या	: 826
ख) व्यापारियों के व्यापार केन्द्रों के परिवर्तन एवं उनकी शाखायें/गोदाम के पंजीकरण से संबंधित निरीक्षणों की संख्या	: 314
ग) अनुज्ञापत्रित व्यापारियों/प्रसंस्कृत कर्ताओं के बही खाते एवं अभिलेखाओं के सत्यांकन के लिए आकस्मिक जाँचों की संख्या	:1273

ङ. कार्यालय में व्यापारियों एवं प्रसंस्कृतकर्ताओं की लेखाओं एवं अभिलेखाओं का सत्यांकन : 165

च. रवड के अनुज्ञापत्रहीन व्यापार का पता लगाना : 61

छ. अनुज्ञापत्र की जारी, अभिकर्ता पंजीकरण आदि के संबंध में गोपनीय जाँच : 300

ज. लाटेक्स की प्राप्ति एवं अमोनियेशन के बाद बेचने केलिए प्राधिकरण देने में निरीक्षण : 64

3. 3. अनियमित व्यापार का पता लगाना

झूठे व्यापार को बंद करने एवं झूठे व्यापारियों के पता लगाने के लिये प्रपत्र "एन" घोषणा पत्र की प्राप्ति एवं संबंधित विवरणियों से उनकी जाँच की जाती थी । इसके फलस्वरूप कुछ संदेहपूर्ण व्यापारों का पता लगाया । अतः कुछ विनिर्माताओं एवं व्यापारियों द्वारा झूठे व्यापार का सामयिक निरोध कर सका, जिससे सरकार के आय में हानि रोक सकी । अनियमिताओं एवं दुराचारों के आधार पर ।। व्यापारियों एवं तीन विनिर्माताओं का अनुज्ञापत्र निलंबित किये गये ।

वालयार चेकपोस्ट में धान के बहाने परिवहित किये ।।. 5 टण कच्चे रबड हवालत में रख लिया । वालयार पुलीस उपनिरीक्षक के साथ एक मुकदमा फाइल किया । जिसका क्रम संख्या 32/92 थी । लोरी और रबड कब्जे में लेकर 14. 3. 92 पर पालक्काड के अतिरिक्त न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया । जमानत के बल पर लोरी और रबड का रिलीस किया । मुकदमा अब जाँच पर है । इसके अतिरिक्त कृत्रिम नामों पर मुलंत्तुरुत्ति से कलकत्ता ओर रेल द्वारा भेजे गये 5100 कि. ग्राम रबड का पता लगाया और हाउडा रेल स्टेशन पर इस को हवालतम रख लिया । कुछ व्यापारियों द्वारा अमोणियेटड लाटेक्स के नाम पर क्रीमड एवं सेन्ट्रीफ्यूजड लाटक्स के परिवहन की सूचना मिली और ऐसे मामलों पर प्रयोगशाला परीक्षण चलाने की कार्रवाई ले ली ।

1991 दिसंबर में उप आयुक्त (बिक्रीकर) मधुरा और उप आयुक्त (खुफिया) तिरुनलवेली के साथ केरल और तमिलनाडु से रबड के झूठे परिवहन को रोकने के संबंध में एक सम्मेलन में विचार किया ।

तीन चेकपोस्टों पर अपूर्ण घोषणा पत्रों एवं गलत अभिलेखाओं के साथ पहुँचे 47 परेषणों में रबड कते हवालत में रख लिया । और बाद में सही लेखाओं के प्राप्त होने पर छोड दिया । पाँच परेषणों में देय उपकर को जमा करने के बाद रबड का रिलीस किया दूसरे ऐ मामले में परेषक द्वारा दूसरे नाम पर क्रीमड लाटक्स को भेजने का कार्य किया तो लाटेक्स के मूल्य का पूरा रकम चुकाने के बाद रिलीस किया ।

3. 4 विवरणियों/प्रपत्र एन घोषणापत्रों का क्रोस चेकिंग 89 व्यापारियों और 8 विनिर्माताओं के मासिक विवरणियों का क्रोस चेकिंग उनके पूर्तिकारों/खरीददारों की लेखाओं के साथ चलाया था । इसके फलस्वरूप बिना खाते के व्यापारों का पता लगाया और उनसे उपकर वसूल करने की कार्रवाई ली । ऐसे लोगों से 50 2310/- रु. का वसूल किया ।

PT grtryvfrrr >r

3.5 रबड के अन्तर्प्रान्तीय परिवहन के लिये घोषणापत्रों की पूर्ती

बागन प्रसंस्कृत कर्ता, व्यापारियों और विनिर्माताओं को दिये 2253 प्रपत्र "एन"पुस्तिकाओं और प्रपत्र "एन" के 55,993 प्रतिलिपियों की जाँच की । विसंगतियों पाये जाने पर स्पष्टीकरण माँगा था ।

इस साल दैनिक विवरणियों के आधार पर वालयार, कावलकिनर और मंजेश्वरम के चेकपोस्टों द्वारा रबड के 36,883 परेषणों का परिवहन किया था । सन्देहप्रद मामलों में विवरणियों का संबंधित विवरणियों के साथ प्रति सत्यांकन किया था । चेकपोस्ट वार विवरण ऐसा है:-

चेकपोस्ट का नाम	परेषण की संख्या
वालयार, पालक्काड जिला	27,906
मंजेश्वरम कासरकोड जिला	4,807
कावल किनर, तिरूवनन्वेली जिला	4,170
योग	36883

4 रबड व्यापारियों का अनुज्ञापत्रण

रबड नियम 1955 के 39 और 39(क) में रबड व्यापारियों एवं प्रसंस्कृत कर्ताओं के अनुज्ञापत्र का विवरण है । अनुज्ञापत्रण के अतिरिक्त रबड व्यापारियों की शाखाओं कीपंजीकरण, अभिकर्ताओं का पंजीकरण, अनुज्ञापत्रित केन्द्र एवं उनके ट्रेड नाम के परिवर्तन का अनुमोदन संस्था के पुनर्संगठन का अनुमोदन रबड के अन्तप्रान्तीय परिवहन केलिये "न" घोषणा प्रपत्रों की पूर्ती आदि कार्य किये है, जिसके फलस्वरूप, देश के उत्पादित सारे रबड की जानकारी मिल सकें ।

1991-92 के आरंभ में रबड व्यापारियों की संख्या 7280 थी । जो अन्त में 7365 हो गये । इसी प्रकार प्रसंस्कृत कर्ताओं की संख्या 127 से 142 होकर बढ गयी ।

क. व्यापारी अनुज्ञापत्र

इस साल 825 नये अनुज्ञापत्र के मिलाकर 2,027 व्यापारी अनुज्ञापत्र दिये थे । इन में 1862 अनुज्ञापत्र 31.3.1992 तक एक वर्षीय मूल्यवान थे(818 नये अनुज्ञापत्र और 1044 नवीकृत मामले) । 52 अनुज्ञापत्र 31.3.93 तक दो वर्षीय मूल्यवान थे । (2 नये और 50 नवीकृत) और 113 अनुज्ञापत्र 31.3.94 तक तीन वर्षीय मूल्यवान थे । (5 नये और 108 नवीकृत) 1991-92 में 11 अल्पकालीन अनुज्ञापत्र भी थे ।

इसके अतिरिक्त 92 जनवरी - मार्च काल में 1.4.92 से प्रभावी मूल्यवान 3542 अनुज्ञापत्र भी नवीकृत किये थे । इनमें 92-93 के लिए 1641, 92-94 के लिये 239 और 92-95 केलिये 1662 थे । रबड व्यापारियों का राज्यवार विवरण नीचे दिया जाता है ।

1992-93 केलिए अनुज्ञापत्रित व्यापारियों और प्रसंस्कृत कर्ताओं का राज्यवार विवरण

क्रम.	राज्य का नाम	व्यापारियों की संख्या	प्रसंस्कृत कर्ताओं की संख्या
1.	केरल	6497	122
2.	तमिलनाडु	177	13
3.	दिल्ली	165	–
4.	पंजाब	129	–
5.	वेस्ट बंगाल	92	–
6.	महाराष्ट्रा	74	–
7.	उत्तर प्रदेश	63	–
8.	कर्नाटका	56	6
9.	हरियाना	37	–
10.	गुजरात	21	–
11.	त्रिपुरा	13	1
12.	आंडमानस	5	–
13.	चंगीगार	7	–
14.	बीहार	3	–
15.	आसाम	6	–
16.	मध्य प्रदेश	8	–
17.	राजस्तान	5	–
18.	जम्मु एवं काश्मीर	1	–
19.	ओरीसा	1	–
20.	आंध्र प्रदेश	2	–
21.	मणिपुर	3	–
	योग	7365	142

ख. व्यापारी अनुज्ञापत्रों का निलंबन/प्रतिसंहरण

इस साल अनियमिताओं के पता लग जाने पर 18 अनुज्ञापत्रों का निलंबन किया था। रबड अधिनियम एवं रबड नियमावली की शर्तों में उल्लंघन किये जाने पर दो अनुज्ञापत्रों का प्रतिसंहरण किया था। एक अनुज्ञापत्र के निलंबन का आदेश बाद में संतोष जनक समाधान पाये जाने पर रद्द किया गया। अनुज्ञापत्रधारी की मृत्यु और माँग के आधार पर 70 अनुज्ञापत्र रद्द किये गये।

ग. प्रसंस्कृतकर्ता अनुज्ञापत्र

इस साल 26 प्रसंस्कृत कर्ता अनुज्ञापत्र दिये थे। इनमें 14 मामले नये थे। इसके अतिरिक्त 1.4.92 से प्रभावी मूल्यता के साथ 17 अनुज्ञापत्र नवीकृत किये। इनमें आठ अनुज्ञापत्र 92-93 केलिये थे। एक 92-95 केलिये, एक 92-94 के लिये और साथ 92-97 के लिये थे।

31.3.1992 में देश-भर के 142 अनुज्ञापत्रित रबड प्रसंस्कृतकर्ता थे ।

घ. शाखाओं का पंजीकरण

इस साल व्यापारियों एवं प्रसंस्कृत कर्ताओं का 482 शाखाओं का पंजीकरण किया था । पहले 98 शाखाओं का पंजीकरण हो चुका था । ग्यारह शाखाओं का पंजीकरण रद्द किये गये थे । 1990-91 में पंजीकृत यूनिटों को मिलाकर 31.3.91 में व्यापारियों एवं प्रसंस्कृतकर्ताओं के 580 पंजीकृत शाखायें थी । 1992-93/92-95 के लिए 215 शाखाओं का भी पंजीकरण किया ।

ङ. अभिकर्ताओं का पंजीकरण

व्यापारियों से प्राप्त प्राधिकरण पत्र के आधार पर रबड खरीदने केलिये 412 अभिकर्ताओं का पंजीकरण किया था । 1991-92 में पंजीकृत 108 अभिकर्ताओं को मिलाकर 31.3.92 में 520 पंजीकृत अभिकर्ता थे । 1992-93 के लिये 180 अभिकर्ताओं का भी पंजीकरण किया था ।

च. व्यापार केन्द्रों का परिवर्तन

व्यापारियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर व्यापार केन्द्र/गोदाम के 141 स्थानों का परिवर्तन अनुमोदित किया था ।

छ. संस्थानों के नियम में परिवर्तन

42 संस्थाओं के नियमों का परिवर्तन अनुमोदित किया था ।

ज. व्यापारियों से रबड उपकर कर संग्रह और बैंक गारंटी का जब्ती

रबड उपकर के तौर पर व्यापारियों से 294015 रूपए का संग्रह किया था और अनुज्ञापत्र की व्यवस्थाओं की उल्लंघन केलिये 80000 रूपए मूल्यवान बैंक गारंटी का जब्त किया था ।

झ. रबड के अन्तर्प्रान्तीय परिवहन से संबंधित "एन" प्रपत्र घोषणापत्र की प्राप्ति

रबड के अन्तर्प्रान्तीय परिवहन के लिये घोषणा प्रपत्र याने एन 1, एन 2, एन 3, एन 4 प्रपत्र विविध यानों व्यापारियों, प्रसंस्कृत कर्ताओं और विनिर्माताओं को पूर्ती की थी । उनका विवरण नीचा दिया जाता हैं:-

घोषणा पत्र का प्रकार	पूर्ती किये यूनिटों की संख्या	पुस्तकों की संख्या
एन 1	122	626 पुस्त
एन 2	1864	1596 बुक एवं 3
एन 3	24	26 बुक एवं 3
एन 4	2175	2948 बुक एवं 4
योग	4185	5198

5. सांख्यिकी एवं योजना

5.1. सांख्यिकी

रबड उत्पादकों, व्यापारियों, प्रसंस्कृतकर्ताओं और विनिर्माताओं से हर महीने सांविधिक मासिक विवरणियों का संग्रह किया और संकलन कर के विश्लेषण किया था। छोटे उत्पादकों से संबंधित क्षेत्रों के उत्पादन, स्टोक आदि में मासिक भेद का निर्णय करने के लिये क्षेत्रीय कर्मचारियों की सहायता से नमूने का अध्ययन किया था। विभिन्न स्त्रोतों से संग्रहित डाटा का कम्प्यूटीकरण किया और रबड के उत्पादन उपयोग, उपभोग, आयात और स्टोक की घटना की। इस रिपोर्ट के आठवीं भाग के संबंधित सारणियों में इसका विवरण किया है।

रबड की पूर्ती, माँग और मूल्य का विवरण सरकार की उचित सिफारिश केलिये प्रस्तुत किया था। देश में रबड की माँग एवं पूर्ती का पुनरीक्षण केलिये सांख्यिकी एवं आयात/निर्यात समिति की दो बैठकें हुई थी जिस के लिये सांख्यिकी डाटा और विश्लेषण दिये थे। "रबड सांख्यिकी समाचार" मासिक के प्रकाशन के लिये आवश्यक सांख्यिकी सूचनायें तैयार किये। इस प्रकाशन में प्राकृतिक कृत्रिम और सुधारित रबड का उत्पादन उपभोग, आयात और स्टोक का विवरण और प्राकृतिक रबड का मूल्य मिलता है। "इन्डियन रबड स्टास्टिटिक्स भाग 19 का प्रकाशन किया था। इस उद्देश्य के लिये इनहौस कम्प्यूटर सुविधाओं का उपयोग किया था।

रबड उद्योग से संबंधित विविध पहलुओं पर संसद प्रश्न और केरल विधान सभा प्रश्नों का उत्तर केलिये आवश्यक सामग्रियाँ तैयार किये थे। रबड पर एक गहन नोट तैयार कर के सरकार को भेज दिया था। भारत में रबड विकास योजना की तैयारी के विश्व बैंक को आवश्यक सांख्यिक सूचनायें प्रदान किये थे।

सेनसस रिपोर्ट का कम्प्यूटर प्रसंस्करण किया और डाटा पर आधारित सारणियों को तैयार किया था।

5.2 योजना

इन्डो-डच भारत योजना के अधीन रबड बोर्ड और इकनोमिक व सोष्यल इनस्टिट्यूट(इस एस ऐ) फ्री यूनिवेर्सिटी आमस्टरडाम मिलकर 1990-91 के अन्त में "एक" परिवर्तित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में भारतीय प्राकृतिक रबड उद्योग के लिये नीति रूपीकरण पर "योजना अध्ययन जारी किया था। रबड उद्योग से संबंधित विविध विवरणों का संग्रहित किया और इस एस ऐ को दे दिया। 1992 फरवरी - मार्च में इस एस ऐ के दो सदस्यों ने बोर्ड के संदर्शन किया और योजना पर विचार किया था। अध्ययन के विविध पहलुओं पर विचार प्रदान करने के लिये 1992 फरवरी 24 में रबड उत्पादकों एवं विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन का संगठन किया था। 1992 सितंबर में यह अध्ययन पूरा किया जायगा।

1992-93 के लिये वार्षिक योजना को तैयार किया और भारत सरकार को भेज दिया। रबड के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना का (92-93 से 96-97 तक) संशोधन किया और सरकार को भेज दिया। योजना प्रस्तावों पर

विचार के संबंध में सरकार को आवश्यक सूचनायें प्रदान की थी । इस के अतिरिक्त "रबड पर आत्मनिर्भरता पाने के लिये एक एकीकृत योजना को तैयार कर के सरकार को भेज दिया ।

5.3 विश्व संस्थाओं को सूचनाओं की पूर्ती

अन्तर्राष्ट्रीय रबड अध्ययन ग्रूप लण्डन और प्राकृतिक रबड उत्पादित राष्ट्र संघ कुलालंपुर जैसे विश्व संस्थाओं को सूचनाओं प्रदान की थी । अन्तर्राष्ट्रीय रबड अध्ययन संघ का 33वीं सम्मेलन 1991 नवंबर में कामरूप की राजधानी यौण्ड में हुआ था । भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया और भारत की राष्ट्रीय विवरणी को प्रस्तुत किया । 1990-91 और 92 में प्राकृतिक एवं कृत्रिम रबड के उत्पादन एवं उपभाग का अनुभव किया । सम्मेलन के साथ साथ एक विचार वेदी भी हुई थी । ए. एन. आर. पी. सी का पन्द्रहवीं सम्पेलन 1991 में पापुआ न्यूगनिया में हुआ था जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने भाग लिया ।

6. प्रकाशन एवं प्रचार

6.1 जर्नल्सएवं प्रकाशन

इस साल मलयालम मासिका रबड की मासिक प्रतियों की संख्या 12850 थी । ज़िन्द्री भर की सदस्यता देने की योजना जारी रखी । ऐसे 93 ग्राहकों ने सदस्यता ली थी । इस तरह के कुल 4068 सदस्य होते हैं । रबड बोर्ड बुल्लटिन के दो दल निकाले गये । 1991 में संगाठित "रबड प्रसंस्करण काम्पयन में" इससे संबंधित एक लाख प्रतियों का प्रकाशन किया था । रबड पौधाई के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तिकायें निकाली थी । इसके अतिरिक्त उडीसा में रबड पौधाई के विकास की 2000 प्रतियाँ, आसाम और अन्य उत्तरपूर्वी प्रदेशों में रबड कृषि के विकास की 5000 प्रतियाँ और मलयालम में रबड खाद के 5000 प्रतियाँ निकाली थी । "पित्तु मुतल विपणी वरे" और रबड एन्न कल्पधेनु" नामक प्रकाशनों की विक्री जारी रखी ।

रबड ग्रोवेर्स कम्पानियन 1992 की 6500 प्रतियाँ (3000 डीलक्स टाइप, विवरण के साथ 3700 और बिना विवरण के 2500) निकाली गयी । 1991 दिसंबर के अन्त में "रबड एवं इसकी पौधाई" की 1000 प्रतियाँ भी निकाली यधी ।

6.2 प्रेस रिलीस, फाम फीचर एवं विज्ञापन

राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में विविध विषयों प्रेस रिलीस किया था । कुल 81 प्रेस रिलीस एवं 36 विज्ञापन निकाले थे । मलयालम समाचा-पत्रों के कार्षिक संगम पृष्टों में फाम फीचर दिये थे ।

6.3 प्रदर्शनियाँ एवं संगोष्टियाँ

75 संगोष्टियों का संगाठन किया और एरणाकुलम में एक कार्षिक एवं औद्योगिक प्रदर्शनी में भाग लिया ।

6.4 अन्य कार्य

प्राकृषिक रबड के विकास केलिए सारे कार्यकलापों के प्रचार में वार्तविनिमय के सारे मार्गों का लाभ उठाया था । आकाशवाणी एवं दूर दर्शन

द्वारा रबड़ पौधाई के कार्षिक उपचारों का प्रदर्शन किया था । रबड़ एवं संबंधित सूचनाओं के रिलीस केलिए फार्म फीचर द्वारा समाचार पत्रों ने महत्व पूर्ण योग दिया था ।

7. श्रमिक कल्याण

7.1 रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8.2(घ) के अधीन कामगारों को वर्धित सुविधाओं एवं प्रोत्साहनों केलिए उत्तम कार्य व्यवस्थाओं का प्रबंध करना रबड़ बोर्ड का एक प्रमुख कार्य है । इसकेलिए 1991-92 में चार योजनाओं का कार्यान्वयन किया था जिसकेलिए 41,38,568.75/- खर्च किया था ।

क. शैक्षिक वृत्तिका योजना

इस योजना के अनुसार रबड़ बागनों के कामगारों के बच्चों को शैक्षिक वृत्तियाँ दी जाती है । कुल 9656 बच्चों को वृत्तिका दी जिसकेलिए 17,11,266.7 रुपए खर्च किये थे । सारे योग्य आवेदकों को वृत्तिक दी ।

ख. चिकित्सा योजना

इस योजना के अधीन कामगारों द्वारा दिये चिकित्सा खर्च का प्रतिदान किया जाता है । बागन श्रमिक अधिनियम 1951 की व्यवस्थाओं के अधीन सिर्फ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ही यह योजना लागू है । 218 योग्य आवेदनों का मिला था और 1,38,352/-रु. का सहायधन दिया था ।

ग. समूह बीमा एवं जमा योजना

इस योजना के अधीन खतरे द्वारा मृत्यु/घाव पर एस्टेटों में काम करने-वाले कामगारों को क्षतिपूरक की अदायगी दी जाती है, जो बागन श्रमिक अधिनियम 1951 के क्षेत्र में नहीं आते हैं । 1:2 अनुपात में कामगार एवं बोर्ड द्वारा बीमा प्रीमियम दी जाती है । इस साल 2907 कामगारों ने इस योजना से लाभ उठाया था । कामगारों केलिये बोर्ड के शयर के तौर पर 2,90,700/-रु. जमा किया था । 15 कामगारों ने 39,623/- रु. की क्षतिपूर्ती पायी थी ।

7.2. भवन निर्माण सहायधन योजना

एक प्लान स्कीम के तौर पर इस साल इसका कार्यान्वयन किया था । इस योजना के अनुसार हर कामगार को भवन निर्माण केलिए 5000/- रु. का अनुदान दिया जाता है । इस साल 407 लोगों को कुल 19,98,250/- रु. का अनुदान दिया था ।

8. आंतरिक लेखा परीक्षा

8.1 आंतरिक लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य इसकी जाँच करना है कि नियमानुसार कार्यकलापों का संचालन किया जाता है और निर्दिष्ट उद्देश्य केलिए ही सरकारी निधि का खर्च किया जाता है । इस साल 40 कार्यालयों में (नर्सरी एवं टापर्स विद्यालय को मिलाकर) निरीक्षण किया था ।

पेंशन, वेतन निधर्रिण, सेवा सत्यांकन आदि विविध विषयों पर नवीनतम सरकारी आदेश एवं नियमों का रफरनस करते हुए 174 फयलों/मामलों की जाँच की थी ।

8. 2 महालेखाकार, केरल द्वारा बोर्ड की 90-91 की लेखाओं पर लेखापरीक्षा 1991 मई-आगस्त में चलायी थी । इससे संबंधित जवाब महालेखाकार, केरल को 3/1/1992 में दिया था ।

1979-80 से 1989-90 तक के गत सालों केलिए महालेखकार के निरीक्षा रिपोर्ट में बकाये अनुच्छेदों को साफ करके भिजा था ।

8. 3. गाडी, इंधन उपयोग और इसकी मरम्मत पर खर्च कम कराने के लक्ष्य से गाडियों में इंधन उपयोग के मासिक विवरणियों की जाँच की थी । सामयिक पुनरीक्षण रिपोर्ट/विवरणियाँ तैयार करके प्रस्तुत किया था ।

8. 4 1991-92 साल केलिए वार्षिक स्टोक सत्यांकन और उपयोगहीन स्टोक के निपटान के संबंध में निदेश देते हुए 1992 फरवरी में एक कार्यालय परिपत्र जारी किया था ।

8. 5 निम्न लिखित मदों पर विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त विवरणी के आधार पर पुनरीक्षण रिपोर्ट तैयार किये थे :-

कार्यालय गाडियाँ
बकाये पेशगियाँ (याने यात्रा भत्ता, एल टी सी)
वार्षिक स्टोक सत्यांकन ।

8. 6 प्रशिक्षण योजना

1991 जून एवं जूलाई में कनिष्ठ सहायकों केलिए दो प्रशिक्षण वर्ग चलाये थे । (17-6-91 से 8-7-91 तक और 9-7-91 से 31-7-91 तक)

9. कानुनी कार्य

रबड अधिनियम एवं नियमावली के अधीन बोर्ड के कार्यकलापों का संचालन होता है । नियमों की व्याख्या, कानूनी अभिलेखाओं का प्रारूप, रबड अधिनियम, 1947 की व्यवस्थाओं का उल्लंघन हो जाने पर प्रोसिक्यूशन केलिए कार्रवाई लेना आदि कानूनी अनुभाग द्वारा किया जाता है । श्रमिक कार्यों में समझौते की कार्रवाई में मदद दी जाती है । मुकदमों में बोर्ड केलिए हाजिर होता है । बोर्ड के और विरुद्ध विविध अदालतों में 75 मुकदमे बकाये में है । बोर्ड के हित की रक्षा केलिए कार्रवाई ली जा रही है।

इस साल 550 फयलों की जाँच की और कानुनी मत दिये । रबड अधिनियम नियम, रबड बोर्ड कर्मचारी आचरण नियम, रबड बोर्ड, सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम में संशोधन का प्रारूप बनाया और मंत्रालय को भेजा ।

10. विजिलनस

10. 1. शिकायतें

इस साल वर्ग क और ख के के अधिकारियों एवं ग तथा घ के सात कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपण के 13 शिकायतों की जाँच/सत्यांकन किया था । एल टी सी का झूठा दरवा, कार्यालय अभिलेखाओं का टांपरिंग, झूठा जाति

नाम देकर रोज़गारी पाना, रोज़गारी के नाम पर प्रैवट पार्टियों से बड़ी रकम का संग्रह आदि प्रमुख आरोप थे । इन पर जाँच करके उचित कार्रवाई ली थी ।

10.2 मुकदमे

छे अधिकारियों के विरुद्ध गुरु दंड प्रक्रिया और एक अधिकारी के विरुद्ध लघु दंड प्रक्रिया ली थी । निरीक्षण केलिए कुल 12 अनुशासनिक मामले थे, जिनमें 9 का निपटान किया और 3 बकाये में था ।

11. हिन्दी कार्य

इस साल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें हुई थी । हिन्दी की प्रगतिशील उपयोग केलिए वार्षिक योजना तैयार की ।

15 प्रादेशिक कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालायें चलायी थी, जिनमें 400 कर्मचारियों ने भाग लिया था । 1991 सितंबर 14 से केन्द्रीय कार्यालय एवं 15 प्रादेशिक कार्यालयों में हिन्दी सप्ताह मनाया था । निबंध, भाषण, अनुवाद, पत्र लेखन, टिप्पण एवं आलेखन, प्रश्नोत्तरी, टंकण आदि में प्रतियोगितायें चलायी और विजयियों को पुरस्कार दिया था ।

इस साल हिन्दी ग्रंथालय/हिन्दी शिक्षण योजना के उपयोग केलिए 3600 रुपए मूल्यवान पुस्तकें खरीदी थी । "रबड़ समाचार" नामक त्रैमासिक हिन्दी बुल्लटि[n] के चार दल का प्रकाशन किया था ।

बोर्ड के कर्मचारियों केलिए प्रवीण एवं प्राज्ञ के वर्ग चलाया था । प्रादेशिक कार्यालयों के कर्मचारियों केलिए पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी पढ़ने की सुविधायें दी थी ।

वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखाओं की विवरणी आदि हिन्दी में अनुवाद किये गये । सारे प्रपत्र और पंजियों का शीर्षक द्विभाषा में प्रकाशित किये ।

12. उप/संपर्क कार्यालय

केरल के बाहर अहम्मदाबाद, बैंगलूर, बंबई, कलकत्ता, जलंदर, कानपूर, मद्रास और नई दिल्ली आदि प्रमुख रबड़ उपभोगित केन्द्रों बोर्ड के आठ उप कार्यालय होते हैं । इन कार्यालयों द्वारा रबड़ माल उत्पादकों के लिए अनुज्ञापत्र देने में आवेदकों की योग्यता की जाँच की जाती है । विनिर्माताओं द्वारा खरीदे एवं रबड़ व्यापारियों द्वारा बचे स्टोक का सत्यांकन किया जाता है । अनुज्ञापत्र धारियों की बहियों एवं लेखाओं की जाँच इसे सुदृढ करने केलिए की जाती है कि प्राप्त सारे रबड़ का खाता बहियों में अभिलेखित किया है कि नहीं, जिससे उपकर का निर्धारण हो सके । रबड़ अधिनियम एवं नियम की शर्तों के उल्लंघन करके रबड़ मालों का अनुज्ञापत्र हीन विनिर्माण और व्यापार का पता लगाने केलिए आकस्मिक जाँच भी की जाती है ।

रबड़ तकनोलजी में उनकी समस्याओं को हल करनेकेलिए रबड़ विनिर्माण यूनिटों को इन चार कार्यालयों से सेवा भी प्रदान की जाती है । इन कार्यालयों द्वारा समाधान न हो जाने पर मामला पी एवं पी डी विभाग, कोट्टयम को रफर किया जाता है और विनिर्माताओं को आवश्यक सलाह दी जाती है ।

भाग- 7 वित्त एवं लेखे

1. वोर्ड की निधियों का प्रवंधन बजट की रूपरेखा, अनुदान केलिए सरकार की ओर माँग, निधि आवंटन का प्रभावी उपयोग, वित्तीय विवरणी योजना रिपोर्ट और योजनाओं की तैयारी, प्राकृतिक रवड उत्पादन लागत केलिए डाटा वनाना, वजट नियंत्रण का पालन, लेखाओं को तैयार करना, लेखापरीक्षा केलिए वार्षिक लेखा तैयार करना, लेखापरीक्षित लेखा सरकार को प्रस्तुत करना आदि 1991-92 के प्रमुख वित्त एवं लेखे कार्य थे । निम्न लिखित प्रभागों द्वारा ये कार्य चलाये गये ।

1. वित्त एवं लेखा प्रभाग - प्रशासन विभाग
2. ,, - अनुसंधान विभाग
3. ,, - रवड प्रसंस्करण विभाग
4. ,, - रवड उत्पादन विभाग
5. केन्द्रीय वित्त एवं लेखा यूनिट
6. लागत लेखा प्रभाग
7. इलक्ट्रोनिक डाटा प्रोससिंग प्रभाग ।

2. वार्षिक लेखा 1990-91

1990-91 केलिए वोर्ड का वार्षि लेखा तैयार किया था और समय पर ही लेखापरीक्षा केलिए महालेखाकार, केरल को भेजा था । लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं प्रमाणपत्र मिला था और वाणिज्य मंत्रालय को भेज दिया ।

3. निधि प्रवंधन

1992 मार्च 31 को समाप्त होनेवाले साल में सरकार से 30.44 करोड रुपए मिला था । इसका पूरा इस्तेमाल किया । 1991-92 में आंतरिक आय 2 करोड रु. था । सामान्य भविष्य निधि के ग्राहकों को 1991-92 साल में 12% सूद दिया था ।

4. 1991-92 का संशाधित वजट एवं 92-93 का वजट प्राक्कलन

समय पर ही इसको तैयार करके मंत्रालय को भेजा था । प्लान एवं नोन प्लान में 1991-92 का वजट अनुमोदन 32 करोड रु. का था, कुल खर्च भी 32 करोड ।

5. लागत लेखा

प्राकृतिक रवड का उत्पादन लागत निर्णय करने में वित्त मंत्रालय के लागत लेखा शाखा की सहायता की । पौधाई का लागत नवीनतम था । पौधाई मालों के उत्पादन लागत पर अध्ययन किया और वोर्ड के नर्सरियों में पौधाई मालों का मूल्य निर्णय किया । विविध सहकारिता संघों एवं सरकारी सहकारिता संघों केलिए कृषि योजना रिपोर्ट तैयार किये । प्राथमिक मासिक रिपोर्टों के प्रोससिंग द्वारा प्रवंधन सूचना पद्धति का पालन किया और समेकित रिपोर्ट तैयार किया । विश्व वैंक दल को रवड वागन योजना के रूपीकरण केलिए आवश्यक विविध वित्तीय विवरणियाँ तैयार की थी ।

6. इलक्ट्रोनिक्स डाटा प्रोससिंग

इलक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा बोर्ड के वित्तीय लेखा का प्रोसस किया और विविध विभागों केलिए वेतन-पंजी तैयार की । दो प्रादेशिक कार्यालयों केलिए अनुदान बिल एवं अनुदान चेक तैयार किये । इस साल करीब 70,000 सांख्यकी रिपोर्टों का प्रोसस किया था । विश्व बैंक टीम के संदर्शन के समय, प्रसंस्करण फाक्टरियों की स्थापना के लागत, निवेश पर वापसी आदि से संबंधित डाटा पर प्रोसस किया । इसके अतिरिक्त इस साल 25 योजना रिपोर्ट का प्रोसस किया था ।

भाग-8

सांख्यिकी सूचियाँ

सूची-1

प्राकृतिक रबड का उत्पादन, आयात एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन	आयात (पी)	उपभोग (देशी एवं आयातित)
एप्रिल	1991	25,245	2,953	29,385
मई	"	30,710	1,195	29,910
जून	"	20,310	2,153	29,820
जूलाई	"	20,650	827	30,515
आगस्ट	"	28,240	1,543	31,320
सितंबर	"	39,470	1,347	31,850
अक्टूबर	"	39,940	472	31,660
नवंबर	"	41,635	937	32,410
दिसंबर	"	43,235	583	34,175
जानवरी	1992	38,690	604	32,410
फरवरी	"	17,880	780	32,960
मार्च	"	20,740	1,106	33,735
योग		366,745	14,500	380,150

पी - प्रोविशनल

एम. एस/21. 8. 92

सूची - 2

हर महीने के अंत में प्राकृतिक रबड़ का संचय

(टन)

महीना		उत्पादक एवं व्यापारी	विनिर्माता	एस टी सी	योग
एप्रिल	1991	28,245	32,340	24,591	85,075
मई	"	31,045	31,370	24,591	87,005
जून	"	25,980	28,555	24,591	79,125
जूलाई	"	23,165	22,275	24,591	70,030
आगस्ट	"	25,725	23,690	18,968	68,385
सितंबर	"	33,200	25,200	18,935	77,335
अक्टूबर	"	43,315	23,360	19,378	86,050
नवंबर	"	49,640	26,175	20,215	96,030
दिसंबर	"	56,245	26,565	23,200	106,010
जनुवरी	1992	57,800	26,430	28,461	112,690
फरवरी	"	38,510	25,325	34,140	97,975
मार्च	"	26,185	25,980	29,083	81,250

एम. एल. के/21. 8. 1992

सूची-3

कृत्रिम रबड़ का उत्पादन, आयात एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन	आयात (पी)	उपभोग
एप्रिल	1991	3,832	3,195	8,390
मई	"	3,796	2,841	8,060
जून	"	4,369	3,016	8,010
जूलाई	"	4,219	2,757	8,585
आगस्ट	"	5,162	2,685	8,800
सितंबर	"	4,723	2,890	8,680
अक्टूबर	"	5,016	2,834	8,720
नवंबर	"	4,222	3,032	8,995
दिसंबर	"	4,814	3,584	9,145
जनुवरी	1992	5,305	5,397	9,060
फरवरी	"	4,966	4,756	9,545
मार्च	"	4,279	2,813	9,660
	योग	57,703×	39,800	105,650

(पी) - प्रोविषनल

× इसमें 3000 टण भी मिलता है, जिसकेलिए मासिक वार आँकड़े प्राप्त नहीं ।

सूची - 2

हर महीने के अंत में प्राकृतिक रबड़ का संचय

(टन)

महीना		उत्पादक एवं व्यापारी	विनिर्माता	एस टी सी	योग
एप्रिल	1991	28,245	32,340	24,591	85,075
मई	"	31,045	31,370	24,591	87,005
जून	"	25,980	28,555	24,591	79,125
जूलाई	"	23,165	22,275	24,591	70,030
आगस्ट	"	25,725	23,690	18,968	68,385
सितंबर	"	33,200	25,200	18,935	77,335
अक्टूबर	"	43,315	23,360	19,378	86,050
नवंबर	"	49,640	26,175	20,215	96,030
दिसंबर	"	56,245	26,565	23,200	106,010
जनुवरी	1992	57,800	26,430	28,461	112,690
फरवरी	"	38,510	25,325	34,140	97,975
मार्च	"	26,185	25,980	29,083	81,250

एम. एस. के/21.8.1992

सूची-3

कृत्रिम रबड का उत्पादन, आयात एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन	आयात (पी)	उपभोग
एप्रिल	1991	3, 832	3, 195	8, 390
मई	"	3, 796	2, 841	8, 060
जून	"	4, 369	3, 016	8, 010
जूलाई	"	4, 219	2, 757	8, 585
आगस्ट	"	5, 162	2, 685	8, 800
सितंबर	"	4, 723	2, 890	8, 680
अक्टूबर	"	5, 016	2, 834	8, 720
नवंबर	"	4, 222	3, 032	8, 995
दिसंबर	"	4, 814	3, 584	9, 145
जनुवरी	1992	5, 305	5, 397	9, 060
फरवरी	"	4, 966	4, 756	9, 545
मार्च	"	4, 279	2, 813	9, 660
	योग	57, 703×	39, 800	105, 650

(पी) – प्रोविषनल

× इसमें 3000 टण भी मिलता है, जिसकेलिए मासिक वार आँकडे प्राप्त नहीं ।

सूची - 4

संसाधित रबड़ के उत्पादन और उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन×	उपभोग
एप्रिल	1991	4,265	4,150
मई	"	4,160	4,240
जून	"	4,290	4,195
जूलाई	"	4,335	4,220
आगस्ट	"	4,295	4,275
सितंबर	"	4,425	4,240
अक्टूबर	"	4,560	4,665
नवंबर	"	4,760	4,680
दिसंबर	"	4,825	4,775
जनुवरी	1992	4,685	4,625
फरवरी	"	4,670	4,985
मार्च	"	4,915	4,965
	योग	54,185	54,015

×विनिर्माताओं द्वारा देशी क्रय

एम. एस. के/21. 8. 92.

परिशिष्ट-।

31. 3. 1991 में रबड बोर्ड के सदस्यों की सूची

-1. श्रीमती जे. ललितांबिका, आइ ए एस	अध्यक्ष, रबड बोर्ड
-2. कृषि उत्पादन आयुक्त, केरल, तिरुवनंतपुरम-695001.	केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने सरकार से नामित ।
-3. अध्यक्ष, केरल बागान निगम लिमिटड, कोट्टयम-68001, केरल ।	
-4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अरशु रबड निगम लिमिटड, वडशेरी, नागरकोयिल, तमिलनाडु ।	तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने तमिलनाडु सरकार द्वारा नामित ।
-5. श्री पी. के. अब्दुल्ला कुट्टी, प्रबंध निदेशक, के. एस. ए एस्टेट एवं टैंबैर्स, पल्लिकांडी रोड, कल्लाई, कोषिकोड-673003.	केरल राज्य में बडे उत्पादकों से निर्वाचित
-6. मैकिल ए कल्लिवयलिल, कुट्टिक्कानम. पी. ओ, पीरमेडु, इडुक्की जिला, केरल	
-7. श्री. के. जेकब तोमस, प्रबंध निदेशक, वाणियंपारा रबड कंपनी लिमिटड, वाषाक्काला बिलडिंगस, कोट्टयम-686001, केरल ।	
-8. श्री ए कुरियन, उप्पूटिल, पार्वतीपुरम, नागरकोयिल ।	तमिलनाडु राज्य में बडे उत्पादकों से निर्वाचित
-9. श्री द्वारका नाथ दास, एम पी, 187 दक्षिण अवन्यू, नई दिल्ली ।	लोक सभा से निर्वाचित
10. श्री रमेश चेन्नित्तला, एम पी, 7 बी, जान पाथ, नई दिल्ली	
11. श्री तेन्नला बालकृष्ण पिल्लई, एम पी, इन्दिरा भवन, शास्त मंगलम, तिरुवनंतपुरम ।	राज्य सभा से निर्वाचित

12. श्री के. जे. सोहन एक्स-मयर, कोच्चिन कोरपरेशन, एरणाकुलम 13. श्री चारुपारा रवी, वसन्तविलासम, विथुरा. पी. ओ, नेडुमंगाड । 14. श्री ए कुंजीरान, सामान्य सचिव, केरल राज्य निगम, कामगार संघ, कोन्डोटी. पी. ओ, मलपुरम । 15. श्री आर. एस. उण्णी, यू टी यू सी आफीस, कर्सन रोड, कोल्लम-13.	श्रमिक का प्रतिनिधित्व करने केन्द्र सरकार द्वारा नामित ।
16. श्री पी. के. नारायणन, रबड उत्पादन आयुक्त, रबड बोर्ड, शास्त्री रोड, कोट्टयम - 686001.	पदेन
17. श्री के. जोसफ मोनिप्पल्ली, सामान्य सचिव, भारतीय ग्रोवेर्स संघ, 34/1802, कडवन्तरा, कोच्चिन - 682016, केरल । 18. श्री एम. के. विद्याधरन, उत्तमम, एल ऐ सी लैन, पट्टम पालस. पी. ओ, तिरुवनंतपुरम - 695004. 19. श्री एम.. असयिनारुकुट्टी, मालिकण्डत्तु, चप्परप्पड्डु, तलिपरंपा, कण्णूर जिला, केरल ।	केरल के छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने केन्द्र सरकार द्वारा नामित ।
20. अध्यक्ष, अखिल भारतीय रबड उद्योग संघ, लमींगटन रोड, बंबई - 400008. 21. अध्यक्ष, ओटोमोटीव टयर विनिर्माता संघ, दूसरा फ्लोर, 9 ए कन्नाट प्लेस, नई दिल्ली ।	रबड माल विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने केन्द्र सरकार द्वारा नामित ।
22. श्री गगन बीहारी जन्ना, विल्लेज रामपुर, रामचन्द्रपुर. पी. ओ, कटक, ओरीसा । 23. श्री एन. जे. माथ्यु, नंबियापरंपिल, अड्वकेट, तोडुपुषा । 24. श्री आर. जी केतकार, निदेशक, सुधागाड रबड उद्योग राहेम मानषन, नं. 2, पहला फ्लोर, 44-एस भगत सिंह, रोड, बंबई -- 40009. 25. प्रो. के. आर. रामन कर्ता, कुत्तियतोड, आलप्पी ।	"अन्य हितो" का प्रतिनिधि[त्व] करने केन्द्र सरकार द्वारा नामित ।

31/3/1992 में प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची

क्रम. सं.	प्रादेशिक कार्यालयों की सीमा	सेवा क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों की सीमा	क्षेत्रीय अधिकारियों/कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या		
				प्रादेशिक कार्यालय में	क्षेत्रीय कार्यालय में	योग
1	2	3	4	5	6	7
	तमिलनाडु					
01	नागरकोयिल	कन्याकुमारी, तिरुनलवेली और मैंदुरै जिला ।	1. कलेशेखरम 2. कुंझीत्तुरै	1	2 1	4
	केरल					
02.	तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम जिला	3. नेय्याटिनकरा 4. नेडुमंगाड 5. वेंजारमूड 6. पालोड 7. काट्टाक्कडा 8. वितुरा 9. किलीमानूर 10. आयनाड		2 2 3 2 2 1 1 1	14
03.	पुनलूर	तमिलनाडु के षेनकोट्टा जिलर और कोल्लम जिला के पत्तनापुरम और कोट्टारकरा तालूक ।	11. चदयमंगलम 12. अंचल 13. पट्टाझी 14. पत्तनापुरम 15. काडक्कल 16. कोट्टारक्करा 17. कुलत्तुपुषा 18. पुयप्पल्ली	2	1 2 1 1 1 2 1 1	12
04.	अडूर	कोल्लम जिला के कोल्लम और कुन्नथुर तालुक, आलप्पुषा जिला के चेंगन्नूर, मावेलिकरा और कार्तिकप्पल्ली तालुक [illegible] पत्तनं[illegible]	19. कल्लुवातुक्कल 20. भरनीकाव 21. पतलम 22. कोच्चालुमूड 23. कुन्न[illegible]	2	1 1 1 1 1	

1	2	3	4	5	6
05	पत्तनंतिट्टा	पत्तनंतिट्टा जिला के पत्तनंतिट्टा, कोषनचेरी और रान्नी तालूक ।	24. कोन्नी	3	
			25. रान्नी		
			26. वडशेरिक्करा		
			27. वेच्चूचिरा		
			28. नारानमूषी		
			29. कड्डप्पाट्टूर		
			30. कोषनचेरी		
06	चंगनाशेरी	आलप्पुषा जिला के कुट्टनाड, मल्लप्पल्ली और तिरुवल्ला तालूक और कोट्टयम जिला के चंगनाशेरी तालूक	31. तिरुवल्ला	2	
			32. मल्लप्पल्ली		
			33. वाकत्तानम		2
			34. करुकच्चाल		
			35. वाषूर		2
			36. पत्तनाड		
07	कोट्टयम	कोट्टयम जिला के कोट्टयम और वैक्कम तालूक	37. पांपाडी	1	
			38. मणारकाड		
			39. पवुत्तिलप्पु		
			40. कैरोप्पडा		
			41. पिल्लिक्कत्तोड		
			42. एट्टुमानूर		
			43. कडुत्तुरुत्ती		
			44. पेरुवा		2
08	कांजिरप्पल्ली	कोट्टयम जिला के कांजिरप्पल्ली तालूक और इडुक्की जिला के पीरमेडु तालूक ।	45. पोनकुन्नम	2	
			46. मणिमला		
			47. एरुमेली		2
			48. कुराली		
			49. पीरत्तोड		2
			50. मुंडक्कयम		4
09	ईराट्टुपेट्टा	कोट्टयम जिला में मीनच्चिल तालूक के पूंजार तौथ, पूंजार नडुभागम, पूंजार नोर्थ, ईराट्टुपेटा, कोंडूर, तीकोई, तलपालम, मूनिलव और मेलुकाव विल्लेज ।	51. मेलुकाव	1	
			52. पूंजार नडुभागम		
			53. पूंजार तौथ		
			54. तिडनाड		
			55. तीकोई		
			56. मूनिलव		

1	2	3	4	5	6	7
10.	पाला	कोट्टयम जिले में मीनचिल तालूक के लालम, भरणन्गानम, रामपुरम, वेल्लिलप्पल्ली, वेलियन्नूर, मीनच्चिल, पूवरणी, वल्लिच्चिरा, कुरिच्चित्तानम, एलक्काड, कुरविलंगाड, काणक्कारी और वाक्कूर विल्लेज ।	57. रामपुरम	2	2	
			58. कुरविलन्गाड		1	
			59. मरन्गाट्टुपल्ली		2	
			60. भरणन्गानम		1	
			61. कडनाड		1	
			62. किडन्नूर		1	
			63. पैका		1	
			64. मोनिप्पल्ली		1	12
11.	तोडुपुषा	इडुक्की जिला के तोडुपुषा और उडुंपचोला तालूक ।	65. कट्टप्पना	4	1	
			66. मूलमट्टम		1	
			67. करिमण्णूर		1	
			68. करिकुन्नम		1	8
12.	मूवाट्टुपुषा	एरणाकुलम जिला के मूवाट्टुपुषा तालूक	69. पंपाकुडा	4	1	
			70. रामंमंगलम		1	
			71. वाषकुलम		1	
			72. पिरवम		1	
			73. कूत्ताट्टुकुलम		1	9
13.	कोतमंगलम	इडुक्की जिले के देविकुलम तालूक और एरणाकुलम जिले के कुन्नत्तुनाड तालूक के वेन्गूर, वेन्गूर वेस्ट, कोंपनाड, कूवप्पडी, कोंडनाड, अशमान्नूर, रायमंगलम और पेरुंपावूर विल्लेज ।	74. अडिमाली	3	1	
			75. उन्नुक्कल		1	
			76. पोत्तानिकाड		1	
			77. पेरुंपावूर		2	8

1	2	3	4	5	6
14.	एरणाकुलम	एरणाकुलम जिले के कणयन्नूर, आलुवा, परूर तालूकें और कुन्नत्तुनाडु तालूक के पश्चिमी भाग ।	78. मुलन्तुरुत्ती	–	2
			79. पुत्तनकुरिश		1
			80. कोलनचेरी		2
			81. पट्टीमट्टम		1
			82. कुमारपुरम		1
			83. पेरुंबावूर		1
			84. कालडी		2
15.	त्रिशूर	त्रिशूर जिला	85. चालकुडी	[illegible]	1
			86. कोडकरा		1
			87. वड्डक्काचेरी		1
			88. चेलक्करा		1
			89. तिरुविलवामला		1
16.	पालक्काड	पालक्काड जिला और तमिलनाडु स्टेट के कोयंबत्तूर और सेलम जिले ।	90. वडकन्चेरी	2	3
			91. ओट्टप्पालम		1
			92. तिरुवड़ियोड		1
			93. कंगाड		1
			94. पट्टांपी		1
			95. मण्णारकाड		2
			96. कल्लडिकोडे		2
17.	निलंबुर	तमिलनाडु के मलपुरम जिला और नीलगिरी जिला	97. पेरुतलमण्णा	4	1
			98. मंजेरी	—	2
			99. करुवारकुंड		1

	2		4	5	6	7
18.	कोझिकोड	कोझिकोड जिले के कोझिकोड और कोडलांडी तालूक	102. तामरशेरी	–	2	
			103. पालुशेरी		1	
			104. पेरांपरा		2	
			105. मुकम्म		2	
			106. तिरुवांपाडी		2	
			107. कोडनचेरी		2	1
19.	तलशेरी	कोझिकोड जिले के वडकरा तालूक, कन्नूर जिले के तलशेरी तालूक और वयनाड जिला ।	108. कूत्तुपरंपा	–	2	
			109. कुटियाडी		1	
			110. पेरवूर		3	
			111. इरिटी		2	
			112. करिकोटाकरी		1	
			113. मानन्तवाडी		2	
			114. कलपट्टा		1	12
20.	तलिपरंपा	कन्नूर जिले के कन्नूर और तलिपरंपरा तालूक ।	115. उलिक्कल	2	1	
			116. श्रीकण्ठपुरम		2	
			117. चेंपेरी		1	
			118. पुलिकुरुंबा		1	
			119. नडुविल		1	
			120. पय्यन्नूर		1	
			121. आलकोड		2	
			122. कार्तिकापुरम		1	
			123. चेरुपुझा		1	
			124. मात्तिल		1	
			125. पुलिंगोंम		1	
			126. पेरुपन्तु		1	
			127. [illegible]		1	17

1	2	3	4	5	6	7
21.	कांजन्गाड	काज़रगोड जिला	128. मालक्कल्लु	1	2	
			129. चित्तारिक्कल		1	
			130. वेल्लरिकुंड		1	
			131. बंडाडका		1	
			132. भीमानदी		2	
			133. पनत्तूर		1	
			134. मुल्लेरिया		1	10
	<u>कर्नाटका</u>					
22.	मांगलूर	[illegible] बेलजियम जिला ।	135. सुल्लिया	1	2	
			136. बेलत्तंन्गाडी		1	
			137. पुत्तूर		2	
			138. कुंदापुर		1	7
	<u>गोवा</u>					
23.	पोंडा	कर्नाटका के बेलजियम जिला, गोवा और महाराष्ट्रा	139. सावन्तवाडी (एक सहायक विकास अधिकारी द्वारा चलाता है)	3		
24.	बेरहामपुर	ओरीसा के गंजाम और कोरापुट जिला, मध्य प्रदेश के बस्तर जिला और आंध्रा प्रदेश ।	140. मरेडुमिल्ली (एक सहायक विकास अधिकारी द्वारा चलाता है)	1	1	2

1	2	3	4	5	6	7
25.	भुवनेश्वर	औरीसा के कटक, धेनकनाल फुलबानी और पुरी जिला ।	141. धेनकनाल	1	2	3
26.	बारीपदा	ओरीसा के बालसोर, मयूरभंज और कियोन्जारगाह जिले ।		1		1
	त्रिपुरा					
27.	अगरतला	त्रिपुरा के त्रिपुरा वेस्ट और त्रिपुरा नोर्थ जिला ।	142. धर्मानगर	2	1	
			143. कमलपुर (हलाली)		1	
			144. कुमारघाट		1	
			145. चोवाई		1	
			146. सोनमुरा		1	7
28.	उदयपुर	त्रिपुरा के त्रिपुरा वेस्ट जिला	147. बेलोनिया	1	1	
			148. अमरपुर		1	
			149. सन्तिर बाजार		1	4
	असम :					
29.	गौहाटी :	पश्चिमबंगाल के उत्तरी जिले और आसाम के गोलपारा, कामरूप, नौगोंग, नलबारी, बारपेटा, धुबरी, कोकराजार, प्रागज्योतिषपुर, कोंगडगोन, मोरीगोन, धेमाजी और सोनिपुर जिला ।	150. अजिआ 151. नौगोंग			

1	2	3	4	5	6	7
30	जोरहट	आसाम के जोरहट, डारंग, गोलाघाट, सिबसागर, डिब्रुगारह, टिनसुकिया और नोर्थ लकिमपुर जिला और नागालान्ड के मोकोचंग, वोखा और मोन जिला ।	152. तेजपुर 153. गोलाघाट 154. टिनसुकिया	1	1 1 1	[illegible]
31.	दिफु	आसाम के कार्बी आन्गलोंग जिला और नागालान्ड के कोहिमा, थेक, टुयेनसान्ग और जिलहेबोटो जिला ।	155. दिमापुर 156. जालूकि	2	1 1	4
32.	सिलचार	आसाम के नोर्थ एवं सौथ काचार, हेपिलाकांडी एवं करिमगाज जिला और मिजोराम और मणिपुर राज्य ।	157. करिमगंज 158. गिरियाम 159. कोलासिब	2	1 1 1	5
	मेघालया					
33.	तुरा	मेघालया राज्य	160. मंदीपटूर	2	–	2
	आंडमान एवं निकोबार					
34.	पोर्ट ब्लेयर	आंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		1	–	1
			योग	59	205	264

भारतीय रबड़ ... संस्थान Rubber ... Institute of India ... 243155 3/5/18 हस्ताक्षर/Initials